राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का ११वां दिवस [संख्या ८

गुरुवार, १४ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म०पू० ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन]

श्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : Questions.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): May I know whether the Hon'ble Speaker is indisposed or out of station? Why has he not been able to preside over this meeting of the House?

श्री उपाध्यक्ष : That is not a question to be referred. The Hon 'ble Member may refer it to the Secretary.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The House is entitled to know as to why the Hon'ble Speaker has not been here to preside. The House may in sympathy......

श्री उपाध्यक्ष : As I have observed the point is not with reference to the Chair.

So I proceed on with Questions.

तारांकित प्रश्नोत्तर

गत दो वर्षों में जिला गंगानगर में हुए अपराध

२१५. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में पिछले दो सालों में चोरी, डकैती, कत्ल व इरादा कत्ल की कितनी वारदातें हुई हैं ?

(ख) क्या इससे पहले भी कभी इतनी वारदातें हुई थीं ?

(ग) क्या इन वारदातों में स्थानीय पुलिस अधिकारियों का हाथ होने का सन्देह है ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जिला गंगानगर के वर्तमान पुलिस अधिकारियों को तब्दील कर उनके स्थान पर नये अधिकारी भेजेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जिला गंगानगर में १९५६ से सितम्बर १९५७ तक चोरियों की ४११, डकैतियों की ४, हत्या की ८६ व हत्या करने के प्रयत्नों की ८७ वारदातें हुई ।

(ख) सिवाय हत्या के सभी अपराध कमी पर हैं ।

(ग) जी नहीं ।

Page No.2

(श्री रामकिशोर व्यास)

(ग) इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या सरकार के ध्यान में ऐसी बात है कि बहुत सी रिपोर्टें दर्ज नहीं होती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई स्पेसिफिक बात बतावें जिसमें दर्ज नहीं हुई हैं, तो इन्क्वायरी कर सकते हैं। जनरल इन्क्वायरी तो नहीं हो सकती।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सच है कि बहुत से अधिकारी चोरियों में शरीक हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सच नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें प्रिवेन्टिव मेज़र्स लिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको मालूम हो तो बताओ कि कौन से केसेज़ में प्रिवेन्टिव मेज़र्स लिये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे मालूम नहीं है।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

सांचोर-रानीवाड़ा के बीच की सड़क के जीर्णोद्धार पर गत दो वर्षों में व्यय

२१७. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सांचोर-रानीवाड़ा के बीच की सड़क किस श्रेणी की है और उसकी मरम्मत पर पिछले दो सालों में कितने रुपये वार्षिक खर्च किये गये हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि कुछ दिनों पहले इस सड़क पर गड्ढे ज्यादा होने से सर्विस में सफर करते समय एक औरत का गर्भ-पात हो गया था ?

(३) क्या इस सड़क को मेटल्ड रोड बनाने हेतु कोई आवेदन सांचोर की जनता द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या विचार किया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ग्रेवल रोड बनी हुई है। लगभग ३५०० वार्षिक गत २ वर्षों में १८,१३६ रुपये, जिनमें ११,००० रुपये विशेष मरम्मत के शामिल हैं।

(२) इस विभाग को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है

(३) इस प्रकार का कोई आवेदन आया प्रतीत नहीं होता।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या मंत्रीजी ने इस सड़क का कभी निरीक्षण भी किया है जिससे पता चला हो कि इसकी हालत कैसी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी निरीक्षण किया है। कम्पेरेटिवली दूसरी सड़कों की जैसी हालत है उससे इसकी हालत अच्छी है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस सड़क में खड्डे भी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : खड्डे तो आम तौर से होते हैं, वे ठीक हो जाते हैं; खड्डों पर मुरड़ आदि डाल देते हैं।

Page No.3

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि बरसात में खड्डों के कारण सर्विसेज़ बंद रहती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्विस बंद नहीं रहती है लेकिन बरसात में सर्विस चलती है जिसके कारण खड्डे पड़ जाते हैं जिनमें मुरड़ आदि भरते है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी से आपके पास कोई प्रस्ताव आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जवाब दे दिया गया है कि नहीं आया।

प्रश्न संख्या २१८

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित प्रश्न आगे लिया गया)

पदमपुर में होस्पिटल में मरीजों के लिये बेड्स का प्रबन्ध

२१६ **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पदमपुर होस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिये आज तक बेड्स का प्रबन्ध न किए जाने का क्या कारण है ?

(ख) क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करेगी ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : पदमपुर में हॉस्पिटल नहीं है सिर्फ एक डिस्पेन्सरी है इसलिये वहां बेड्स का इन्तजाम करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पदमपुर डिस्पेन्सरी को उन्नत करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायगा तथा बेड्स की सुविधा कर दी जावेगी।

श्री धर्मपाल पंवार : यह कब तक बनाया जायगा ?

श्री भीखाभाई : जब ब्लोक डेवलपमेन्ट सेन्टर होगा तब हो जायगा।

भ्रष्टाचार निरोधक अभियान के अन्तर्गत नियुक्त विशेष आई. जी. पी. के पास दर्ज हुए मामले

२२०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

भ्रष्टाचार निरोधक अभियान के अन्तर्गत नियुक्त विशेष आई० जी० पी० के पास कितने मामले दर्ज किये जा चुके हैं और इनमें से कितनों का न्यायालय में चालान किया गया है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ४३ मामले दर्ज किये जा चुके हैं।

(२) इनमें से किसी भी मामले का न्यायालय में चालान नहीं किया गया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : विशेष आई. जी. पी. को कार्य करने के पॉवर्स किस तारीख को दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनकी अपोइन्टमेन्ट कब हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जून के महीने में हुई थी, जहां तक याद पड़ता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उनका स्टाफ पूरा हो गया है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, सेन्कशन मिल गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि उनके स्टाफ में ऐसे इन्सपेक्टर्स दिये गये हैं जिनके सम्बन्धियों पर और स्वयं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : विशेष आई. जी. पी. खुद अपॉइन्ट करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा दिये जाने का सवाल नहीं है । आपने बताया कि ऐसे आदमी हैं जिनके सम्बन्धियों पर आरोप है, इसके बारे में जानकारी करेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जल बोर्ड और जिला बोर्ड के मामले भी इनको दिये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी नोलेज में नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि वर्तमान में जो भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड बनाया है उस पर विशेष आई. जी. पी. ने ऐतराज किया है कि उनके स्वयं के खिलाफ शिकायतें हैं इसलिये उनको नियुक्त नहीं किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे ध्यान में नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन मामलों में चालान प्रस्तुत न करने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टिगेशन में हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने केसेज में इन्वेस्टिगेशन हो गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

ट्रेक्टरों के फिटनेस आदि के प्रमाण पत्रों के नियमों में संशोधन

२२१ **श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) :** क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार कृषकों के पास जो ट्रेक्टर्स हैं, उनके फिटनेस आदि के प्रमाण पत्र हासिल करने के लिये जो नियम बनाये गये हैं उनमें संशोधन करने के लिये तैयार है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि कृषक जब अपने ट्रेक्टर को लेकर जिला अधिकारी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिये जाता है तो बहुत दफा जिला अधिकारी जिलों में प्राप्त नहीं होता ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि ट्रेक्टर खरीदते समय एक शपथ-पत्र इस आशय का भराया जाता है कि ट्रेक्टर केवल कृषि कार्य के लिये ही प्रयोग में आवेगा ?

(घ) क्या सरकार ट्रेक्टरों के स्वामियों पर लगाई गई इस पाबन्दी को दूर करने के लिये तैयार है ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) :

(क) ट्रेक्टरों का फिटनेस सर्टिफिकेट मैकेनिकल इन्सपैक्टर, यातायात विभाग द्वारा दिया जाता है । रजिस्ट्रेशन का काम कलेक्टर करता है । इसमें संशोधन करने का प्रश्न कृषि विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता गृह विभाग से रखता है ।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट इस विभाग में नहीं प्राप्त हुई ।

(ग) हां, कृषि विभाग से इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है ।

(घ) जी नहीं । क्योंकि इस नियंत्रण की वजह से ट्रेक्टरों पर इम्पोर्ट ड्युटी व कर नहीं लिया जाता है ।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में है कि जो आदमी ट्रेक्टर की फिटनेस

Page No.5

(श्री धर्मपाल पंवार)

का प्रमाण-पत्र हासिल करने आता है उसको रास्ते में ही सम्बन्धित अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको परेशानी होती है ?

श्री दौलतराम सारण : गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं है।

श्री धर्मपाल : यदि गवर्नमेंट के ध्यान में लाया जावे तो क्या कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यदि गैर वाजिब बात होगी तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

तहसील सांचोर, जिला जालौर के कुछ पंचों व सरपंचों का चुनाव

२२२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील सांचोर, जिला जालोर, की कितनी पंचायतों के पंचों व सरपंचों के चुनाव बाकी हैं तथा उनके अब तक के चुनाव न कराने के क्या कारण है ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : तहसील सांचोर, जिला जालोर के ३ पंचायतों के सरपंचों के और ६ पंचायतों के पचों के चुनाव बाकी हैं। उन चुनावों की तारीख ११, १२ और १३ नवम्बर, १९५७ निश्चित की गई हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक चुनाव नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर, और तहसीलदार दूसरे कामों में व्यस्त रहे इसलिए नहीं हो सका।

श्री लक्ष्मीचन्द : उक्त कलेक्टर के नाम ऑर्डर कब जारी किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : २७-९-५७, २२-९-५७, १२-९-५७; इस प्रकार कई तारीखों पर दिया गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : सेप्टेम्बर से पहले क्यों नहीं किया गया ?

श्री दौलतराम : पहले की तारीख बताई न, २२-९-५७

श्री लक्ष्मी चन्द : २२-९-५७ से पहले चुनाव क्यों नहीं किये गये जब कि दूसरी पंचायतों के चुनाव हुये हैं; तो तीन साल में इनके चुनाव क्यों नहीं किये गये ?

श्री दौलतराम सारण : किसी को तीन साल का अर्सा नहीं हुआ।

भाखरा-नांगल से राजस्थान को बिजली की उपलब्धि में विलम्ब

२२३. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) भाखरा नांगल योजना से राजस्थान को कब तक बिजली उपलब्ध हो जानी चाहिये थी तथा निर्धारित अवधि में बिजली उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

(२) आयन्दा उपरोक्त काम निर्धारित समय में सम्पन्न हो सके इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) पंजाब सरकार ने गंगानगर व राजगढ़ स्थान पर भाखरा-नांगल बिजली देने का वायदा सितम्बर १९५७ तक किया था। परन्तु अमृतसर में टॉवर के मैन्युफेक्चर में तथा सब स्टेशन के लिए स्विच-गीयर प्राप्त करने में देरी होने के कारण उनसे फिर सूचना प्राप्त हुई कि भाखरा नांगल बिजली अब सितम्बर १९५८ तक दी जा सकेगी।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) केन्द्रीय सरकार के भाखरा बोर्ड से भी लिखा-पढ़ी और बातचीत की जा रही है, जिससे शीघ्रता से बिजली उपलब्ध हो।

श्री भीमसेन : टॉवर किस कारण से सरकार को वक्त पर उपलब्ध नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : समय पर अलॉटमेंट नहीं हुआ।

श्री भीमसेन : पंजाब सरकार को क्यों अलॉटमेंट कर दिया गया, राजस्थान सरकार को क्यों नहीं अलॉट किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के हाथ की बात है।

श्री भीमसेन : राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किये इसके लिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से बात करने के लिए मिनिस्टर गये, पंजाब सरकार से बातचीत करने के लिए भी गये, रेगुलर कॉरेस्पोन्डेन्स की, every effort was being made.

सरदारपुरा, जोधपुर में मकान व उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल

२२४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (श्री अर्जुनदास की अनुपस्थिति में) : Sir, I may be permitted to ask this question.

(आज्ञा दी गई)

Will the Minister for Health be pleased to state.

(a) How many bungalows or buildings are there in Sardarpura and Masuria Refugee Colony at Jodhpur and what is the area covered by them ?

(b) How many hospitals are there in this area ?

(c) When does the Government propose to establish a hospital or dispensary there ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) १५०; क्षेत्र-सूची सदन पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) २.

श्री जनार्दनराय नागर : यह सदन पटल है या सदन की मेज है ?

श्री भीखाभाई : दोनों एक ही चीज हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : दोनों एक चीज नहीं हैं; पटल वह चीज है जो लटकाई जा सकती है और मेज वह है जो बिछी हुई होती है।

श्री उपाध्यक्ष : You want an explanation from the Hon'ble member or consultation of the dictionary about the distinction of the two words ?

श्री जनार्दनराय नागर : यह मेरी सूचना है। मेज पर ही कोई चीज रखी जा सकती है।

श्री भीखाभाई : मेरा मतलब मेज से ही है। वैसे यह साहित्यिक चर्चा करने का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पटल पर नहीं ?

श्री भीखाभाई : मेज पर रखी गई है।

(ग) जबकि इस क्षेत्र में दो अस्पताल पहले से चालू हैं, सरकार वहां नवीन अस्पताल

Page No.7

(श्री भीखाभाई)

व डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता नहीं समझती ।

जवाई नदी पर शिवगंज और सुमेरपुर के मध्य रास्ता बनाने की योजना

२२५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Public Works Minister be pleased to state:-

(a) Is it a fact that eversince the formation of Rajasthan the work of constructing a causeway over River Jawai between Sheoganj and Sumerpur of Sirohi and Pali districts respectively, is under consideration of the Government ?

(b) If so, how much time this work is likely to take now ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) Yes, the proposal is under consideration of the Government.

(b) Approximately one year's time after the work is sanctioned.

श्री मोहब्बतसिंह : यह प्रपोजल किस स्टेज पर है ? यह पिछले सात साल से कन्सीडर हो रहा है, सात साल बाद किस स्टेज पर पहुँचा !

श्री नाथूराम मिर्धा : अब काफी ऊँचा आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की स्टेज पर आ गया है।

श्री मोहब्बतसिंह : कितने अर्से में यह काम चालू हो जायगा, कितना अर्सा और लगेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आम तौर से सेक्रेटेरियेट में १०-१५ दिन लगते हैं, इतना ही समझ लीजिये ।

श्री मोहब्बतसिंह : इसकी एस्टीमेटेड कोस्ट कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह होगी साहब, अब करीब १ लाख ७६ हजार १५० रुपये और पहले थी १ लाख ३ हजार १०० रुपये ।

श्री मोहब्बतसिंह : अब पुलिया बनाने का सरकार का विचार है या ब्रिज बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि ब्रिज बनायेंगे, लेकिन उसकी डिज़ाइन या डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि कैसा बनेगा । वह होगा पुलिया जैसा, जिस पर से आदमी निकल जायेंगे, पशु निकल जायेंगे और गाड़ियां भी निकल जायंगी ।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या आगामी बरसात के बाद यह काम चालू हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका उत्तर मैंने दे दिया कि करीब १ साल लगेगा सारे काम के लिए ।

गंगानगर जिले के सीमावर्ती पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार की घटनाएं

२२६. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले के सीमावर्ती पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार की कितनी घटनाएं घटी हैं तथा उनमें कितना सोना व अफीम बरामद हुआ है ?

(ख) उपरोक्त सोना व अफीम किन किन रास्तों से आयात हुआ ?

(श्री धर्मपाल पंवार)

(ग क्या आर. ए. सी. के कर्मचारियों का इस तस्कर व्यापार में हाथ था ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जनवरी, १९५७ से अब तक १६ घटनाएं हुईं।

(ख) १७५ तोले सोना व १३ मन १६ सेर १४ छटांक अफीम बरामद हुई।

(ख) राजस्थान की सीमा का इतना फैलाव होने के कारण सोने व अफीम के व्यापार का कोई निश्चित मार्ग नहीं है क्योंकि हर तरफ से सोना व अफीम बरामद हुआ है।

(ग) जी नहीं।

श्री धर्मपाल पंवार : यह सोना अवैध रूप से हिन्दुस्तान में आ रहा है, क्या सरकार यह बात महसूस करती है कि भारत की करेन्सी को खतरा है इस बात से ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, महसूस करती है।

श्री धर्मपाल पंवार : इसकी रोक-थाम के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से लिखा पढ़ी की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान ने इलाज भी सोचा है और भारत सरकार से बातचीत भी की है।

श्री मोहब्बतसिंह : अवैध रूप से जो सोना आता है क्या उसको जब्त करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कस्टम डिपार्टमेंट है, उसको दे दिया जाता है।

सहकारी विभाग के दो सहकारी संस्था निरीक्षकों की नियुक्ति पर जन सेवा आयोग की स्वीकृति

२२७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के दो सहकारी संस्था निरीक्षकों की नियुक्ति पर जन सेवा आयोग ने तारीख २३-८-५२ तक की स्वीकृति दी थी ?

(२) उन दोनों निरीक्षकों के क्या नाम हैं और उन्हें किस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि वे दोनों उपरोक्त अवधि के बाद दो वर्षों तक बिना जन सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए कार्य करते रहे ?

(४) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें अंतिम रूप से कब स्थाई बनाया गया ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) : (१) हां, प्रथम अवस्था में।

(२) सर्व श्री नन्दलाल भटनागर व गोविन्द नारायण शर्मा, जिनकी नियुक्ति पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा निरीक्षक के पद पर की गई थी।

(३) नहीं। जन सेवा आयोग से स्वीकृति ली जा चुकी है।

(४) उपरोक्त क्रम ३ के अनुसार यह प्रश्न ही नहीं उठता। श्री नन्दलाल भटनागर व श्री गोविन्द नारायण शर्मा को दिनांक ६-७-५६ को स्थाई बनाया गया।

श्री तनसिंह : आपने यह बताया कि उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई। मेरा यह प्रश्न था, क्या यह सही है कि वे दोनों उपरोक्त अवधि के बाद दो वर्षों तक बिना जन सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त किये कार्य करते रहे ?

Page No.9

श्री दौलतराम : जी नहीं। जन सेवा आयोग से लिखा पढ़ी जारी थी और विभागीय ढंग पर उनकी नियुक्ति की गई थी।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जन सेवा आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है, और उस रिपोर्ट के अन्दर ही यह फैक्ट दिया हुआ था उसके आधार पर ही मैंने यह प्रश्न बनाया। माननीय उपमंत्री कहते हैं कि यह तथ्य नहीं है, क्या माननीय मंत्री के जवाब को गलत माना जाय या जन सेवा आयोग की रिपोर्ट गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष : Can you refer the particular portion of that Report so that the Hon'ble Deputy Minister may be rightly confronted with that issue ?

श्री नाथूराम मिर्धा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जन सेवा आयोग के साथ कई मामलों में डिपार्टमेंटल कॉरेसपोन्डेन्स चलती रहती है और दो तीन चिट्ठियों के एक्सचेंज होने में ही काफी समय लग सकता है और कॉरेसपोन्डेन्स के चलते चलते रिट्रोस्पक्टिव डेट्स से स्वीकृति दे देते हैं। इनका जो अपोइन्टमेंट हुआ उसके सम्बन्ध में भी लिखा-पढ़ी चल रही है, और इनकी स्वीकृति देरी से पहुंची है।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस होता है, आप कहते हैं कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हो गई, साधारण बात है; यह आपके लिए साधारण बात हो सकती हैं। हम जानते हैं कि दो वर्ष तक स्वीकृति नहीं दी। आप इस तथ्य को क्यों छिपा रहे है, आप सही बात कह सकते हैं। उपमंत्री जी कहते हैं कि स्वीकृति प्राप्त हो गई है, आप कहते हैं कि पत्र व्यवहार चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will not make a statement.

श्री नाथूराम मिर्धा : स्वीकृति बाद में आ जाती है तो भी स्वीकृति उसी दिन से मानी जायगी।

श्री तनसिंह : स्वीकृति कितने अर्से के बाद आई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी में ६ महीने में आ जाती है, किसी में दो वर्ष भी लगते हैं।

श्री तनसिंह : जिस स्पेसिफिक इन्स्टान्स की ओर ध्यान दिलाया है उसकी स्वीकृति कब आई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब दो साल लग गये।

श्री तनसिंह : दो साल तक पत्र-व्यवहार चलाये रखा, कब पत्र-व्यवहार शुरू हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा: बराबर जारी रखा। उनको दुबारा लिखा था कि सिलेक्शन करके जल्दी भेज दीजिये। अब भी कई चिट्ठियां आती हैं, लेकिन जन सेवा आयोग के पास बहुत काम रहता है। हम जितने सिलेक्शन्स के लिए, अपोइन्टमेंट्स के लिए लिखते हैं लेकिन वह नहीं कर पाते। वे हमें टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट करने के लिए कहते है, उसके लिए कहते है, उसके लिए पर्मिशन दे देते है। हम इन्टरव्यू करके सर्विस में ले लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र : इस केस में टेम्प्रेरी अपाइन्टमेंट करने के लिए कहा गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, अब भी कह रखा है। हमने जन सेवा आयोग को इन्सपेक्टर और सब इन्सपेक्टर के लिए लिखा

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ६ महिने पहिले नहीं दे सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री पुरुषोत्तम लाल : क्या ऐसा रिप्लाई लिखित में आया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखित में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister will not reply.

दौसा लालसोट होती हुई गंगापुर तक की बिजली की ट्रान्समिशन लाईन के लिए इस वर्ष व्यय की धन राशि

२२८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दौसा लालसोट होती हुई गंगापुर तक की ३३ किलोवाट बिजली की ट्रान्समिशन लाइन के लिए ५,००,००० रु० पांच लाख की धन-राशि में से इस वर्ष कितनी धन-राशि व्यय की गई तथा उसका विवरण क्या है ?

(ख) इस योजना को स्वीकृत हुए कितने वर्ष हुए ? उसके आदेश, आज्ञा और संख्या क्या है और क्या आज्ञानुसार काम हुआ है ?

(ग) इसके कर्मचारी गंगापुर में कब से बैठे हैं और वे क्या काम करते हैं यदि वे कोई काम नही करते तो धन का दुरुपयोग क्यों किया जाता है ?

(घ) लालसोट नगर को अब कितने माह में बिजली देने का सरकार विचार रखती है ?

(ङ) क्या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ...शित पत्र और पत्रिकाओं तथा प्रेस ...विद्युत विकास शीर्षक से लालसोट ...स्थानों पर बिजली लगा देने का निराधार प्रचार किया गया है

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखा भाई): (क) इस वर्ष केवल १३३६ रुपये सितम्बर सन् १९५६ तक इस कार्य पर दौसा, गंगापुर ३३ के-वी-लाइन पर खर्च किये गये है ।

(ख) साढ़े तीन साल । आदेश संख्या नम्बर एक ६।५०। पी, डब्ल्यू ।ई एम।५३ दिनांक १०. २. १९५४ कार्य योग्यतानुसार नहीं हो सका ।

(ग) केवल कुछ आदमी सामान की चौकीदारी के लिये लगे हुए है ।

(घ) सन् १९५९ के अन्त तक ।

(ङ) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा समय समय परन्तु राज्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है । वह निराधार नहीं है । यह बात अलग है कि कार्य शिड्यूल के मुआफिक हुआ या नहीं ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या यह सच है कि दौसा से गंगापुर तक खम्भे गाड़ दिये गये है ?

श्री भीखा भाई : फिर दोहराये ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या दौसा, गंगापुर लाईन पर बिजली के खम्भे डाल दिये गये है ?

श्री भीखा भाई : सही है ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : खम्भे कब गाड़े गये थे ?

श्री भीखा भाई : काफी समय हो चुका होगा । मेरे ख्याल से यह काम जून में पूरा हो जायगा ।

श्री लक्ष्मीचन्द : काफी समय हुआ,

Page No.11

(श्री लक्ष्मीचन्द)

आप यह पूछना चाहते हैं कि खम्भे कब गाड़े गये ?

श्री भीखाभाई : वह मालूम नहीं है। अभी तक सामग्री नहीं मिलने से खम्भे नहीं लगाये जा सके।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दौसा से लालसोट तक श्री रामकरण जोशी के मकान तक बिजली पहुंची है, उससे आगे नहीं पहुंची है।?

श्री भीखाभाई : अब आगे खम्भे गाड़े जायेंगे।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दौसा से लालसोट तक बिजली लगाई हुई है, क्या दौसा से आगे तक गई है ?

श्री भीखाभाई : ३६ तक लगी हुई है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कोई स्थान है क्या ? दौसा से लालसोट के बीच में बिजली कहां तक गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास (विद्युत मंत्री) : बिजली गई नहीं है। उसके खम्भे लगाये जा रहे हैं, वे गंगापुर तक जाने वाले हैं। इसमें कई डिफिकलटीज़ हैं, हम काम को जल्दी करना चाहते हैं; लेकिन बाहर से सामान आने वाला था, वह नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य : आप जोर से बोला करें।

श्री रामकिशोर व्यास : आप ध्यान से सुना करें। मैंने दौसा लाइन के बारे में निवेदन किया। इसमें देरी इस वजह से हो रही है कि बाहर से मेटीरियल आनेवाला था, उसमें देरी होने से फॉरिन एक्सचेंज में डिफीकल्टीज़ हुई, इस वजह से काफी टाइम लग रहा है। तीसरी बात यह है कि यह निश्चय किया गया था कि जयपुर से पॉवर देने की बात निश्चय की गई। प्लान्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है और पॉवर १९५९ में चालू होने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि दौसा से किस स्थान तक बिजली के खम्भे लगाये गये हैं ? क्या ये खम्भे श्री रामकरण जोशी के फार्म या मकान तक ही लगाये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दौसा से लालसोट रूट पर है, पर्टिक्युलर प्लेस के बारे में नहीं बता सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो स्पेसिफिक इन्सटान्स बताया है, उसके बारे में बतायें ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस पॉइन्ट तक लग गये हैं, यह नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : The reply is too clear, that he does not know.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I want yes or no.

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह नहीं कह सकता कि किस पॉइन्ट तक लाइन लगाई हुई है। यह लाइन दौसा गंगापुर रूट पर है।

श्री अनूपसिंह : आपने पिछले सेशन में फर्माया था कि जो बाहर से सामान आने का है वह नहीं पहुंचा। छः महीने निकल गये हैं, अभी तक नहीं आया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतना समय और भी लग सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.12

सरूपगंज, जिला सिरोही में एड पोस्ट डिस्पेंसरी खोलने की योजना

२२९. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Health Minister be pleasesed to state :

Deos the Government contemplate opening an aid-post dispensary at Sarupganj in Sirohi district ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं। चूंकि यहां एक आयुर्वेदिक औषधालय पहिले से ही मौजूद है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि मुख्य मंत्रीजी ने स्वरुपगंज स्कूल का उद्घाटन करते समय वहां के लोगों को आश्वासन दिया था कि यहां डिस्पेन्सरी नहीं खोली जा सकती, पर एड पोस्ट खोलने का सरकार विचार कर सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार विचार कर सकती है, पर इस वक्त विचार नहीं हो रहा है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या मुख्य मंत्रीजी के इस आश्वासन पर सरकार ने जांच करवाई कि वहां पर एड पोस्ट खोलना उचित है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उचित तो बहुत सी जगहां पर खोलना है, पर यह अभी प्लान में नहीं है और इसके लिये अभी फाइनेन्सेज़ भी नहीं हैं। वैसे हमारा तो सारी जगह डिस्पेन्सरीज़ खोलने का विचार है।

श्री मोहब्बतसिंह : कब तक विचार है; दो साल बाद, तीन साल बाद या पांच साल बाद में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ; जल्दी से जल्दी खोलने का विचार करेंगे।

श्री मोहब्बतसिंह : जल्दी से जल्दी कब ? एक साल बाद या दो साल बाद ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी से जल्दी, यह तो बिलकुल साफ शब्द है, मैं समझता हूं, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

जुलाई-अगस्त, ५७ के विद्यार्थी आन्दोलन में जयपुर नगर के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई—अगस्त के छात्र आन्दोलन में जयपुर नगर में विद्यार्थियों पर सर्व प्रथम लाठी चार्ज कब एवं किस स्थान पर हुआ था ?

(ख) इस लाठी चार्ज के समय कितने छात्र एवं कितने पुलिसमैन घायल हुए ?

(ग) लाठी चार्ज के आदेश किस अधिकारी ने दिये थे ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) दिनांक २७–७–५७ को राजस्थान सचिवालय के सामने।

(ख) लगभग १० विद्यार्थी और ५३ पुलिस के आदमी घायल हुए।

(ग) सिटी मजिस्ट्रेट जयपुर ने।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सचिवालय तक विद्यार्थी क्या शांत रूप से जुलूस में गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस वक्त रवाना होंगे शांत होंगे फिर एक्च्युअली अशान्त हो गये।

श्री जगदीशप्रसाद : सचिवालय तक तो शांत रूप से गये थे न ?

श्री रामकिशोर व्यास : लाठी चार्ज तो सचिवालय के सामने हुआ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी से विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलना चाहते थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुख्य मंत्री के पास जायं, वे यह चाहते थे; पर मुख्य मंत्री यहां नहीं थे।

श्री जगदीशप्रसाद : क्या यह सही है कि लाठी चार्ज का मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिलकुल गलत।

श्री जगदीशप्रसाद : लाठी चार्ज किसके आदेश से हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट के आदेश से।

श्री जगदीशप्रसाद : मजिस्ट्रेट के आदेश के पहले हुआ था कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं ?

श्री जगदीशप्रसाद : मजिस्ट्रेट का नाम क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर; नाम का क्या सवाल है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या मन्त्री महोदय वहां उपस्थित थे जब कि लाठी चार्ज हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी, मैं नहीं था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या मुख्य सचिव स्वयं घटना स्थल पर मौजूद थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे पहले आये या बाद में that I exactly ca'nt say.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं आदेश देकर लाठी चार्ज करवाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेडिकल कालेज खोलने की सरकार की योजना

२३१ **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(अ) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार की कोई मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है ? अगर हाँ, तो कहां और कब तक खोलने की योजना है ?

(ब) क्या बीकानेर में मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई मांग की गई है ? अगर हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री भीखाभाई (उप स्वास्थ्य मन्त्री):

(अ) द्वितीय पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ब) जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Page No.14

श्री भीमसेन : तो यह मेडिकल कमीशन किसलिये नियुक्त हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंक्शन आने पर मेडिकल कॉलेज खोला जायगा ।

श्री भीमसेन : ऐसी कोई योजना है कि नहीं, मेरा प्रश्न यह है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया को लिखा है कि सेंक्शन दे दें । तो जब तक सेंक्शन नहीं आ जाती तब तक नहीं खोला जा सकता ।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी कोई योजना है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि पंच वर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना नहीं है । राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, हैल्थ कॉन्फ्रेंन्स में प्रस्ताव रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर सहानुभूति से विचार किया और स्थान की जांच के लिये कमेटी नियुक्त की, कमेटी कल दौरा करने वाली है ।

श्री भीमसेन : योजना नहीं है तो कमेटी किसलिये नियुक्त की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्लान से एकस्ट्रा है, प्लान से अलग है, इसलिये कमेटी मुकर्रर हुई । कमेटी आ गई है, जांच हो रही है, रिपोर्ट आने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंक्शन आने पर खोला जायगा ।

श्री जनार्दनराय नागर : कुछ ही स्थानों के लिये सरकार ने कहा है; कौन कौन से स्थानों पर कमेटी को दौरा करने के लिये सरकार ने कहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीकानेर और जोधपुर की स्थिति को देखने के लिये ?

श्री जनार्दनराय नागर : केवल दो ही स्थानों पर क्यों भ्रमण करेगी, अन्य स्थानों पर क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन दो स्थानों का क्लेम ही सरकार के सामने था ।

श्री उपाध्यक्ष : नेकस्ट ।

श्री भीमसेन : एक सवाल मेरा और है । आयुर्वेदिक कॉलेज और कृषि कॉलेज खोलते समय कमीशन नियुक्त करना उचित नहीं समझा गया तो फिर मेडिकल कॉलेज खोलते समय यह क्यों उचित समझा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्प्यूट था दो स्थानों का, कौन सी जगह खोलना उचित है इसलिये कमेटी मुकर्रर की ।

श्री भीमसेन : डिस्प्यूट तो कृषि कॉलेज के खोलने के बारे में भी था कि गंगा नगर में खोला जाय या उदयपुर में, फिर भी उस बारे में कमीशन मुकर्रर नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कृषि कॉलेज के बारे में मुझे नहीं मालूम ।

श्री जगदीशप्रसाद मथुर : राजस्थान सरकार ने, केबिनेट ने भी कभी कभी सोचा है, विचार किया है कि कहां खोलना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कमेटी की रिपोर्ट आने पर सोचेगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकार स्वयं भी तो अपनी राय बना सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्सपर्टस की राय ली जा रही है ।

श्री चन्दनमल वैद : केवल जोधपुर और बीकानेर ही . . .

श्री उपाध्यक्ष : Next, no question.

श्री जनार्दनराय नागर : My Submission is that it is important.

श्री उपाध्यक्ष : I disallow it. Next.

पंजाब व राजस्थान सरकार में जालन्धर अम्बाला एवं जोधपुर रीजन में पब्लिक कैरियर चलाने के लिए समझौता

२३२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच जालन्धर अम्बाला एवं जोधपुर रीजन में पब्लिक कैरियर चलाने की दृष्टि से 'रेसिप्रोकल एरेंजमेंट्स हुये हैं।

(ख) अम्बाला-जोधपुर रीजन में व जालंधर-जोधपुर रीजन में क्रमशः कितने कितने व्यक्तियों ने परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिए तथा कितने कितने व्यक्तियों को परमिट दिये गये ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां।

(ख) अम्बाला जोधपुर रीजन के लिए ३६ व्यक्तियों के आवेदन पत्र दिये जिनमें से १५ व्यक्तियों को पर्मिट दिये।

जालंधर जोधपुर रीजन के लिए १६४ व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से ६० को पर्मिट दिये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद : क्या राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच समझौता हुआ था कि इतने पर्मिट देने हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितने अपने नम्बर थे वे आये अपने हिस्से में पर्मिट आये, वे दे दिये गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन ६० लोगों को पर्मिट दिये हैं वे कितने महीनों के लिए दिये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन-तीन महीने बराबर चलाने के लिए इजाजत दी।

श्री जगदीशप्रसाद : क्या यह सही है कि केवल १५ व्यक्तियों ने ही गाड़ियां चलाई और बाकी के लोगों के नाम पर पर्मिट लिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है। सब की अलग-अलग गाड़ियां हैं और अलग २ रजिस्ट्रेशन नम्बर है। ६० व्यक्तियों को पर्मिट दिया गया। १५ व्यक्तियों की गाडियां तीन महीने तक और फिर दूसरे १५ व्यक्तियों की और इस तरह से तीन तीन महीनों तक सब की गाड़ियां चलीं।

श्री जगदीशप्रसाद : क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस समय पर्मिट दिया गया था उस समय बहुत से व्यक्तियों के पास गाड़ियां नहीं थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग बात है। मगर फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब किसी को हम पूछते हैं तो वे कहते हैं कि गाड़ियां उनके पास हैं। अब इसका पूरा जवाब तो मैं ऑफ हैंड कैसे दे सकता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद : क्या ऐसे लोगों को पर्मिट दिये गये जिनके पास गाड़ियां नहीं

Page No.16

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

थीं ? और उन लोगों को पर्मिट नहीं दिये गये जिनके पास गाड़ियां थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो हो सकता है, यह तो उनके डिस्क्रीशन का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री जगदीशप्रसाद : डिस्क्रीशन किस कदर लिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जुडिशियल होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

इन्डस्ट्रीज़ के लिए बिजली की दर

२३३. **श्री गिरधारीलाल (नोखा)** : क्या विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) इन्डस्ट्रीज़ के लिये बिजली की रेट प्रति यूनिट कितनी है ?

(ख) कृषि सम्बन्धी उत्पादनों के लिए काम में आने वाली बिजली की रेट प्रति यूनिट कितनी है ?

(ग) क्या यह सही है कि इन्डस्ट्रीज़ पर कृषि की अपेक्षा बिजली की रेट अधिक है ?

(घ) अगर हां, तो क्या सरकार कृषि पर रेट कम करने के बारे में सोच रही है ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) स्टीम स्टेशनों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर कोटा तथा श्री गंगानगर) पर जो इन्डस्ट्रीज़ २०००० यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करती हैं उनसे २ आना टेरिफ कोल क्लॉज (Coal Clause) सहित अर्थात् २ आना ×·०१५×२ (यार्ड पर कोयले की रेट (रूपयों में) क....३२) की दर से वसूल की जाती है । (ख) २०,००० यूनिट प्रतिमाह से कम उपयोग करने वाली इन्डस्ट्रीज़ से साधारण (General) रेट उपस्टेशन (बिजली घर) की प्रचलित (Normal) रेट तीन आने प्रति यूनिट वसूल की जाती है ।

(ग) डीज़ल स्टेशनों पर इन्डस्ट्रीज़ से नॉर्मल पॉवर रेट वसूल की जाती है ।

(ख) सरकारी बिजलीघरों में इस समय कृषि टेरिफ न होने के कारण साधारण पॉवर रेट वसूल की जाती है ।

(ग) इंडस्ट्रीज़ तथा कृषि के लिए पृथक टेरिफ न होने के कारण इसका प्रश्न ही नहीं उठता । साधारण पॉवर रेट ही जैसा कि प्रश्न (क) के उत्तर में बतलाया गया है वसूल की जाती है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री जगदीशप्रसाद : क्या यह सही है कि नेशनल बॉलबियरिंग फेक्ट्री को तीन पैसे पर युनिट बिजली दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : हां, यह सही है । एक्चुअल एमाउन्ट कितना है यह पता नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र : माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो उत्तर दिया उसमें दो आना प्रति युनिट बताया और आपने तीन पैसे प्रति युनिट बताया, इनमें से कौनसी बात ठीक हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों ठीक है ।

श्री सतीशचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने प्रश्न पूछा कि क्या नेशनल बॉलबियरिंग फैक्ट्री को ३ पैसा प्रति युनिट बिजली दी जाती है वह ठीक है या जैसा उप मन्त्री महोदय ने बताया कि २ आना प्रति यूनिट दी जाती है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह ठीक है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दोनों में कौनसी बात सही है?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों बातें सही हैं। इसमें मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर स्टेट के जमाने में स्टेट के साथ इनका एग्रीमेंट है, उसमें यह रेट फिक्स्ड है। बाकी दूसरों में २०,००० यूनिट से ऊपर २ आने की बात है। कोवेनेन्टिंग स्टेट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसको थोड़ा रेस्पेक्ट करना पड़ता है। जनरल रूल बने हैं, वे २० हजार से ऊपर के लिये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर स्पिनिंग मिल ...

(एक साथ दो-तीन सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : One at a time please.

श्री जनार्दनराय नागर : क्या पुराने जमाने में एग्रीमेंट हुआ उसकी कोई सीमा है कि अवधि के बाद में यह रेट ली जावेगी या कयामत तक इसी को जारी रखा जावेगा?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि धौलपुर में भी ग्लास फेक्ट्री है और वहां पर भी २० हजार युनिट से ज्यादा खर्च होता है मगर उनको यह फेसिलिटी नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर ऐसा है तो होगा।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नही होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

प्रश्न संख्या २३५

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अपने प्रश्न में आर. जे. एल. ६६५ पूछा था, मगर इसमें लिखा है आर.जे. एल. ६५५। इसलिये इसका उत्तर अभी रोक दिया जाए क्योंकि अभी मन्त्री महोदय इसका उत्तर 'ना' में दे देंगे, आप देख लें।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं बीच में रह गया। मेरा प्रश्न २३४ रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरंभ में भी रह गये थे। अब ले लेते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, I am in possession of the House and I have got to reply.

श्री श्रीभानसिंह : You are wrongly in possession of the House.

श्री उपाध्यक्ष : He is rightly in possession of the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो नम्बर दिया गया है उसका जवाब यदि आप चाहते हैं तो दे सकता हूं। यदि गलती से छूट गया है तो यह मेरी गलती नहीं है। आपके पास प्रश्न पहले भेज दिये गये थे, आपको दो तीन दिन पहले इसको बता देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : I have got the cure of the defect now.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने अपने प्रश्न में ६६५ लिखा था।

श्री उपाध्यक्ष : It is 995. Correct version will be sent.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जावेगा?

Page No.18

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

सन् १६५० - ५१ से अब तक सरकार के सम्मुख प्रस्तुत औद्योगिक विवाद

२३४ **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५०--५१ से अब तक प्रति वर्ष कितने औद्योगिक विवाद सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुए ?

(२) इनमें से कितने प्रार्थियों तथा कितने प्रत्यार्थियों के हित में निर्णित हुए ?

(३) निर्णीत में से कितने कार्यान्वित नहीं हो सके और उनके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : राजस्थान में सन् १६५०-५१ से जो औद्योगिक विवाद सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुए उनका विवरण परिशिष्ट (अ) में संलग्न है। सन् १६५०–५१ की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(३) ऐसी कोई शिकायत अभी तक इस विभाग के सम्मुख नहीं आई।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे जो प्रश्नों की सूची मिली है वह असन्तोषजनक है और कुछ समझ में नहीं आता। मैं यह जानना चाहता हूं कि १६५३ में १५ इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट को रेफर किये, मगर उनमें से एक का भी फेसला नहीं हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद : यह इन्डट्रियल ट्रिब्युनल को भेजे गये और उसमें देर लगी और फैसला नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : १६५४ में नम्बर ऑफ डिस्प्यूट एवार्ड ४ बताये। मैंने पूछा कि कितने मजदूरों के अहित में हुए। आपने यह बताया कि इन चार में से एक पार्शियली मजदूरों के हित में हुआ। दूसरे मजदूरों के हित में हुए या अहित में हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६५४ में ११ केसेज़ रेफर किये गये, ४ का एवार्ड दिया गया, दो केसेज़ में एवार्ड प्राइवेट सेटलमेंट से हुआ और उसके बाद एक एवार्ड पार्शियली वर्कमेन्स के फेवर में हुआ; ये सब बातें लिखी हैं, आप देख लें।

श्री तनसिंह : अब कितने केसेज़ ट्रिब्युनल के पास पेन्डिंग हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आपका प्रश्न नहीं था। यह आप अलग पूछें तो बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३५

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन स्तर

२३६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, बिजली विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की बिजली विभाग में तनख्वाह व मंहगाई की क्या ग्रेड निर्धारित है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों को क्या तनख्वाह मिलती है ?

(३) ग्रेड के माफिक तनख्वाह व एलाउन्स किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों को नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सन् १९५३ से किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदारों के मंहगाई भत्ते में कटौती कर दी गई है ?

(५) यदि हां, तो क्यों ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(१) जमादार एवं दफ्तरियों का ग्रेड ६० ३०-१-५५ तथा अन्य अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के २५-१-४० हैं। मंहगाई-भत्ते की दर २० रु० प्रति माह है।

(२) इस समय किशनगढ़ पॉवर हाउस के चौकीदार को २५ रु० वेतन एवं २० रु० मंहगाई भत्ता, कुल मिला कर ४५) रु० मिलते हैं।

(३) राजस्थान सिविल नौकरियों (वेतन एकीकरण) नियमों के अनुसार चौकीदार का फिक्सेशन न होने के कारण।

(४) हां।

(५) राजस्थान सरकार ने सन् १९५०-५१ में मंहगाई भत्ते की दर ३९ रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये १५ रु० प्रति माह निश्चित की। किशनगढ़ में यह दर प्राइवेट कम्पनी के समय में ही २० रु० थी, अतः महालेखापाल (ए०जी०) के एतराज किये जाने पर भत्ते की दर में कटौती कर देनी पड़ी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तनख्वाह में कटौती करने का क्या कारण था और कितनी कटौती की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार के युनिफिकेशन ऑफ पे स्केल में १५ रु० थे। वह आदमी पहले ही २० रु० ड्रॉ करता था। ए० जी० ने एतराज किया कि आप इसको २० रु० किस बेसिस कर देते हैं, इसलिये काटा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

हनुमानगढ़ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड द्वारा खर्च की गई धन-राशि

२३७. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) हनुमानगढ़ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड का उद्घाटन किस तिथि को हुआ और अब तक किस सीगे में कितनी रकम किस गांव में खर्च हुई और क्या कार्य हुआ ?

(ख) क्या यह रकम ग्राम पंचायतों की मार्फत दी जाती है या व्यक्तिगत या सलाहकार समिति की सिफारिशों पर ?

(ग) सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या क्या है और ये किस आधार पर लिये गये हैं ?

(घ) क्या इसमें कोई विधान सभाई सदस्य भी हैं ? यदि हां, तो कौन कौन हैं ?

सामुदायिक विकास योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हनुमानगढ़ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड का उद्घाटन २ अक्टूबर १९५६ को हुआ था। अब तक निम्नलिखित मदों में अंकित रकम उनके सामने लिखे गये कार्यों पर व गांवों में खर्च हुई है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

क्रमांक	नाम मद	रकम जो खर्च हुई नोन रेकरिंग	रेकरिंग	कार्य एवं ग्राम जिन पर रकम खर्च हुई	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
		१९५६–५७			
१–	एग्रीकल्चर ए०एच० एक्सटेन्शन	३७०४	८३६	कृषि औजार, वैटरनरी मैडीसिन	
२–	शिक्षा	५००	७९८	स्कूल इमारत, नूरपुरा दानी ।	
३–	समाज शिक्षा	–	१६७०	प्रौढ़ कक्षा में ग्राम सेवक स्थानों पर:— १. रोरावली ६. सादुलशर २. नुकेरा ७. पक्का सरना ३. घावा ८. पीर कामरिया ४. नगराना ९. मक्कासर ५. विरुवाला १०. डबली	
४–	हैल्थ और रूरल सैनीटेशन	६३००	१०००	डिग्गी चिस्तीयां, तख्तहजारा, डबली, जन्डवाली और पीरकामरिया—हैन्ड पम्प और गांवों को	
५–	कम्युनीकेशन	२०००	–	दवाइयां औजार	
		१२५०४	४३०४ = १६,८०८ रु०		
		पी० लोन्स एण्ड एडवान्स ५०००) रु० डिग्नावाली			
		१९५७–५८			
१–	एग्रीकल्चर ए०एच० एक्स्टैन्शन	९३६	८२५	डिमोन्स्ट्रेशन इक्युपमेंट और वैटरनरी मैडीशन	
२–	शिक्षा	४०००	–	स्कूल इमारत—कोला, मालारामपुरा, नुकेरा, मोरजन्ड, सिलान ।	
३–	समाज शिक्षा	५९४	११५२	प्रौढ़ कक्षायें ग्राम सेवक स्थानों पर:— १. रोरावली ६. सादुलशर २. नुकेरा ७. पक्का सरना ३. घावा ८. पीर कामरिया ४. नगराना ९. मक्कासर ५. विरुवाला १०. डबली	
४–	हैल्थ और रूरल सैनीटेशन	१४००	५४४	डिग्गी और हैंड पम्प भाकरावाली और पीरकामरिया	
५–	कम्युनीकेशन	१३०	–		
६–	हाउसिंग	१२८०	–	ग्राम सेवक स्थान रोड़ावाली	
		८२४३	२५२१ = १०७६४		
		पी० लोन्स एन्ड एडवान्स ७०००) रु० कमरानी			

Page No.21

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) यह रकम ग्राम पंचायतों एवं ग्राम विकास मंडलों को सलाहकार समिति की स्वीकृति से दी जाती है।

(ग) सलाहकार समिति में सदस्यों की संख्या ५० है। इनका आधार गैर सरकारी एवं सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को लिया जाना है। गैर सरकारी सदस्यों में सरपंच ग्राम पंचायत, प्रधान नगरपालिका, सामाजिक कार्यकर्ता, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधान सभा एवं लोक सभा सदस्य लिये जाते हैं।

(घ) हां। श्री श्योपत सिंह, मक्कासर इसमें हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या यह ब्लॉक दूसरे विधान सभाई सदस्यों के भी क्षेत्र में आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री धर्मपाल पंवार : यह जो कोल गांव है क्या यह भी इसी तहसील के क्षेत्र में आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हो सकता है। मैंने अर्ज किया न कि आपने जानकारी गांवों के बारे में नहीं मांगी थी कि गांव कहां लगते है ?

श्री धर्मपाल पंवार : मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में इसका काफी काम आता है और मुझे इसकी सूचना तक नहीं दी जाती कि कब इसकी मीटिंग होती हैं और क्या क्या काम होता है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

चाकसू से लालसोट तक की सड़क का ठेका

२३८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चाकसू से लालसोट की सड़क का ठेका किन किन ठेकेदारों को कब से कब तक के लिए दिया गया था ?

(२) अवधि पूर्ण होने पर भी कार्य पूरा न होने पर ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(३) उपरोक्त सड़क का काम कब तक पूर्ण होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची संलग्न है।

(२) नोटिस ठेकेदारों को दिए गये हैं और एग्रीमेन्ट के मुताबिक देरी के लिए ठेकेदारों पर जुर्माना होगा।

(३) सन् १९५८-५९ के अन्त तक कार्य पूर्ण होने की आशा है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उक्त सड़क का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, वही ठेकेदार जुर्माना अदा करने पर करेगा। उसके बाद भी नहीं करेगा तो जो उचित कार्यवाही होगी वह सरकार करेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज़ कर दी गई है ?

Page No.22

श्री नाथूराम मिर्धा : पैनल्टी इम्पोज़ करने की कार्यवाही अभी जारी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पैनल्टी इम्पोज़ करने की कार्यवाही कब से जारी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़े ही समय से, तीन-एक महीने हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक चलेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़े ही समय।

सरकार द्वारा बयाना टाउन में बिजलीघर चालू करने की योजना

२३६. **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की बयाना टाउन में बिजली घर चालू कराने की योजना है ?

(ख) क्या भरतपुर पॉवर हाउस से बयाना टाउन को वाया उच्चैन करेन्ट दिया जा सकता है ?

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या खर्चा पड़ेगा ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) बयाना का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आता है। बयाना का लोड सर्वे तथा इन्वेस्टीगेशन हो जाने पर जिसका ऑर्गेनाइज़ेशन विचाराधीन है, यदि यह लाभप्रद सिद्ध हुआ तो विद्युतीकरण किया जायेगा।

(ख) यह लोड सर्वे तथा इन्वेस्टीगेशन हो जाने के बाद ही कहा जा सकता है।

(ग) यह लोड सर्वे तथा इन्वेस्टीगेशन हो जाने के बाद ही कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, नोखा में आज तक खर्च की गई धन राशि

२४०. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नोखा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड कब खुला तथा उसमें आज तक प्रति वर्ष कितना धन किन किन मदों पर खर्च किया गया ?

(२) क्या प्रति वर्ष पूरी निर्धारित रकम खर्च की गई है ?

(३) यदि नहीं, तो प्रति वर्ष कितनी कितनी रकम लैप्स हुई तथा इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

(४) कुल व्यय में अधिकारियों के दौरे के व्यय का अनुपात क्या है ?

सामुदायिक विकास योजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) नोखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड अक्टूबर १९५५ में खुला था।

सालाना खर्च निम्नप्रकार है:—

सन् १९५५–५६ में	११,९८६) रु०
सन् १९५६–५७ में	८६,१६१) रु०

और इस वर्ष अगस्त सन् १९५७ तक ४१,३६१) रु० हुआ। कुल योग १,३९,५०८) रु०।

(२) नहीं।

(३) निम्नलिखित रकम का उपयोग नहीं किया जा सका:—

१९५५–५६	–	४३,०४९) रु०
१९५६–५७	–	२२,३३३) रु०

Page No.23

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

परन्तु कृषि, स्वास्थ्य तथा समाज शिक्षा में स्वीकृत बजट से ४१,१८४) रु० अधिक खर्च हुए हैं, जिसकी स्वीकृति रिवाइज्ड बजट से ली गई। इस तरह कुल रकम जो उपयोग में नहीं लाई जा सकी वह २७,१४६) रु० है। विकास खंडों में पहले साल की बचत की रकम आने वाले दूसरे साल में काम में ले ली जाती है, लैप्स नहीं होती। १९५७-५८ वित्तीय वर्ष चल ही रहा है, इसलिए इसके लिए पहले ही से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इसका उत्तरदायित्व किसी खास अधिकारी पर नहीं क्योंकि कम खर्च होने के कारण उचित है।

(४) कुल व्यय के मुकाबले में दौरे के व्यय का अनुपात २१ : १ है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

धार्मिक प्रथा वर्षोत्सर्ग के नाम पर बेकार बछड़ों व सांडों को छोड़ने पर रोकथाम

२४१. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार के ध्यान में है कि धार्मिक प्रथा वर्षोत्सर्ग के नाम पर जो बेकार बछड़े-सांड छोड़ दिए जाते हैं गौवंश के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं और गौसम्वर्द्धन में बाधक हैं ? अगर हां, तो उनकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण): बेकार बछड़े जो सांड छोड़ दिये जाते हैं गौसम्वर्द्धन के लिए बाधक हैं। सरकार इस कुप्रथा को रोकने के लिए पशु उन्नति कारक कानून (लाइवस्टोक इम्प्रूवमेंट एक्ट) बना रही है। यह कानून धारा सभा की मान्यता के लिए भेजा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार के विचाराधीन सरकारी सांड छोड़ने को योजना है ?

श्री दौलतराम : यह तो पहले से ही चल रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने सरकारी सांड छोड दिए गए हैं ?

श्री दौलतराम : गैरसरकारी इन्तजाम किया जायगा, कानून लाया जा रहा है।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : कानून बनाने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री नथूराम मिर्धा : असेम्बली में रख दिया है।

किशनगढ़ नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर के विरुद्ध शिकायतें

२४२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किशनगढ़ नगरपालिका में एडमिनिस्ट्रेटर के स्थान पर कौन कब से काम कर रहे हैं ?

(२) उक्त एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ स्वायत्त शासन मंत्री, डाइरेक्टर, लोकल बोडीज़ और कलेक्टर अजमेर के पास कब कब किशनगढ़ की जनता की तरफ से शिकायत व आवेदन-पत्र पेश किए गए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) किशनगढ़ नगरपालिका में

Page No.24

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

एडमिनिस्ट्रेटर के स्थान पर श्री शिवराम जैन, सब-डिवीजनल ऑफिसर किशनगढ़ ने दिनांक २८-३-५७ से ३-६-५७ तक कार्य किया व दिनांक ४-६-५७ से श्री प्रतापनारायण सिंगल कार्य कर रहे हैं।

(२) कलेक्टर अजमेर के पास एक, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के पास दो शिकायती पत्र क्रमश: ८-७-५७, २६-६-५७ व ८-७-५७ को प्राप्त हुए। स्वायत्त शासन मंत्री को एक आवेदन दिनांक १२-१०-५७ को प्राप्त हुआ। कलेक्टर अजमेर के पास जो शिकायत की गई थी वह चुनाव जल्दी कराने के विषय में थी क्योंकि चुनाव कराने का कार्यक्रम बनाने का आदेश जिलाधीश द्वारा पहले ही दे दिया गया था इसलिए उस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्वायत्त शासन विभाग तथा डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ के कार्यालयों में जो पत्र प्राप्त हुए उन पर प्रशासक नगरपालिका किशनगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई है, और उत्तर आने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो शिकायत आपके पास आई वह किस संबंध में थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके विषय में अब सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वहां पर नये चेयरमेन का इलेक्शन हो चुका है

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि भारत की लोकसभा के विरोधीपक्ष के नेता श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी की फोटो जो कि पहले नगरपालिका ने लगाई थी और उसको एडमिनिस्ट्रेटर ने उतरवा दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस पत्र में जो शिकायत थी उसमें इस बात का उल्लेख ही नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सरकार विरोधीदल के नेताओं के संबंध में जो इस तरह की बात की जाती है उसकी जांच करवायेगी कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने खुद नहीं देखा है कि शिकायत क्या है, उस पत्र में ऐसी कोई शिकायत भी नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब शिकायत कर रहे हैं।

बीकानेर के ग्रामीण-क्षेत्रों में सन् १६५७-५८ में सड़क बनाने का सरकारी प्रोवीजन

२४३. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सन् १६५७-५८ में कितनी माइल लम्बी सड़क बनाने का सरकारी प्रोवीजन था तथा अब तक इस कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : १५ मील ग्रेवल्ड और ८ मील गिट्टी की।

४ मील लम्बी सड़क बनी है।

श्री भीमसेन : कौन कौन सी रूट पर बनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर से लूनकरणसर ; यह अभी बनी है।

भीम के एक वकील के मुन्शी श्री शांति प्रकाश त्रिपाठी की अथून ग्राम में अकस्मात मृत्यु की जांच

२४४. **श्री फतहसिंह** (बूंदी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.25

(श्री फतहसिंह)

(क) क्या यह बात सही है कि भीम के एक वकील के मुन्शी श्री शांतिप्रकाश त्रिपाठी की तारीख ४ सितम्बर, १९५७ को आथून ग्राम में अकस्मात् मृत्यु हुई, उससे तीन दिन पहले तक वह लगातार उसी ग्राम मे भीम पुलिस स्टेशन के एस० एच० ओ० के साथ रहा था ?

(ख) क्या भीम पुलिस स्टेशन के एस० एच० ओ० ने उपरोक्त श्री शांतिप्रकाश का पोस्ट मॉर्टम उसकी मृत्यु के २४ घन्टे बाद कराया ? अगर हां, तो क्यों और उस पोस्ट मॉर्टम पर डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी ?

(ग) क्या पुलिस की ओर से मृतक शांतिप्रकाश के वारिसान एवं किसी भी संबंधी को उसकी अकस्मात् मृत्यु एवं पोस्ट मॉर्टम की कोई सूचना दी गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) थानाध्यक्ष (एस०एच० ओ०) भीम दिनांक २-९-५७ को आथून पहुँचा एवं श्री शांतिप्रकाश की मृत्यु पर्यन्त उसी मकान में ठहरा जहां कि शांतिप्रकाश ठहरा हुआ था ।

(ख) जी हां, श्री शांतिप्रकाश की मृत्यु के बाद एस० एच० ओ० खुद ब्यावर गया किन्तु वहां के मेडिकल ऑफिसर पोस्ट मॉर्टम के लिए आथून जाने के लिए राजी नहीं हुये । एस० एच० ओ० फिर भीम पहुँचा । वहां से वह तथा मेडिकल ऑफिसर ब्यावर रात के ८ बजे पहुंचे । रात को वे सब नहीं ठहरे, क्योंकि पोस्ट मॉर्टम रात को करना मुनासिब नहीं समझा, दूसरे दिन सुबह लगभग ९ से साढ़े १० बजे के दरमियान पोस्ट-मॉर्टम किया गया । मृत्यु का कारण अभी ज्ञात नहीं हो सका है । पेट का आंतरिक भाग २६-९-५७ को कैमिकल एग्ज़ामिनर के पास भेजा था जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है ।

(ग) जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री शांतिप्रकाश की मृत्यु कितने बजे हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह डेट तो मैंने बता दी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने क्या बताया ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुबह के वक्त की बात है ।

श्री मनोहर कोठारी : यह लोग साथ साथ क्यों गए थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : साथ नहीं गए थे, शांतिप्रकाश जहां ठहरा था वहीं यह भी थे ।

श्री मनोहर कोठारी : एस० एच० ओ० किस कारण गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : केसेज़ की इन्क्वायरी के लिए गया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पोस्ट मॉर्टम मेडिकल ऑफिसर से नहीं करवाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मृत्यु होने के बाद एस० एच० ओ०, ब्यावर खुद गया, ब्यावर में डॉक्टर था वह विलेज में जाने को तैयार नहीं हुआ ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या श्री शांतिप्रकाश के वारिसान को इत्तिला दी गई थी

(श्री मनोहर कोठारी)

और उनको मृतक का शरीर भी सौंपा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सौंपने के वक्त उनके मुन्शी श्री पन्नालालजी थे और मृतक का शरीर उनको सौंप दिया गया था। उनकी जो स्त्री थी वह दिल्ली में कहीं रहती थी। उनका भाई बाहर था, उनको भी इत्तिला दी गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व नरेशों को दिये गये जंगल

२४५. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देंगे :-

(१) राज्य सरकार ने भूतपूर्व नरेशों को कितने कितने व कौन कौन से जंगल दिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि डूंगरपुर महारावल को अन्य नरेशों से अधिक जंगल मिले हैं और वे उन जंगलों के अन्दर की भूमि को मय जंगल के बेच रहे हैं ?

(३) क्या यह सच है कि डिमिया नाम के जंगल पर उक्त महारावल का कोई अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो फिर वे अपना समझ कर उस जंगल को बेच रहे हैं ?

(४) क्या सरकार यह बतायगी कि उनके पास कितने एकड़ के तथा कौन कौन से जंगल हैं ?

(५) क्या सरकार भूतपूर्व नरेशों से व्यक्तिगत जंगलों को अपने अधीन में लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं, ऐसी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(४) जंगल राजधानी १३५८६ एकड़
जंगल पाली सोडा ४८६८ एकड़
जंगल बेला सरेज ५२५ एकड़
श्री सोहन बीड़ २०० एकड़

(५) जी नही, अभी यह प्रश्न सामने नहीं आया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल क्या अब भी जंगल भूतपूर्व नरेशों के कब्जे में हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जंगल जो भी भूतपूर्व नरेशों के कब्जे में हैं वे किसी एग्रीमेंट के मुताबिक दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : जो व्यक्तिगत संपत्ति में हैं उनको वापिस लेने का सरकार कब तक इरादा करती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने इसका जवाब दे दिया है।

रूपवास तहसील में नमक बेचने का ठेका

२४६. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या खाद्य व रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रूपवास तहसील में नमक बेचने का ठेका कब व किसको दिया गया ?

(ख) अब तक कितना कोटा तहसील में अलोट हुआ है ?

(ग) क्या उपरोक्त तहसील की जनता को बराबर नमक मिलता रहा ?

(श्री श्रीमानसिंह)

(घ) क्या सरकार के पास जनता को नमक न मिलने के रिप्रेज़ेन्टेशन्स पेश हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कदम उठाये गये और इस असुविधा को दूर करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य व रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) रूपवास तहसील में मेसर्स कुंजीराम नन्दराम भरतपुर के द्वारा ३ वेगन नमक वितरण के लिये पहुँचाया गया। रूपवास तहसील के किसी व्यापारी के नाम लौटरी न निकलने के कारण दिनांक २२-८-५७ को उक्त व्यापारी को जिसके नाम लौटरी निकली थी ३ वेगन नमक रूपवास पहुंचाने को अलोट किया गया था।

(ख) ऊपर बताये मुताबिक अब तक ३ वेगन ज़ोनल कोटे का नमक वहां पहुंच चुका हैं और इसके अलावा ५ वेगन फ्री सेल कोटे का (सांभर साल्ट ट्रेडर्स द्वारा) भी वहां पहुँचाया गया है। इस प्रकार कुल ८ वेगन पहुंच गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) रूपवास के नमक के व्यापारी तथा कुछ निवासियों ने नमक की कमी होने का रिप्रेज़ेन्टेशन किया था उस पर जानकारी प्राप्त करने पर रिपोर्ट मिली है कि इस समय रूपवास तहसील में नमक वितरण की व्यवस्था बहुत सन्तोषप्रद है, बल्कि वहां के नमक विक्रेताओं की शिकायत है कि नमक का स्टॉक बहुत पड़ा है और उठ नहीं रहा है।

मदनगंज से किशनगढ़ एवं गणेश चौक से सरवाड़ी तक की सड़क की दुर्व्यवस्था

२४७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मदनगंज से किशनगढ़ शहर तक की सड़क और गणेश चौक से सरवाड़ी दरवाजा तक की सड़क की हालत बहुत खराब है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत कराने के लिये जनता ने कई आवेदन-पत्र पेश किये हैं ?

(३) यदि हां, तो उक्त सड़क की अब तक मरम्मत नहीं होने का कारण क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) मामूली खराब है।

(२) जी हां

(३) बहुत कुछ मरम्मत कराई गई है, वित्त की कमी के कारण पूरी मरम्मत नहीं हो सकी।

प्रश्न संख्या २१६.

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

पुलिस व जेल के सिपाहियों का पहरा देने का समय तथा उनका वेतन

२१८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पुलिस व जेल के सिपाहियों से, जिन्हें पहरा देना पड़ता है, कितने घंटे तक की ड्युटी ली जाती है तथा इन्हें अलग अलग कितना वेतन-भत्ता और अन्य सुविधायें दी जाती हैं ?

Page No.28

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : पुलिस के सिपाहियों को, जिनको पहरा देना पड़ता है, २४ घंटों में ८ घंटे ड्यूटी देना पड़ती है, ४ घंटे दिन को व ४ घंटे रात को।

जेल के अधिकारियों को ६ घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, ६ घंटे दिन में तथा ३ घंटे रात्रि में।

इनका ग्रेड ३०-१-५० है। जो मिडिल पास हैं, उन्हें पांच रुपया ज्यादा और लाइन्स में जो खाना खाते हैं उनको तीन रुपये मेस अलाउन्स दिये जाते हैं।

श्री तनसिंह : पुलिस के सिपाहियों को ८ घंटा और जेल के सिपाहियों को ६ घंटा पहरा देना पड़ता है, यह भेद क्यों?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पहले से ही चला आ रहा है।

श्री तनसिंह : यह पहले जो चला आ रहा है क्या उसको बदलने का विचार भी किया जायगा या ऐसे ही चलते रहने दिया जायगा?

श्री रामकिशोर व्यास : We will consider it.

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में १६५० से अब तक बांध सम्बन्धी योजना

१. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में १६५० से अब तक कितने बांध टूटे हैं?

(ख) उनकी मूल लागत क्या थी?

(ग) उनके टूटने से सरकार को क्या नुकसान हुआ?

(घ) इनमें से कितने बांध की पुनः मरमत की गई और उस पर कुल क्या खर्च पड़ा?

(ङ) कितने बांध अभी तक वापिस नहीं बन सके हैं और उसके क्या कारण हैं?

(च) बांधों के टूटने से जो जानमाल का नुकसान हुआ उसके लिए क्या सरकार द्वारा किसी को मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो कितना और नहीं तो क्यों नहीं।

(उत्तर अनुपलब्ध)

राजस्थान सरकार द्वारा चालित बिजलीघर

२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने बिजली घर सरकार द्वारा चलाये जाते है?

(ख) इनमें से सन् ५२ से अब तक प्रति वर्ष किस बिजलीघर पर कितना घाटा रहा?

(ग) कृपया घाटे के संक्षिप्त कारण भी बतावें।

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) राज्य सरकार द्वारा २१ बिजलीघर चलाये जा रहे हैं।

(ख) घाटे का स्टेटमेंट संलग्न है। घाटा होने के निम्नलिखित कारण है :

(१) भूतपूर्व शासक राजाओं ने खर्चे का कोई विचार न रखते हुए अपने राज्यों

Page No.29

(श्री रामकिशोर व्यास)

की सुन्दरता को बढ़ाने हेतु शहरों में विद्युत गृहों का निर्माण किया था, इन विद्युत गृहों में लगाई गई प्राय: सभी मशीनें पुरानी व जर्जरित अवस्था में थी जिसके फलस्वरूप इनमें तेल व कोयले आदि की खपत व मरम्मत का खर्चा अधिक मात्रा में आता है।

(२) अप्रत्यक्ष खर्चे जैसे केपिटल पर ४ रु० प्रति सैकड़ा प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और घिसाई के खर्चे एक्सपेन्डीचर के प्रत्यक्ष खर्चों में जोड़ दिये जाते हैं।

(३) नगरपालिकाओं, रेलवे और उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर पॉवर की सप्लाई करना।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

राजस्थान में व्यापारिक आधार पर चलने वाले वाटर वर्क्स

३. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री नम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितने वाटर वर्क्स कॉमर्शियल बेसिस पर चलाये जाते हैं ?

(ख) इनमें से कितने घाटे में चलते हैं और उनका प्रतिवर्ष क्या घाटा रहा है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

बाड़मेर स्थित जलबोर्ड द्वारा प्रदत्त धन-राशि

४. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

बाड़मेर स्थित जलबोर्ड ने बाड़मेर व शिव तहसील में पीने के पानी के लिये कूओं तालाब व टांकों के लिए कब, किसको और कितना रुपया दिया।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बाड़मेर के जलबोर्ड ने बाड़मेर व शिव तहसील में पीने के पानी के लिये कूओं, तालाबों व टांकों पर जितना रुपया खर्च किया उसकी सूची संलग्न है। जिन २ महानुभावों को यह रुपया दिया गया उनकी सूचना एकत्रित की जा रही है और तैयार होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

१२.१ म०प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री रामेश्वरदयाल ने १४ नवम्बर से २२ नवम्बर, १९५७ तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.२ म०प०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर का सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : Shri Jagdish Parsad Mathur has submitted a notice

(श्री उपाध्यक्ष)

of the breach of privilege. I give my consent to the notice so submitted by Shri Mathur pertaining to the breach of privilege.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज राजस्थान विधान सभा के सामने एक प्रिविलेज का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Before you commence I may draw your attention to Rule 58, "......while asking for leave to raise the question of privilege make a short statement relevant thereto."

You will Please, therefore, make a short statement relevant thereto.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं राजस्थान विधान सभा के सम्मुख एक प्रीविलेज का प्रस्ताव उपस्थित करने जा रहा हूं; यह प्रस्ताव हमारे सदन की मानहानि का है । हमारे कुछ अधिकारियों का यह रवैया रहा है कि हमें जो संविधान द्वारा अधिकार दिये गये हैं उनका जान-बूझ कर उल्लंघन किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, परसों की बात है, मैं जयपुर नगर में सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा जो विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसको अपने कुछ मित्रों के साथ देखने गया । प्रदर्शनी के बाहर जहां टिकट बिका करते हैं वहां जो वातावरण देखा वह अजीब वातावरण था; प्रतीत नहीं होता था कि वास्तव में टिकट कौन बेच रहा है ? उसके बाद जब प्रदर्शनी में हम घुसते हैं तो हमें कुछ स्टॉल्स नजर आती हैं जो कुछ सरकार द्वारा भी लगायी हुई हैं, प्रत्येक स्टाल के लिये स्टाल के मालिक को फ्री पास दिया हुआ है । एक तरफ तो दो आने में टिकट मिलता है और बाहर पुलिस वालों का भी पहरा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : Is it relevant to this motion ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : I am just coming to that, Sir. Don't be impatient.

वहां पर टिकट बिकते हैं उसमें एक आने में पास भी बिकता है, जो प्रदर्शनी देख कर लौटा देना होता है.........

श्री उपाध्यक्ष : I feel that this is not relevant to the question. While coming to the main question you need not elaborate irrelevant things.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : टिकट लेकर जब मैं प्रदर्शनी में गया तो दरवाजे के सामने एक स्टाल लगी थी और उसका शीर्षक था 'हमारा राजस्थान' । राजस्थान के सम्बन्ध में एक परिचयात्मक दिग्दर्शन उस स्टाल में कराने का प्रयास किया गया था । तो जब मैं उसमें घुसा तो कुछ लोग वहां लगे कुछ चित्रों के सामने खड़े उन्हें देख रहे थे और हंस रहे थे । उनको हंसते देखकर मैं भी जब उधर गया तो वहां मैंने देखा कि वे चित्र राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के थे और उन की दांई ओर एक लाल पेंसिल से शीर्षक लगा था और वह शीर्सक था 'चोर मंडली' । मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यह 'चोर मंडली' राजस्थान में कहां से आ गई कि जिस 'चोर मंडली' के चित्र यहां प्रदर्शित किये जा रहे हैं ! मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह 'चोर मंडली' जो थी उसके नीचे राजस्थान

Page No.31

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विधान सभा के सदस्यों की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें हमारे प्रान्त के मुख्य मन्त्री महोदय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया का भी चित्र था; उनका ही नहीं, हमारे गृह मन्त्री का भी चित्र था और इसके अतिरिक्त और भी करीब करीब सभी विधान सभा के सदस्यों के चित्र थे। मैंने सोचा कि विधान सभा के सदस्यों की चित्रावली को 'चोर मंडली' का शीर्षक किसने दे दिया ? चित्रावली के चारों ओर देखने पर मालूम हुआ कि इस 'चोर मंडली' के अतिरिक्त वहां और कोई शीर्षक वहां के संयोजक के द्वारा नहीं दिया हुआ था। केवल उस चित्रपट पर एक नाम था 'चोर मंडली, मुझे आश्चर्य हुआ यह नाम देखकर। 'राजस्थान विधान सभा के सदस्य' शीर्षक होने के स्थान पर यह शीर्षक दे दिया सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने और इस पर वहां पर जितने लोग खड़े थे, सब हंस रहे थे मुझे इससे बड़ा दुख का अनुभव हुआ। राजस्थान विधान सभा इस प्रान्त के लिये एक सार्वभौम संस्था है। इसको सार्वभौमिकता का यह अधिकार देश के संविधान ने दिया है। इस तरह से यह इस प्रान्त की सर्वोच्च संस्था है। इस संस्था का इस तरह से अपमान हो, सार्वजनिक संपर्क कार्यालय द्वारा आयोजित स्थल में, यह बड़े दुख की बात है। यह है हमारे राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की कार्यकुशलता का नमूना। हमारी सरकार क्या काम करती है, क्या नहीं करती, जन-हित के लिये उसकी क्या स्कीमें हैं और क्या नहीं हैं, किस दिशा में यह सरकार क्या काम करने जा रही है, इस सब की जानकारी जनता को सही रूप में समय समय पर देते रहने का काम इस सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का है। सदन के सदस्यों का परिचय राजस्थान के निवासियों को दिया जाय यह भी उसका काम है, इसमें शक नहीं। पर इस तरह से अगर वह यहां के सदस्यों का परिचय देता है तो लोग क्या समझेंगे ? यह एक राजस्थान प्रदर्शनी है, लोग प्रान्त के कोने कोने से, दूर दूर से, इसे देखने को आते हैं। वे अगर इन तस्वीरों को देखेंगे और 'चोर मंडली' का हैडिंग, तो उन सदस्यों के बारे में, जिनको चुन चुन कर उन्होंने यहां भेजा है, विधान सभा में, वे क्या सोचेंगे ?

इसके बाद कल की बात है यहां जबमैं आया तो कल मेरी अध्यक्ष महोदय से बात हुई, इस विधान सभा के सचिव महोदय से भी बात हुई और गृह मन्त्रीजी से भी बात हुई। फिर रात को वहां गया तो वहां मुझ को और भी आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वहां जहां 'चोर मंडली' लिखा था पेन्ट कर दिया गया है। 'चोर मंडली' को पेन्ट कर दिया, पर दूसरा नाम फिर भी नहीं दिया गया। उसको जरूर पेन्ट कर दिया गया, पर तब भी इस सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों की समझ में यह नहीं आया कि इसके एवज में क्या हैडिंग दिया जाय ? यह है हमारे सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का नमूना ? अब भी वे किसके चित्र हैं, यह नहीं बताया गया। वैसे यह सारी प्रदर्शनी इस विभाग के नियन्त्रण में चल रही है। वहां सरकार के कई अन्य विभागों ने अपनी २ स्टालें प्रदर्शित की हैं, जैसे वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आदि आदि, पर 'हमारा राजस्थान' नामक स्टाल सीधी सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के निर्देश के अन्तर्गत काम कर रही है, विशेष रूप से यह स्टाल उनके अन्तर्गत है। मुख्य अधिकारी इस विभाग के भी प्रदर्शिनी में घूम रहे थे। तो मेरा यह निवेदन है कि इस सार्वजनिक सम्पर्क विभाग ने इस प्रकार इस विधान सभा

Page No.32

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के सदस्यों की चित्रावली का हेडिंग 'चोर मंडली' देकर इस सदन की, उन समस्त सदस्यों की, प्रतिष्ठा को भंग किया है। इस विधान सभा के समस्त सदस्यों को एक 'चोर मंडली' का सदस्य बताया है, जिसको, मेरे अकेले के व्यक्तिगत मान-सम्मान की बात होती, तो मैं सहन कर सकता था, पर उन सभी सदस्यों का इस प्रकार उन्होंने अपमान किया है जो एक सार्वभौम संस्था के सदस्य हैं। इस तरह से इस विभाग द्वारा इस सदन का अपमान हुआ है जो सहने योग्य नहीं है किसी भी तरह से। यह विभाग के अधिकारी दोषी हैं, इस सदन की मानहानि करने के। इस सम्बन्ध में इस सदन द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये।

यह सार्वजनिक सम्पर्क विभाग और भी किस प्रकार से किसी बात का परिचय कराता है इसका एक और उदाहरण में उपस्थित करना चाहता हूं। आषाढ़ के अन्दर एक शक संवत् के नाम से केलेण्डर निकाला है। उनकी किस प्रकार की संविधान के प्रति निष्ठा है, हमारे देश के उन लोगों के प्रति उनकी कैसी निष्ठा है जिनको हम आदर स्वरूप गिनते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : This is not relevant to the issue.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अच्छी बात है। तो इस वक्तव्य के साथ मैं विधान सभा के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें और मैं यह भी साफ कर दूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि इस सदन का अपमान न हो, इसकी प्रतिष्ठा को कायम रक्खा जावे, इसकी कुछ परम्पराएं हैं जिनका पालन किया जाय।

परसों भी इसी प्रकार की एक बात हुई। हमारे एक मन्त्री महोदय के साथ, एक महोदय के साथ में एक महाशय बातचीत करते करते सदन के अन्दर आ गये। मैं यह नहीं मानता कि उनका कोई बुरा इन्टेन्शन था। इन्टेन्शन भला था या बुरा था, प्रश्न यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You will confine yourself to the relevant facts, that is a separate motion.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अन्त में मैं सदन से अपने इस मोशन को मूव करने की आज्ञा मांगता हूं।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir, I move that the officer-in-charge of the stall should be taken into custody of the House immediately.

श्री उपाध्यक्ष : Is it a separate question or pertaining to this privilege motion ?

श्री श्रीभानसिंह : The officer-in-charge of the stall, that officer, may immediately be taken into custody of the House.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह चीज सदन के सामने रखी गई है उससे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक सम्पर्क विभाग ने कोई मानहानि सदन की करनी चाही हो। जो तथ्य रखे गये हैं वे भी परिवर्तन के साथ यहां रखे गये हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि

(श्री रामकिशोर व्यास)

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग एग्ज़ीबिशन जरूर चला रहा है। पर उनका कोई इरादा....

श्री श्रीभानसिंह : This question cannot be debated.

श्री उपाध्यक्ष : All three at a time ? Who is to be heard ?

श्री तनसिंह (विरोधी दल के नेता) : यदि मन्त्री महोदय बहस में उतर रहे हैं तो हमें भी फिर इसके लिए मौका मिलना चाहिये। इस प्रकार की ऊपरी लीपापोती करना यहां आवश्यक नहीं है। अगर इसका मौका इनको दिया जाय तो सबको ही दिया जाना चाहिये और अगर बहस का यह प्रश्न नहीं है तो उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री महोदय भी इसकी बहस में न उतरें। तथ्य क्या हैं, क्या नहीं हैं, वे तो प्रीविलेज़ कमेटी के सामने आवेंगे। इस समय स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता उनको नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : The only relevant Rule is Rule 59.

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो ऐसे ही....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is no provision of debate in that Rule.

श्री उपाध्यक्ष : That is why I had referred it to the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : Sir, I propose that the motion may be referred to the Privileges Committee.

(श्री तनसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : What is the objection ? Should this motion not be referred to the Privileges Committee ?

श्री तनसिंह : मैं यह कह रहा हूँ कि कि इस तरह से इसमें कानूनी लेकुना रह जावेगा। इसमें पहले लीव ग्रान्ट करना जरूरी है, इसलिए लीव पहले ग्रान्ट करिये। इसके बाद मैं माननीय सदन के नेता प्रस्ताव रक्खें। इसमें इस समय कोई खामी रह जावेगी तो बाद में टंटा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Leave is granted.

श्री तनसिंह : But that question has not been put.

श्री उपाध्यक्ष : Power is vested in the Speaker. Rule 55. "Subject to the provisions of these Rules, a member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member, or of the House or of a Committee thereof."

Rule "58 (1) The Speaker, if he gives consent under Rule 56and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege make a short statement relevant thereto."

We have come to this—

(श्री उपाध्यक्ष)

"Provided that where the Speaker has refused his consent under Rule 56 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or hold that the notice of question of privilege is not in order :

Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting after the disposal of questions.

(2) If objection to leave being granted is taken the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than fifteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. ......If...... .."

No objection has come and I have granted the leave.

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

Yes,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Mr. Deputy Speaker, I propose that the motion may be referred to the Committee of Privileges.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to refer this motion to the Committee of Privileges ?

(स्वीकृत)

The motion is referred to the Committee of Privileges.

श्री श्रीमानसिंह : I have said that the officer should be taken into the custody of the House.

श्री उपाध्यक्ष : The motion that has been accepted to be referred to the Committee of Privileges contains this as well.

श्री श्रीमानसिंह : I am talking of the officer who is guilty of the contempt, the charge. He should be taken under custody. I draw your attention to page 80 of the May's Parliamentary Practice : "Persons sent for in custody : But it is not necessary that any cause of commitment should appear upon the warrant, or that the prisoner should have been adjudged guilty of contempt. It has been a very ancient practice in both Houses to send for persons in custody to answer charges of contempt; and in the Lords to order them to be attached and brought before the House to answer complaints of breaches of privilege, contempts, and other offences."

श्री उपाध्यक्ष: The privilege motion is so wide enough as to cover all the implications. So the Committee is empowered to take cognizance of all the breaches of privileges and contempts.

श्री श्रीमानसिंह : The warrant is to be issued by the Hon'ble

(श्री श्रीमानसिंह)

Chair and it is the Sergeant-at-Arms who is to take custody of that officer.

श्री उपाध्यक्ष : I rule out this and we proceed on the next item.

श्री श्रीमानसिंह : It is a contempt of this House and the contempt of the Hon'ble Chair too.

श्री उपाध्यक्ष : My ruling is that it is included in the motion of the Committee. Hon'ble member will not convass the Ruling.

श्री श्रीमानसिंह : I am not challenging the Ruling. I want to know if it is included in the motion that the officer will be immediately taken into custody ?

श्री उपाध्यक्ष : No suggestion can be given to the Committee.

श्री श्रीमानसिंह : I was quoting the May's Parliamentary practice.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is not binding on us.

श्री श्रीमानसिंह : It is the convention for the whole world.

श्री रामकिशोर व्यास : Under what Rule are we bound ?

श्री उपाध्यक्ष : Since the question itself has been referred to the Committee as such I close the debate over the issue.

१२.२२ म० प०

श्री के० के० सेन के अनधिकृत रूप से सदन में प्रवेश करने सम्बन्धी निर्णय

Now we come to the notice given by Hon'ble Shri Shribhan Singh regarding the breach of privilege pertaining to the stranger. Rule 55,—"Subject to the provisions of these rules, a member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member, or of the House or of a Committee thereof."

I refuse my consent to the motion and the grounds are......

श्री तनसिंह : I submit, Sir, that our Rule 57 provides, "The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions :

(1) not more than one question shall be raised at the same sitting."

Since one question has been raised, no other question can be raised today.

श्री उपाध्यक्ष : This is not a question involving the raising of points, I disallow it. I rule out the point raised by you, I treat it as not arisen.

The facts which give rise to the present case lie within a very narrow compass. When the amendments to clause 16 of the Secondary Education Bill, 1957 were

(श्री उपाध्यक्ष)

being discussed in the House on 12.11.1957 at about 3.15 P.M. one, Shri K.K. Sen, Asstt. Commissioner, Excise and Taxation, was noticed just a few yards into that portion of the House appropriated to the Hon'ble members and by the side of the Officers' Gallery, talking with Deputy Minister, Shri Sampatram.

Hon'ble Shri Sribhan Singh, M.L,A. took notic of the stranger and raised a point of order first, then a breach of privilege of the House and moved the Chair to take cognizance of it. Further, in continuation of the above point so raised orally, the Hon'ble member also gave a notice in writing to the Secretary as required under Rule 55 of tho Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, probably to regularize the procedure prescribed for it.

The question before me is whether the entry of the stranger under peculiar circumstances, which I shall enumerate later on, does involve a point of order or a breach of privilege or a point of contempt of the House ? The determination of the above point is necessary at the outset to enable me to take a decision whether or not consent to raise a question of privilege be given.

I am supported in my observations by the Ruling of this House so contained in the proceedings dated 24.5.54, 4.8.55 and 12.12.56 wherein the Hon'ble the Speaker had held that a prima facie case for the privilege motion is a condition precedent to the question of leave being granted.

The circumstances under which the stranger, Shri K.K. Sen, was seen in the House are not such which may require me to take a serious view of this situation. This is an admitted fact that the stranger being an officer of the Government was seen with the Dy. Minister Shri Sampt Ram, talking on some point probably referred to him, on the floor of the House just near the officers' gallery. I have myself seen the stranger, entering and leaving the House just at the time when this point was raised. His presence on a spot, not occupied by the Chairs, and, leaving a space for members to pass through, is also another circumstance which was likely to give him a wrong idea that the part of the House so appropriated for the members is at a distance from the place where he was standing and therefore not objectionable. I am expected to take into consideration the following circumstances before I come to a certain conclusion.

1. The place where this stranger was noticed is an open space left for going and coming to the lobbies from the gate adjacent the Hon'ble Speaker's seat and just

(श्री उपाध्यक्ष)

attached to the officer's Gallery.

2. The stranger was not seen all alone in the House but with the Dy. Minister in conversation with him as if called to advise him on certain points and also under the influence of courtesy towards the Dy. Minister.

3. That his entry and departure from the House was most peaceful and was in no way disturbing to the House.

4. That his entry in the House accompanied by his boss, only to a short distance from the House compacting him with the demarcated portion of the Officers' Gallery, revealed his bonafides to to be away from the place occupied by the Hon'ble members.

All these circumstances, when linked together, place the present case on a footing different from the cases involving the breach of privileges or of the contempt of the House.

This Chair has upon it besides other responsibilities, a heavy duty of enforcing all rules for maintaining order in the House. I have tried to find out whether there exist some standing rules of this House which may guide me on the maintenance of order affecting the present case, but in the absence of such guidance I have sought the help of May's 'Usage of Parliamentary, 1950 Edition. Rule 103 of the Commons' Standing Orders (Public Business) do throw some light on this question. Rule 104 debars a member of the House for bringing any stranger into any part of the House and likewise Rule 105 empowers the Speaker to put the....

श्री श्रीमानसिंह : The Deputy Minister is himself guilty.

श्री उपाध्यक्ष : (जारी) Question in case if the stranger has entered the House "that the stranger do withdraw" without permitting any debate or amendment. The persent case, therefore, involves the enforcement of the rules or standing orders relating to the business of the House or maintaining order. This view finds support in Rule 246 and 251 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly and the like, from the House of Commons' Standing Orders (Public Business).

Whether the act of this stranger in the light of the above discussion can be construed as a contempt of the House or breach of Privileges is not to be considered. It would be well to confine Privilege to the rights of individual members and to use 'contempt' for invasion of the collective rights of the Legislative body. However, the two words have something in common and any scientific dissection of this is to some extent

(श्री उपाध्यक्ष)

impracticable. It may in general be well to consider contempt from the collective point of veiw as wilful disobedience of the orders of a Legislative Body or disorderly or contemptous behaviour in its presence. According to May any disorderly, contemptuous, or disrespectful conduct in the presence of either House or any committee thereof, whether by a stranger's presence or by persons attending as parties or witnesses will constitute a contempt. The following instance as mentioned in May's Usage of Parliament at page 110 of disorderly conduct on the part of stranger punished as contempt, will throw some light over this issue.

"1. Remaining in the House after the strangers have been directed to witbdraw."

The act of the stranger in the present case, before it could be construed as a contempt or a breach of privilege, must imbide in it certain essential ingredients based upon the principles as discussed above. The act of the stranger in these circumstances was prefectly an innocent one under the wrong notions not baving the tendency directly or indirectly to impede or obstruct either this House in the discharge of his duties. Such an act or omission, trifling in nature and committed without a meansrea has also been condoned after a right analysis of the principles on the subject by Hon'ble the Speaker in the proceedings of this August House dated 23.10.1955. The observations of the Hon'ble the Speaker of the Lok Sabha as referred in debate part II, 10th March, 1950, page 738 the facts of which are similar to the present one also give support to my view.

The stranger, Shri K. K. Sen, has tendered an unconditional apology to this Hon'ble House for this act of inadvertence in view thereof it deserves also to be condoned. I am, therefore, of the opinion that the point does not involve the breach of privilege or contempt of the House and, therefore, it does not deserve any further action.

With the background of these observations, I am constrained not to grant leave to raise the question involving a breach of privilege under Rule 55 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly.

श्री श्रीमानसिंह : I am sorry, Sir, that the Hon 'ble Chair has refused to safeguard the privileges of the House and I have no other way but to leave the House.

१२.३० म० प०

(श्री श्रीमानसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, आपने एक निर्णय दे दिया है जो निर्णय हाउस की

(श्री तनसिंह)

प्रिविलेज़ कमेटी के अधिकार में था । आपका यह निर्णय जो कि आपको कल देना चाहिये वह एक प्रकार से बदल दिया गया है और आज हमारे सामने वह निर्णय आ रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी निर्णय दिया गया है उससे मेरी घोर असहमति है और सारे हाउस की असहमति है । अतएव, मैं, माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस निर्णय के विरुद्ध बहिर्गमन करें और मैं स्वयं बहिर्गमन करता हूं ।

१२.३१ म० प०

(रामराज्य परिषद के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् ने जो निर्णय दिया है उसके विरोध में मैं तथा जनसंघ के सदस्य और विरोधी दल के अन्य सदस्य अपना विरोध बताने के लिये बहिर्गमन करते हैं ।

(जनसंघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

१२.३२ म० प०

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धि पर श्री लच्छूराम का स्थगन–प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : Now the adjournment motion of Shri Lachhu Ram. The Adjournment Motion is like this :

"I want to move today after the question-hour in the House the following Adjournment Motion on a public issue of urgent importance.

'That the House now adjourn to consider the alarming situation created by non--availability of nationalised text-books."

I disallow the adjournment Motion and request the Ministe-rin-charge to make a statement on the matter in a day or two.

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष जितने भी स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन सभी को आप यह कहकर डिसएलाउ कर देते हैं कि यह पब्लिक इम्पोर्टेंस का नहीं है इसलिए मिनिस्टर इन्चार्ज इस पर अपना वक्तव्य दे देंगे । मैं समझता हूं कि कल इस बात का एक मोशन मूव हुआ था .....

श्री उपाध्यक्ष : The Hon 'ble Member to please realise under what circumstances and in the light of which rule he is now referring the Chair.

श्री लच्छूराम : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य–मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जो रूल्स एन्ड कन्वेशन्स और ट्रेडीशन्स असेम्बली के होते हैं, उन परम्पराओं में कुछ ढील पड़ती जा रही है और कई बार माननीय सदस्य यहां चेयर से आदेश हो जाने के बाद भी खड़े रहते हैं, उसे रोका जाना चाहिये ।

श्री लच्छूराम : इस प्रकार के मोशन को डिसएलाउ कर देते हैं, मैं समझता हूँ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : श्री अध्यक्ष के रूलिंग्ज़ को चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है ।

श्री लच्छूराम : मैं चेलेन्ज नहीं कर रहा हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप क्या कर रहे हैं ?

(हंसी)

I have disallowed the adjournment motion and even if you want to speak in favour or against or in complement there acerues no right.

श्री लच्छूराम : मैं आपके इस रूलिंग के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं कि आप हर स्थगन प्रस्ताव को पब्लिक इम्पोर्टेन्स का होने से मना कर देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रकार का बार बार मोशन नहीं आना चाहिये। बहिर्गमन बार बार करने से उसका असर कम होता जा रहा है इस सदन में।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी स्वयं की मान्यता है कि बहिर्गमन के प्रश्न को कम से कम हमारे सदन की परम्पराओं के विरुद्ध कहूँ तो अत्युक्ति न होगी और मुख्यतः जब दूसरे माननीय सदस्य ने बहिर्गमन किया है। सदन की प्रतिष्ठा, मैं मानता हूँ कि सदन के हाथों में है और जहां तक इस आसन का प्रश्न है मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह सभी प्रकार के प्रभावों से नितान्त परे है और इस सदन की परम्परा के आधार पर मेरा अनुरोध है कि सदन में ऐसे वाक--आउट, बहिर्गमन, ऐसे साधारण प्रश्नों पर किये जाना उचित नहीं।

श्री मोहरसिंह : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यह कई दफा देखा गया है कि जो विरोधी सदस्य हैं उनके खिलाफ आप लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, यह उनके लिये काबिले बरदाश्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs.

श्री मोहरसिंह : इसलिए मैं इसके खिलाफ वाक आउट करता हूँ।

श्री के. के. सेन द्वारा सदन में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के कारण क्षमा—याचना

श्री श्रीभानसिंह : ओन ए प्वाइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, माननीय उपाध्यक्ष ने फरमाया था कि अनकन्डीशनल एपोलोजी मांगी है। शायद ऐसा प्रोसीजर है कि हाउस के अन्दर एपोलोजी को जरूर पढ़ा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पढ़ देता हूं, आपके सूचनार्थ।

("बहिर्गमन के बाद आप पूछते हैं" ऐसी आवाज)

बहिर्गमन या किसी से इसका संबन्ध नहीं है। मैं इसको पढ़ देता हूँ :

"The Hon'ble the Speaker,
Rajasthan Legislative Assembly,
Jaipur.

Sir,

I beg to submit before your Honour that I was discussing with my Deputy Minister, Sri Sampat Ramji, regarding the amendment Bill in the Excise Act and inadvertently I followed my Minister inside the Hall without meaning any disrespcct to the House. I, therefore, tender my unqualified apology for the mistake and beg to be excused.

Yours faithfully,
K. K. Sen"

(श्री उपाध्यक्ष)

१२. ४० म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

Now we take Legislative Business. We take clause 26 of the Rajasthan Secondary Education Bill, 1957.

(विराम)

श्री श्रीमानसिंह ।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट क्लाज़ २६ (१) के अन्दर इस प्रकार है;

"Delete the words 'financial or administrative' occurring in sub-clause (1). Sub-clause (1) reads like this.--

"The State Government may address the Board with reference to any work conducted or done or about to be conducted or done by the Board and communicate to the Board, views on any financial or administrative matter with which the State Government is concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो वार्ड्स यूज़ किये गये हैं, 'फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव', वे इसलिये किये गये हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पॉवर्स को लिमिट किया जाय ; जहां तक मैं जानता हूँ यह मन्त्रीजी की मन्शा है। अब हमें यह देखना है कि फाइनेन्स, जिसके लिये हमने फाइनेन्शियल टर्म यूज़ की है, क्या हम उसको जनरल पोलिसी से अलग कर सकते हैं ? फाइनेन्स बाइ इटसेल्फ कुछ चीज रिफ्लेक्ट करती है क्या ? क्योंकि एक्सपेन्डिचर एक चीज पर होता है, वह इन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की पोलिसी को रिफ्लेक्ट करता है और यहां एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर को रेस्ट्रिक्ट किया है। उसका मतलब यह है कि एजुकेशन के बारे में कोई भी चीज गवर्नमेंट कमिट करना नहीं चाहती। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि आखिर हमें डेमोक्रेसी में आना पड़ेगा। जो चीज राजस्थान में होती है उसकी अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी किस पर है और यदि गवर्नमेंट अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी से शर्क करती है, अल्टीमेट रेस्पोन्सिबिलिटी को बेअर नहीं करना चाहती तो यह दूसरी बात है, लेकिन जो कोई एक्शन बोर्ड लेगा पोलिसी इन्ट्रोड्यूस करेंगे उसकी सारी रेस्पोन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर पर है और कलेक्टिवली राजस्थान गवर्नमेंट पर होगी। उसको यदि हटा दें और यह कहें कि फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में हम अपनी ओपिनियन बतायेंगे और एजुकेशन को फ्री रहने देंगे, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेन्शियल रेस्पोन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो एजुकेशन के बारे में भी आपको रेस्पोन्सिबिलिटी लेनी चाहिये। इसलिये गवर्नमेन्ट की पॉवर को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाय। यदि जुडिशियल फंक्शन्स होते और उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता तो दूसरी बात होती, लेकिन एजुकेशन को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं जब कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मौजूद है, तो आपको यह रेस्पोन्सिबिलिटी भी बीअर करनी होगी। इसके लिये बोर्ड रेस्पोन्सिबल नहीं है, लेजिस्लेचर के प्रति बोर्ड आन्सरेबल नहीं है। यहां हम जो क्वेश्चन करते है उसके लिए आप आन्सरेबल हैं,

Page No.42

(श्री श्रीमानसिंह)

इसलिये आपको यह रेस्पोन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और आप इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन फाइनेन्स बाइ इटसेल्फ कुछ नहीं है, वह आपकी पोलिसी को रिफ्लेक्ट करेगा; इसलिये ये दोनों सुपरफ्ल्युअस वर्ड्स हैं। इसको एड करने का और कोई मकसद हो या पर्पज़ हो समझ में नहीं आया। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इन्हें डिलीट कर दिया जाय।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उपमन्त्री जी के इशारों से प्रतीत होता है कि वे इसे स्वीकार करते हैं। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो आगे बहस की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज़ २६ में....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, I am prepared to concede to this amendment, that these words should be deleted: "Financial or administrative".

श्री उपाध्यक्ष : Yes, proceed on.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २६ के सब-क्लॉज (२), (३), (४) व (५) में मेरे संशोधन हैं। सब-क्लॉज (२) में मेरा संशोधन इस प्रकार है, जहां क्लॉज समाप्त होता है :

"The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the communication received under sub-section (1)."

इसके आगे ये शब्द और बढ़ा दिये जावें "and such action shall be final." और उसके आगे सब-क्लॉज़ (३), (४) और (५) को डिलीट कर दिया जाय। इस प्रकार मेरे संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार का प्रश्न है सब-क्लॉज़ (३) में लिखा है : "issue such directions consistent with this Act." यदि बोर्ड ने कोई ऐसा काम किया है जो इस एक्ट की मंशा के विरूद्ध होगा या गैर कानूनी होगा तो स्वयं सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है और हमने इस प्रकार की न्याय व्यवस्था की है कि उसके अंतर्गत समाप्त हो जायगा। लेकिन यदि बोर्ड ने कोई रिज़ोल्युशन पास किया और उसे सरकार के पास भेजा और सरकार उस सम्बंध में यदि कोई आवश्यक सुझाव देती है और बोर्ड के पास वह प्रस्ताव वापिस आता है, क्योंकि सरकार स्वयं एजुकेशन के मामले में टेक्निकल हैंड नहीं है और बोर्ड जिसे हमने बनाया है उसमें शिक्षा क्षेत्र के कितने ही विशेषज्ञ होंगे, वे चाहे किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, उनका प्रस्ताव सरकार के पास जाता है, सरकार इसके संबंध में अपने सुझाव रखती है और बोर्ड दुबारा उस पर विचार करता है। जब बोर्ड दुबारा विचार करेगा तो सारी संभावनाओं पर विचार करेगा। सरकार ने जो पक्ष रखा है वह एक तरह का है और दूसरा पक्ष टेक्निकल साइड का है, उन सब पर विचार करके बोर्ड निर्णय लेगा और उसमें जहां तक बोर्ड के कॉंस्टिट्युशन का सवाल है उसमें सरकार के सदस्य भी होंगे, जिस तरह से सरकार ने अपनी बात रखी है उसी बात को सरकारी सदस्य भी रखेंगे। तो इन अनुभवी लोगों की जो राय होगी वह मिल कर फिर सरकार के पास जायगी। उस पर फिर सरकार को अधिकार देना कि सरकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उनकी मांग को चाहे तो ठुकरा दे, ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अगर बोर्ड गैर कानूनी कार्यवाही करेगा तो सरकार स्वयं या न्यायालय उसे समाप्त कर देगा। क्लॉज़ेज़ ३,४ और ५ में इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। क्लॉज ४ में इस प्रकार की पॉवर दी गई है :

"In any emergency which, in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken the State Government may take such action, consistent with this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board thereof." इसके अन्दर सरकार ने इतनी ताकत अपने हाथ में ली है कि वह बोर्ड को इन्फोर्म तक न करे और कंसल्ट भी न करे। उसके पश्चात् सारी कार्यवाही की सूचना बोर्ड को दे दे। उसकी पूरी सुनवाई हुई या नहीं, बोर्ड विरोध कर सकता है या नहीं, इस संबंध में कोई प्रोविज़न नहीं है। सरकार को इतनी निरंकुश पॉवर देना कि बोर्ड को सुपरसीड कर जाय, उचित नहीं है। बोर्ड में कार्य करने के लिये हमने टेक्निकल हैंड, विशेषज्ञों को भेजा जो शिक्षा के संबंध में प्रान्त में विकास कर सकते हैं। जब हमने इस रूप में बोर्ड का निर्माण किया है तो फिर सरकार को अधिकार देना कि इमर्जेन्सी हो तो बोर्ड को पूछे भी नहीं और कार्यवाही कर ले, उचित नहीं होगा। बोर्ड का सेक्रेटरी सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और चेयरमेन भी सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ होगा तो उनके द्वारा बोर्ड की मीटिंग बुला लेना सरकार के हाथ की बात नहीं हो सकती। अब इसमें इतना प्रोवीज़न होते हुए सरकार के हाथ में और अधिकार देना, मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार सब-क्लाज (५) में है :

"The State Government, may by order in writing specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board and prohibit the doing of an act ordered to be, or purported to be ordered to be, done by the Board, if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers cnferred by or under this Act upon the Board."

तो यह बात कौन तय करेगा कि बोर्ड ने कोई कानून बनाया, कोई निर्णय लिया, कोई रिज़ोल्युशन पास किया, उस पर सरकार निर्णायक बने कि जो बोर्ड काम कर रहा है वह गैर कानूनी है। यह अवश्य है कि जो कानून बोर्ड पास करेगा, रिज़ोल्युशन पास करेगा, जो निर्णय लेगा उन सब का जन-समाज पर असर पडेगा और अगर गैर कानूनी होगा तो न्यायालय हैं, वे इस बात पर सही निर्णय दे सकते हैं कि बोर्ड का यह कानून है, वह गैर कानूनी है। केवल सरकार के हाथ में यह अधिकार दे देना कि बोर्ड द्वारा पास किये रिज़ोल्युशन को गैर कानूनी करार करके उसे समाप्त कर दें, तो इस बिल को पास करने की जो हमारी मन्शा है, वह इसके विरुद्ध है और फिर इन सब बातों के सरकार के पास विशेषज्ञ नहीं हैं, जो शिक्षा सम्बन्धी मामलों की जांच कर सकें। अब मेरा प्रस्ताव है कि सब-क्लॉज़ (२) के अन्दर यह जोड़ दिया जाय :

"and such action shall be final." बाकी (२), (३), (४) व (५) डिलीट कर दिये जायं।

Page No.44

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन क्लॉज़ २६ के अन्दर आया है, मैं इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूँ। जहां तक इस एक्ट को बनाने की मन्शा है और राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन बिल हमारे सामने है, इसके अन्दर हम देख रहे हैं कि इसके अनुसार जो बोर्ड का कम्पोज़िशन हो और इसमें जो व्यक्ति रखे जायं, अभी इस सम्बन्धी क्लॉज़ेज़ तय नहीं हुए हैं, लेकिन इन क्लॉज़ेज़ को देखने से यह लगता है कि इस एक्ट को बनाने की जो गति विधियां चल रही हैं और यह जिस तरीके से बन रहा है, इससे राज्य सरकार के ही सारे व्यक्ति इस बोर्ड में रहेंगे और इस पर सरकार का पूर्णतः आधिपत्य रहेगा। फिर सरकार को इस प्रकार का डर क्यों है कि जो बोर्ड उन आदमियों के द्वारा बनाया जायगा, जिन व्यक्तियों द्वारा कम्पोज्ड होगा, वे कोई गैर कानूनी कार्य करेंगे? इस प्रकार का शक रखना कोई न्यायसंगत बात नहीं है। इसके अन्दर इस प्रकार की बात रखी गई है कि अगर बोर्ड रीज़नेबल समय में, जो उसको निर्देश दिये गये हैं, उनका पालन नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना कदम उठा सकती है और इमर्जेन्सी के नाम को लेकर कोई एक्ट, कोई बात, कोई चीज बोर्ड के लिए कर सकती है और बोर्ड को उसका ज्ञान करा दे। बोर्ड जो रिज़ोल्युशन पास करता है, या कोई निर्णय करता है सेकन्डरी एजुकेशन के लिये, माध्यमिक शिक्षा के विकास और अच्छाई के लिये, तो अगर यह पॉवर सरकार के हाथ में आ गई, तो जिस रिज़ोल्युशन को चाहे उसको सरकार सस्पेन्ड कर दे, जब चाहे कोई कानून बना दे और बोर्ड किसी प्रकार विचार करने में देरी कर दे तो उसके बिना पूछे कोई कार्य कर दे। इस प्रकार की ताकत सरकार के हाथ में देंगे तो जो बोर्ड बनाया जायगा, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के बोर्ड को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सरकार कोई निर्देश देती रहे, यह ठीक है, सरकार को निर्देश देने चाहिये क्योंकि जो बोर्ड बनाया है, उसका विकास करना सरकार के ऊपर है, क्योंकि वह सरकार के द्वारा बनाया गया है। लेकिन फिर भी इस बात को शिक्षा शास्त्री स्वीकार करते हैं और मैं समझता हूँ कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय भी यह समझते हैं और मानते हैं, कि यह बोर्ड एक ऑटोनोमस बोडी के रूप में बनना चाहिये, जिस पर सरकार का अपना नियंत्रण रहे, लेकिन नियंत्रण एक हद तक रहे। इस बात पर विचार करना आवश्यक है, आखिर कितना नियंत्रण रखें, एक तो सरकार इस प्रकार के डाइरेक्टिव्ज़ देती रहे, सलाह मशविरा देती रहे और दूसरी प्रकार का नियंत्रण ऐसा हो कि अगर इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, तो खत्म कर देंगे। इस प्रकार की आज्ञाओं में बड़ा अन्तर है। एक तो इस प्रकार कहना कि तुम वहां जा सकते हो और दूसरी तरह, कि नहीं, वहां तुम्हें जाना पड़ेगा; इन दोनों में बहुत अन्तर है, इतना ही अन्तर इन दोनों प्रकार के नियंत्रणों में है। क्योंकि बोर्ड विकास करता रहे, इसके लिये हम चाहते हैं कि हम उसे सुविधायें देते रहें और फिर बोर्ड का जिस प्रकार कम्पोज़ीशन किया है, उसमें हमें विश्वास है कि योग्य व्यक्ति बोर्ड में हैं, वे सरकार के पक्ष के हैं, वे लोग विज्ञ हैं, जो कार्य वे करेंगे, वह माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये करेंगे। उन पर विश्वास करते हुए उन्हें डाइरेक्टिव्ज़ देने चाहिये। विकास की भावना का ध्यान रखते हुए बोर्ड इस प्रकार के रिज़ोल्युशन पास करे और उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य कर सके। लेकिन कोई आज्ञाकारी डाइरेक्टिव देना कि इस कार्य का पालन नहीं करते हैं तो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सस्पेन्ड कर देंगे, इमर्जेन्सी के नाम पर कोई कार्य कर देंगे, कानून बना देंगे, इस प्रकार की जो क्लॉज़ेज़ हैं, उनसे एक प्रकार का बोर्ड पर अंकुश लगा देते हैं, इस प्रकार के अंकुश से जो काम गवर्नमेंट करना चाहती है, यह प्रजातंत्र की भावनाओं, विचारधारा के खिलाफ है। यदि हम चाहते हैं, माध्यमिक शिक्षा का जो तरीका है, उसका विकास करें, जनता से मिल कर बोर्ड चले, समाज और शिक्षा का बराबर स्थान रहे और जितना इससे अनुप्राणित होती रहे, तो यह आवश्यक है कि जिस बोर्ड को हम बना रहे हैं वह स्वतंत्र वायु में रहे, स्वछंद वायु में रहे, स्वच्छ वायु में रहे। अगर बोर्ड पर सरकार की ओर से नियंत्रण रखना चाहते हैं कि इससे बोर्ड की गतिविधि, स्वतन्त्र रूप से सोचने का तरीका है, वह कुंठित हो जायगा। बोर्ड में जो आगे बढ़ने का माद्दा होगा, क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की, क्रान्तिकारी कदम उठाने की जो ताकत होगी, वह खत्म हो जायगी और बंधी हुई धारा में बहते रहने से विकास के लिये और स्वतन्त्र निर्णय पद्धति के लिये जो अवसर चाहिये वह नहीं मिलेगा। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि इस क्लॉज़ के अनुसार बोर्ड के सामने जो डाइरेक्टिव्ज़ आयें, उनका पालन किया जाता है या नहीं, इस पर विचार करके नियम बना सकते हैं। जो डाइरेक्टिव्ज़ दिये जायं उनके पालन के लिये आदेश निकल जायें। इससे यह बात समाप्त हो जाय कि स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार पॉवर्स अपने हाथ में लेनाचाहिये। इस क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ (३), (४) व (५) के द्वारा जो अनावश्यक रूप से अपने हाथ में नाजायज ताकत लेना चाहती है, इससे बोर्ड की गति विधि को कुंठित कर देना होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ और इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Hon 'ble Member in-charge.

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर दो संशोधन आये हैं; पहला संशोधन यह है कि क्लॉज़ २६ के सब-क्लॉज़ (१) में शब्द "फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव" हैं, उनको डिलीट कर दिया जाय और दूसरा यह है कि सब-क्लॉज़ (१) के आगे "and such action shall be final" जोड़ दिया जाय और सब-क्लॉजेज़ (२), (३), (४) व (५) डिलीट कर दिये जायं। जहां तक पहले अमेंडमेंट का सवाल है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ व जहां तक दूसरे अमेंडमेंट का सवाल है मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसमें अमेंडमेंट के द्वारा यह इच्छा जाहिर की गई है कि सरकार इस बोर्ड के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करेगी और इससे नाजायज तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति सरकार में बढ़ेगी ; मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको ध्यान से पढ़ें तो यह साफ हो जायगा कि इस क्लॉज़ का इस बिल में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बोर्ड या स्टेचुटरी बोर्ड हम कायम करते हैं तो हमें यह मान कर चलना चाहिये कि अगर ऐसी बात होती है तो उसका रिवीज़न, करेक्शन, अपील कौन करेगा। हम यह नहीं मान सकते कि कोई भी संस्था या बोडी गलती नहीं करेगी। आज हम देखते हैं कि हाई कोर्ट्स के फैसले भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उलट दिये जाते हैं, सेशन जज के हाई कोर्ट में उलट जाते हैं, इसी तरह हमारे यहां बनाये हुए बहुत से कानून हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाकर अवैध करार दे दिये जाते हैं, तो ऊपर के अधिकारी को करेक्ट करने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

का अधिकार नहीं देना, इससे बोर्ड के हित की बात नहीं होगी, बल्कि अहित की ही बात होगी ।

शिक्षा का प्रचार करना, विकास करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और समय समय पर बहुत से ऐसे विषय आ सकते हैं जब कि बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा उचित बात कही जाय और बोर्ड उसे मन्जूर नहीं करे और कह दे कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाकर इस ऑर्डर को अवैध कराया जा सकता है, यह ठीक नहीं है । हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कौन जाय, कब जाय, यह उचित नहीं है ।

१.२ म० प०

इसके साथ ही साथ कहा गया कि जब यह सरकार का बनाया हुआ है, बोर्ड जब सरकार का है तो इसमें ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो सकती है ? मैं निवेदन कर दूं कि इस सदन के कई माननीय सदस्यों के विचार में हो सकता है कि यह बोर्ड सरकार का है । जहां तक सरकारी पक्ष का सवाल है, हम यह मान कर चलते है कि बोर्ड एक ऑटोनोमस बोडी होगी और जब तक वह कानून से काम करेगा, उसके किसी काम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा ।

अब मैं इस बिल के उन क्लॉज़ेज की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा ।

पहला क्लॉज़ यह है कि बोर्ड रिज़ोल्युशन पास करे तो सरकार अपने व्यूज़ उसे कोम्युनिकेट कर सकती है । तो क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि कोम्युनिकेट करने का हक भी नहीं दिया जावे ? राज्य सरकार कोई बात कहना चाहती है तो बोर्ड को राय दे सकती है, यह अधिकार भी आप राज्य सरकार को नहीं देना चाहते ?

दूसरा यह है : "The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the communication received under sub section (1)."

दूसरा यह है कि बोर्ड को जब यह बात कह दी जाय कि राज्य सरकार के इस मसले पर ये विचार हैं तो बोर्ड वापिस अपने व्यूज़ कोम्युनिकेट करेगा । यह भी बिल्कुल ठीक है, राज्य सरकार ने व्यूज़ दिये हैं तो बोर्ड का फर्ज़ हो जाता है कि राज्य सरकार को वापिस जवाब भेजे ।

आगे सब क्लॉज़ है : "(3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government with reference to the matter on which a communication has been received under sub-section (1) the State Govt. may after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit and the Board shall comply with such directions."

इसमें भी राज्य सरकार को अधिकार दिये गये हैं कि अगर बोर्ड न करे और उनका कोई जवाब न आये तो इस बोर्ड की मन्शा के अनुकूल राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है । तो बोर्ड हर एक मामले में फाइनल होगा और राजस्थान सरकार को कोई अधिकार ही नहीं हो, या बोर्ड पर कोई सुपर्वाइज़री बोडी नहीं हो, रिवीज़नल बोडी नहीं हो, यह मान कर नहीं चलना चाहिये, यह गलत है । उनका जवाब लेकर इस एक्ट की मन्शा को पूरा करने के

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लिये राज्य सरकार अधिकार लेती है तो मेरी समझ में सरकार कोई ऐसा अधिकार नहीं ले रही है जिससे कि वह बोर्ड को कुचल रही हो।

आगे क्लॉज़ है : "(4) In any emergency which, in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken the State Government may take such action, consistent with this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board thereof."

यह एमर्जेंसी की चीज है। एमर्जेंसी कौन सी होगी, इस चीज पर तो हम इस वक्त विचार नहीं सकते इसलिये ऐसा क्लॉज़ रखा जाता है। एमर्जेंसी को अभी फोलो कर सकते हैं तो हर एमर्जेंसी के लिये कानून बना सकते हैं। लेकिन न मालूम किस तरह की एमर्जेंसी किसी भी समय पैदा हो सकती है और उस वक्त बोर्ड की मीटिंग कॉल करने में एक महीना भी लग सकता है, उस वक्त राज्य सरकार एक्शन ले और बोर्ड को इमीजियेटली कोम्युनिकेट कर दे तो यह सरकार कोई ऐसा अधिकार अपने हाथ में नहीं ले रही है कि उससे बोर्ड को कुचल दे।

आगे क्लॉज़ है : "(5) The State Government, may by order in writing, specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board and prohibit the doing of an act ordered to be, or purporting to be ordered to be, done by the Board, if the State Government is of the opinion that such Resolution, Order or Act is in excess of the powers conferred by or under this Act upon the Board."

यह राज्य सरकार लिखित में देकर, उनके कारण देकर जो बोर्ड के रिज़ोल्युशन, कार्य, एक्ट हैं, जो उस कानून से दिये हुए अधिकार हैं, उनसे एक्सेस में हों तो राज्य सरकार को अधिकार है कि कारण दे कर उसे मन्सूख कर सकती है। तो सदन के सारे माननीय सदस्यों की यह मंशा तो नहीं हो सकती कि बोर्ड को जो अधिकार इस कानून के द्वारा दिये जा रहे हैं, उनकी एक्सेस में एक्टिंग करे और राज्य सरकार को इसे चैक करने के कोई अधिकार ही नहीं हों तो यह ठीक नहीं होगा, यह हो नहीं सकता।

अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापिस लेने की कोशिश करें, मैं इसे नामन्जूर करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने उत्तर में कहा कि क्या सरकार को इस प्रकार के अधिकार ही नहीं हों कि बोर्ड को अपनी राय कोम्युनिकेट करे? जहां तक क्लॉज़ ९६ (१) का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मेरा कोई संशोधन नहीं है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १ के संबंध में आपने संशोधन रखा है, ध्यान से देखिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने २ पर संशोधन रखा है, १ पर नहीं रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : Add the following sub-section (1) of the Act occurring at the end.

Page No.48

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने इसे पढ़ा ही नहीं और यों ही बहस कर दी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने बोलते समय भी यही कहा है.... 26 (2) "...received under sub-section (1)" इसके बाद में जोड़ा जाय।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : "received under sub-section (1)" एक में जोड़ें ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (१) में नहीं, (२) में जोड़ने का है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Add the following words after the words "sub-section (1)" occurring at the end, "and such action shall be final."

श्री उपाध्यक्ष : What is your version ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा यह कहना है.........

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ दीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने जो भेजा है, उसमें डिपार्टमेंट की ओर से गलती हो गई है। मैंने जो लिख कर दिया है उसमें यह है कि सब-क्लॉज (२) के बाद में जहां ये शब्द हैं " (2) The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the communication received under sub-section (1)" सब-क्लॉज़ के बाद में यह जोड़ दिया जाय,

"and such action shall be final."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे जवाब में फिर भी कोई फर्क नहीं आयेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कहा न कि राजस्थान सरकार के कोई अधिकार ही नहीं हों, क्या सदस्य यह चाहते हैं :

श्री उपाध्यक्ष : Add the following words after "sub-section (1)" :-

'and such action shall be final'.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : At the end of sub-section (2) of clause 26.

इसके बाद यह

"and such action shall be final."

यह सब-सेक्शन (२) में है. अन्डर सब-सेक्शन (२) के एन्ड में है। ऊपर लिखा है क्लॉज २६ (२)।

इसलिये मेरी यह मन्शा नहीं थी कि सरकार के अधिकार हों ही नहीं, वह कोम्युनिकेट भी नहीं करे। बोर्ड कोई निर्णय ले तो सरकार डाइरेक्शन्स दे सकती है। एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वे मिल कर जो बात सरकार को लिखें वही फाइनल होनी चाहिये, मेरी यह मन्शा है।

मन्त्री महोदय ने कहा कि बोर्ड, अपने दिये हुए अधिकार हैं, उनसे एक्सेस में काम करता है तो उसको मन्सूख करने के अधिकार सरकार को रहने चाहियें। मेरा निवेदन करना यह है कि इसका निर्णय करने वाली सरकार ही कौन होती है ? लॉ को वॉयलेट किया है कि नहीं, इसका बेस्ट जज कोर्ट ही हो सकती है। सरकार कर देती है तो इसके बाद बोर्ड के पास और कोई चारा नहीं है कि......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रिट फिर भी हो सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बोर्ड आपके खिलाफ रिट नहीं लायगा। सेक्रेटरी सरकारी होगा, सरकार के दिये हुए निर्णय के विरोध में बोर्ड रिट नहीं ला सकेगा।

Page No.49

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अतः यह जो उत्तर दिया गया है यह सन्तोषजनक (सफिशिएण्ट) नहीं है और मैं इस संशोधन को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri Shribhan Singh to clause 26 (1) be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that the amendments put in by Shri Jagdish Prasad Mathur on 26 (2), 26 (3) and 26 (4) & (5) (deletion) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are dropped.

(विराम)

The question is that clause 26, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 26, as amended is added to the Bill.

(विराम)

Clause 27.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : There is an amendment of mine on this, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : I beg to move amendment on Chapter VII to so many clauses ; all the clauses together because they relate to the same thing. Delete clauses 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33 and renumber all clauses of the Bill occuring thereafter accordingly.

While moving this amendment I might be venturing to hazard on thorny grounds. It might be called that it revolutionizes the legal conventions. Probably it might also be called by some as frivolous and unnecessary. But surely it gives an occasion to think to a conception, raging and a cogent conception-a conception how far a State Government is justified to interfere in essentially and purely a cultural organization. It may be accepted that probably supersessions of such bodies are a legal convention and they are very innocent so far as they are put in this Bill. It might only be to fulfil this convention that these clauses for supersession have been put in this Chapter. But I would like to point out, Sir, that supersession becomes necesssary in local bodies where certain public security or such public emergency is involved. I am at a loss to understand what public emergency or what public security could be threatened in an organization which is purely educational ; an organization which is mostly directed and governed by the Government itself ? Public security and such emergencies could arise in respect of Municipalities, in respect of so many other organizations but for an educational Board such a danger to public security is inconceivable. Probably here it was only to fulfil a legal convention but I might inform you here, Sir,

Page No.50

(श्री नारायणसिंह)

that if our democracy begins to glide on the golden channels of legal conventionalism it may be feared that it might be drifting to the very verge of self ridicule.

The other day certain Hon'ble members had referred to a particular conception of democracy and had said that democracy is an organization of consumers. Well, Sir, if democracy is an organization of consumers in this way it does not even serve that purpose if it goes in that direction alone. I beg to differ here that the educational system which has been conceived in our country and which we want to give to our people will change the entire conception in this respect. This organization of consumers specially in respect of democracy may be a financial fact, but surely it has a tendency to lead us to totalitarian tendencies. We want to form a democracy of producers. They are an essential and integral part of the society and the consumers thrive only on producers. When we want to revolutionize the whole of our educational system on the basis of our culture and civilization which had essentially this concept of what I may call a productive democracy. We have to consider it more emphatically as to what form we might give to our Boards? How far we may supersede them and how far we may interfere with their activities ?

The matter of policy is essentially in the hands of the Government so far as education is concerned. And it will be only on the tracks laid down by the Government in matters of education that this Board will be functioning. This Board will only be giving executive effect to those policies. I don't see any security or public peace threatened in this respect. Clauses preceding 27 amply safeguard emergencies. "In any emergency which, in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken the State Government may take such action, consistent with this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board thereof."

Then again in sub-section (5) it has been provided that, "The State Government may, by order in writing, specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board and prohibit the doing of an act, etc."

The emphasis is-"suspend the execution of any resolution or order of the Board and prohibit the doing of an act........." With all these safeguards having been put in clause 26 I don't see any necessity for supersession. I do not see any occasion when such an emergency might arise that the Board might have to be super-

(श्री नारायणसिंह)

seded. Probably in this connection we may make an appeal to our old tradition and history. We might even point out to the conception that there was an ideology like 'Rajyashraya' as an educational convention; cultural activity was dependent on 'Rajyashraya'. I might point out here that there was along with it the Gurukul system, Ashrams, Kulpatis, and Rishis and they were such autonomous bodies and people that no Government could interfere. We have instances where we find that Kings could not even transgress such limits of Ashrams. Even the entry of a King was conditional. Even the 'Rajyashraya' or protection from a State Government, it was in matters of finances and protection from any inroads of robbers and others. But this 'Rajyashraya' did not essentially mean that the State Government could interfere in the ordinary working of their affairs. On the other hand these institutions were so strong and Rishis weilded such great influence over the society that instead of there being an occasion of supersession for them, there were occasions when such cultural organizations with such people could interfere even with the working of the Government, could remove the Kings and change Administrations. With the lapse of time and change of conceptions we don't want the repetition of all that but we have a culture behind us which shows amply that our educational and cultural institutions were very much immune from State interferences. Not only this, they had a great influence on the working of the State itself, on the chiselling of the whole national character.

When we are conceiving of such a Board which will give novel type of education; when we are conceiving of the fact that the Chairman should be an independent person who has devoted his whole life to the cause of education, when we conceive that the Chairman should be a person who has had an independent experience of his own in the field of education and who would not proceed on the brass tracks of bureaucratic routine, when we want to give such a wide conception to the Board, it will be very much out of place to put such clauses in the Bill which refer to supersession.

Supersession, as I have already said is not at all necessary, is absolutely unwarranted when we have already provided and assured in previous clauses enough powers in the hands of the State Government. The other day the Hon'ble Deputy Minister had referred to a fact that probably certain of the members of the House doubt the very bonafides of the Government when they suggest amendments

Page No.52

(श्री नारायणसिंह)

to this Secondary Education Bill. Well it may be possible for certain members to doubt the bonafides but I can assure, Sir, that most of the Members have no reason to doubt these bonafides. When such amendments are moved and suggested it is only to throw light over these forgotten alloys of ideologies which are changing with the flux of times. We cannot afford to think in that very way given to us by the British legalistic system. Supersession may be a legal convention but that should not be stressed thus as to interfere with the activities of the cultural bodies like the Educational Board of Secondary Education here. The very personnel of the Board mostly consists of such persons who are intimately connected with the Government, and who are even government servants. There could not be any occasion for them to divert to a different course altogether from that which the Government desires them to take in that field.

The other day I had a little talk with the Hon'ble Dy. Minister and he seemed sympathetic with the view. All that he said was that it was a legal convention. He seemed to be agreed to modify these clauses and to put them in one clause whereby all the following clauses ranging from 27 to 33 purporting to supersession of the Board, might be removed and whereby such a supersession might be ruled out. If there be such emergency which the Dy. Minister referred and which cannot be preconceived, for that purpose there could be some other type of system which could be provided here. It look reactionary to my mind to have a provision of supersession for educational bodies which are run by the Government itself. Educational and cultural organisations are now guided solely by the Government—that seems an attitude which would seem more or less akin to Soviet lines; but in democracies general education is better left to itself with certain guidance principles. It would be better if we could make education absolutely free from all the State encumbrances; if we could guide them on general principles and leave this sphere entirely to a private initiative.

I suppose such a private initiative could give us new ideas, open fresh fields in this experience than what we could expect from our governmental instituicns and others which are going on certain rigid tracks simply.

With these words, Sir, I would request through you to the House and the Hon'ble Deputy Minister-in-charge of the Bill that it may be considered and pondered over and these clauses, running from 27 to 33, may be deleted altogether and a modified clause may be thought out and put, if at all the

(श्री नारायणसिंह)

Hon'ble Deputy Minister fears that there should arise an emergency which cannot be conceived of at the moment.

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Your amendment covers the amendment of Shri Narain Singh. Better you confine to your amendment only.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन प्रस्ताव है वह करीब करीब वैसा ही है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय श्रीमानसिंहजी ने रखा है। क्लॉज़ २७ के अन्तर्गत राज्य सरकार को इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं कि जिन अधिकारों का प्रयोग कर राज्य सरकार चाहे जिस प्रकार से, चाहे जिस प्रकार का कार्य एक्ट की मन्शा के अनुसार, कानून के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा करवा सकती है। इसके उपरान्त भी सरकार को इस प्रकार का अधिकार देना कि वह बोर्ड को सुपरसीड कर जाये, मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी शिक्षा शास्त्री हों वह सरकार की जी-हुजूरी करने वाले हों। जितने भी विद्वान होंगे यह आवश्यक होगा कि उनकी स्वयं की कोई प्रतिभा होगी, स्वयं विचारक होंगे और जब हम जनतन्त्र के अन्दर रहते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोग केवल सरकारी पक्ष का विचार रखें या सरकार की जो विचारधारा है उसकी पुष्टि करने वाले लोग हों। हमारे समाज के अन्दर यह सम्भव है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विचारधारा वाले लोग या भिन्न-भिन्न विषयों पर अपने अलग-अलग विचार रखने वाले लोग हो सकते हैं। तो जो विद्वानों द्वारा बना हुआ बोर्ड होगा वह बोर्ड हर प्रकार से विचारों में सरकार की हां में हां मिलाये, यह सम्भव नहीं होगा और आज का हमारी सरकार का जो ट्रेंड है उससे यह नहीं दिखाई देता कि विपक्षियों की कोई न्यायसंगत बात है, उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो, ऐसी स्थिति के अन्दर हमें इस प्रकार का डर है कि सरकार देखेगी कि बोर्ड स्वतन्त्र रूप से वर्क कर रहा है, सरकार की जो नीति है उसके अनुकूल कार्य कर रहा है। लेकिन सरकारी पक्ष की जो विचारधारा है उसकी विचारधारा उससे मेल नहीं खाती है तो सरकार उस बोर्ड को भंग कर सकती है। मान लीजिये कि सरकारी कम्युनिकेशन्स का किसी ने उल्लंघन किया या सरकार द्वारा जो सुझाव दिये गये उनका उल्लंघन कर दिया है तो उस पर क्लॉज़ २६ का प्रयोग हो सकता है उसके रिज़ोल्युशन को स्थगित कर सकती है इसके बाद भी सरकार यह समझे कि बोर्ड स्वतन्त्र नीति का समर्थन करता है, स्वतन्त्र नीति के ऊपर चलता है तो सरकार इस हथियार का प्रयोग उसमें कर सकती है। आज आप क्लॉज़ २६ के अन्तर्गत अधिकार लेने के उपरान्त भी आप २७ वें क्लॉज़ को पास करने के लिए प्रेस करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें आपका अपने विचारों को, अपनी नीति को जबरदस्ती मनवाने का इरादा है। अगर आप क्लॉज़ २७ को नामन्जूर कर देते हैं तो २८ से लेकर ३३ तक सारी क्लॉज़ेज़ व्यर्थ सी हो जाती हैं, अगर क्लॉज़ २७ को पास कर देते हैं तो ये सारी क्लॉजेज़ भी पास करनी होंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि क्लॉज़ २७ को ड्रॉप कर दिया जाय।

(श्री जनार्दनराय नागर के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is one more amendment, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : 27 ? Shri Satish Chandra. 'Delete the whole clause.' It is identical with Shri Narayan Singh' s amendment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But even then I have to move the amendment and speak on it. I have got a right.

श्री उपाध्यक्ष : The right is there. You can speak on the amendment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा विधेयक के क्लॉज़ २७ पर मैंने भी संशोधन रखा है। क्लॉज़ २७ वह क्लॉज़ है जिस क्लॉज़ के अन्तर्गत जिस बोर्ड को निर्मित इस विधेयक द्वारा करने जा रहे हैं उस बोर्ड को राजस्थान सरकार अगर चाहे तो किसी भी समय, किन्हीं भी कारणों को लेकर भंग कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल जब इस सदन में विधेयक के अन्य क्लॉज़िज़ पर बहस हो रही थी तब मैंने सदन के माननीय सदस्यों के सामने सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की नियुक्ति के सम्बन्ध में संशोधन रखा था और उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुये उप मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि इस बोर्ड के सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पद पर बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था कि बोर्ड्स में जिस प्रकार भी अपोइन्टमेंट्स होते हैं सचिव और उप-सचिव के अपोइन्टमेंट्स भी बोर्ड को ही करने दिये जांय। आज हम बोर्ड को एक ओटोनोमस बोर्ड बनाने जा रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनायें प्रस्तुत करेगा। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन रखा कि हमको ऐसे बोर्ड के लिए जिसमें अच्छे-अच्छे शिक्षा शास्त्री होंगे कभी ऐसी शंकायें नहीं करनी चाहिये जो शंकायें निर्मूल हों। हमारी राज्य सरकार को हर एक काम के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में, उसकी रीति-नीति के बारे में सन्देह नहीं रखना चाहिये। उस समय मैंने यह बात भी कही थी कि थोड़ी देर बाद हम क्लॉज़ २७ पर भी विचार करेंगे। आज हम क्लॉज़ २७ पर विचार करने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमें राज्य सरकार की नीति में सन्देह नहीं करना चाहिये। इसके बोनाफाइडीज़ में किसी को डाउट नहीं होना चाहिये. ये बातें माननीय उप मन्त्री महोदय ने कही थीं। तो मेरा निवेदन यह है कि जो बोर्ड हम ओटोनोमस बनाने जा रहे हैं तो उसके बोनाफाइडीज़ में क्यों सन्देह करना चाहिये कि वह सरकार के हुक्म को नहीं मानेगा या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा ? इस प्रकार की जो दलीलें उनके द्वारा दी गई हैं वे उनके ही विरोध में जाती हैं। आज मुझे इस अवसर पर छोटा सा दृष्टान्त याद आता है जो सबसे ज्यादा फिटइन हमारे उप मन्त्री महोदय पर होता है। एक लड़का स्कूल में पढ़ने गया, वहां पर मास्टर ने उसको 'माई हेड' का मतलब बताया 'मेरा सिर', जब वह लड़का स्कूल से पढ़ कर घर पर आया तो उसके पिताने पूछा आज स्कूल में क्या पढ़कर आये हो, उसने कहा मुझे आज मास्टर जी ने 'माई हैड' का मतलब बतलाया मास्टर जी का सर। तो उसके पिता ने कहा 'माई हैड' का मतलब होता है 'मेरा सिर'। जब दूसरे दिन वह स्कूल में गया तो मास्टर जी ने पूछा क्या तुम अपना पाठ याद कर लाए हो उसने कहा हां,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

'माई हैड' माने पिताजी का सिर मास्टरजी ने कहा यह गलत है, 'माइ हैड' मीन्स 'मेरा सिर'। इसी तरह जब वो लड़का स्कूल से पढ़कर घर आ रहा था तो रास्ते में उसके सहपाठी मिले उसने पूछा आज तुमने क्या पढ़ा तो उसने कहा कि 'माई हैड' मीन्स, स्कूल में तो मास्टर जी का सिर और घर में पिताजी का सिर। उसके समझ में यह बात आयी कि 'माई हैड' के मतलब दो होते हैं। इसी तरह हमारे उपमन्त्री महोदय फरमाते हैं एक तरफ यह कि हमें सरकार की बोनाफाइडीज़ में विश्वास करना चाहिये और दूसरी तरफ बोर्ड जो ओटोनोमस बनाने जा रहे हैं, उसके कार्य में सन्देह कर रहे हैं। आखिर जब यह बिल हमारे सामने आया है तो हमने इसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने की कोशिश की है, इस पर भी आप यह समझते हैं कि यह बोर्ड गडबडी करेगा, इस तरह से तो आप बोर्ड के बोनाफाइडीज़ पर अविश्वास करते हैं, उसके कार्य में आपको सन्देह है, शक है, इसीलिये तो आप यह चाहते हैं कि बोर्ड को सुपरसीड करने की पॉवर गवर्नमेंट को होनी चाहिये।

आप बोर्ड मे देखेंगे, सभी सदस्य पढ़े लिखे होंगे, एक से एक बढ़कर विद्वान भी होंगे, यह कोई म्यूनिसिपैलिटी का बोर्ड नहीं, पंचायत का बोर्ड नहीं, यह तो शिक्षा विशेषज्ञों का बोर्ड होगा और इस बोर्ड का निर्धारण इस विधान सभा में बैठे हुए १७६ माननीय सदस्य कर रहे हैं, जिनमें १ करोड़ ६० लाख जनता का विश्वास है। वैसी हालत में ऐसे बोर्ड पर सन्देह करना और उनके कार्य को सुपरसीड करने के पॉवर सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना, मैं न्याय संगत नहीं मानता। आज जिस बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार का भार, हमारे नवजवानों के भाग्य का भार डालने जा रहे हैं उसके विषय में किसी प्रकार सन्देह करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। आज इस विधान सभा के १७६ सदस्य यह तय नहीं कर पाये कि इस बोर्ड के सदस्यों का कोम्बीनेशन किस प्रकार किया जाय; इस कोम्बीनेशन के बारे में, इसके निर्माण के बारे आज हम इतने सावधान हैं और इस गहराई के साथ विचार करने जा रहे हैं कि किन किन सदस्यों को इस बोर्ड में रखा जाय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी बोर्ड के बारे में जिसका अध्यक्ष वाइस-चान्सलर हो सकता है या शिक्षा विभाग का अध्यक्ष हो सकता है, डीन्स ऑफ फेकल्टीज़ हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, इन्सपेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे सदस्य इस बोर्ड के होंगे जो हमारे प्रदेश के छूंटे छूंटाये शिक्षा शास्त्री होंगे, उस बोर्ड के बारे में इस प्रकार की शंका करना कि वह बोर्ड किसी प्रकार की गड़बड़ी कर सकता है जिसके कारण राज्य सरकार को सुपरसीड करने की नौबत आये, इस प्रकार के अधिकार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना और वह भी विशेष कर ऐसे बोर्ड के बारे में जो शिक्षा के प्रसार के लिये बोर्ड हो उसके लिये यह एक प्रतिगामी कदम होगा।

हां, माननीय उपाध्यक्ष, हमारे माननीय उपमन्त्री महोदय शायद स्वायत शासन के भी उपमन्त्री हैं, इस कारण शायद उनको नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सम्बन्ध में और पंचायतों के सम्बन्ध में कोई कटु अनुभव होगा और वहां शायद ऐसी मिसालें आती रही होंगी जिनमें उन बोर्डों को, पंचायतों को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भंग करना जरूरी माना गया होगा और इसलिए उनको भंग करने का अधिकार उचित माना गया होगा। पर उपाध्यक्ष महो-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दय, मैं समझता हूं कि जहां तक इस बोर्ड का ताल्लुक है इसमें और उनमें एक आधार पर उन्हें मान कर उनकी तुलना करना न्यायोचित और न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिये फिर से इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

जैसा मैंने निवेदन किया कि जिसके हाथों में इतनी ताकत है और क्लॉज़ २६ में राजस्थान की सरकार ने इतने पॉवर्स ले लिये हैं कि वह इस बोर्ड को, कंट्रोल करती है वह चाहे तो बोर्ड से एक्सप्लेनेशन ले सकती है, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटर्स पर उस बोर्ड को जो चाहे वह सरकार डाइरेक्शन दे सकती है, अपने आदेश बोर्ड से मनवा सकती है और अगर उन आदेशों को बोर्ड न माने तो मनवाया जा सकता है। बोर्ड के किसी ऐसे प्रस्ताव को सरकार सस्पेन्ड कर सकती है। फिर समझ में नहीं आया इस तरह के असीम अधिकार सरकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है कि चाहे जिस समय सरकार बोर्ड को डिज़ोल्व कर सकती है ? आज के युग में, आज के जनतन्त्र के युग में हम विकेन्द्रीकरण की सत्ता को अनुभव करने जा रहे हैं, व्यक्ति, व्यक्ति के हाथों में हम देश का शासन सौंपने जा रहे हैं, तब कौनसी ऐसी परिस्थिति इस राजस्थान सरकार के ही सामने आ गई, कौनसा ऐसा आसमान फट पड़ेगा, कौनसी ऐसी धरती फट जावेगी कि जिससे इस बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिये ? हो सकता है, माननीय उपाध्यक्ष मोहदय, एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जैसी कि मैंने सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट के बारे में निवेदन किया था, उस समय भी निवेदन किया था कि यह सरकार अपने हाथ में इसलिये रखना चाहती है कि हमारा आदमी यहां भी रहना चाहिये, यद्यपि ऑलरेडी उनके कई आदमी इस बोर्ड में हैं। पर मैं समझता हूं कि कौन सी ऐसी स्थिति खड़ी हो सकती है कभी बोर्ड उसके आदेशों को नहीं माने या राज सरकार की दया पर न चले, माननीय उपमन्त्री महोदय जैसा चाहें वैसा न करे तो मैं नहीं समझता कि जिस प्रोविजन में इतना डिस्क्रिशन सरकार को है उसके रहते हुए इसकी जरूरत ठीक हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें लिखा है : "At any time" इसमें सर्कम्सटेन्सेज़ नहीं दिये, परिस्थितियां नहीं बताईं, रीज़न्स नहीं बताये कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से, किस आधार पर कौनसी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब इसे भंग कर दिया जाना चाहिये ? इसमें तो इतना लिखा है, अगर मैं गलत नहीं कहता हूं तो :

"If at any time in the opinion of the State Government, the Board is not competent to perform or persistently make default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act. or otherwise by law, or exceeds or abuses its powers, the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, publish an order superseding the Board, and such order shall be in force for such period as may be specified in the order."

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को पढ़ने के बाद जो लोग कानून का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय उपमन्त्री महोदय भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लॉ ग्रेजुएट हैं, बाकी का पता नहीं, तो वे जानते हैं कि किसी को भी मारने से पहले उसे सफाई देने का अवसर देना चाहिये। हम किसी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं आखिर उसको भी फरियाद करने का अधिकार है और उसकी फरियाद पूरी की जाती है। पर अफसोस के साथ कहा जाता है कि उतनी रियायत भी इस कानून में उस बोर्ड को नहीं दी गई कि उसे बर्खास्त करने से पहले उससे कोई सफाई मांगी जाए, उसे इसके लिए अवसर दिया जाय। ऐसा लगता है शायद उपमन्त्री महोदय ने इसे बनाया नहीं है और अगर इस कानून को उन्होंने बनाया है तो शायद पूरा पढ़ा नहीं है पढ़ा है, तो गौर नहीं फरमाया। बोर्ड को सुपरसीड करने से पहले उनको नोटिस तो देने का प्रोवीजन रखते। भंग करने से पहले पूछा जाना चाहिये, उनका एक्सप्लेनेशन लिया जाना चाहिये और इसके बाद अगर उनका उत्तर असन्तोषजनक हो तो आप यह अधिकार लेने की बात करते तो समझ में भी आ सकता था। ऐसा प्रोविजो इसमें होना चाहिये, पर without any opportunity being given to the Chairman of the Board, to the Members of the Board, to the Secretary of the Board, to explain their position, to give a satisfactory reply to what the State wants in their order.

लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, इस कानून में ऐसी कोई भी बात नहीं रखी गई है। उपमन्त्री महोदय ने, ऐसा मालूम होता है कि, हलाल और झटका, दोनों एक साथ करने का निश्चय कर लिया है।

(हंसी)

वे शायद दोनों को ही मानने वाले हैं, हिन्दू मुस्लिम, सेकुलर स्टेट है। तो मैं निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि इस प्रकार का कोई प्रोवीज़न भी कम से कम रखते। आज म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर भी सदस्य को जब हटाया जाता है तो उसे भी नोटिस दिया जाता है, बुलाकर पूछा जाता है फिर कोई गड़बड़ी साबित हो, यदि राज्य सरकार को उसके उत्तर से सन्तोष न हो, मन्त्री महोदय को सन्तोष न हो तो अलग किया जाता है। यही बात इस जिला बोर्ड के बारे में भी और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में भी लागू होती है। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन कर दूं, इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, पंचायतों, म्यूनिसिपैलिटियों आदि का जो कॉन्स्टीट्यूशन है और वह जिस कानून के मातहत होता है उससे यह स्थिति स्पष्ट है कि उनमें विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के लोग होते हैं, उसमें हो सकता है पार्टीबाजी के कारण, दलगत राजनीति के कारण ऐसे तत्व आ घुसे और जिला बोर्ड में या पंचायत में या म्युनिसिपैलिटी में में अपना बहुमत बना लें और तब सरकार को उनका सामना करने में कठिनाई हो तो यहां अगर सुपरसीड करने का अधिकार वे लेते हैं तो यह तो समझ में भी आ सकता है।

पर इस बोर्ड के बारे में सरकार का यह भय करना कोई समझ में आने लायक बात नहीं मालूम पड़ती। जिस बोर्ड में सभी प्रकार के उच्च शिक्षा शास्त्री होंगे और उनको लेकर किस प्रकार इसका कम्पोज़ीशन किया जाय ताकि इसके द्वारा शिक्षा की बड़ी से बड़ी सेवा हो सके। राजस्थान के सभी सदस्य आज पिछले कई दिनों से गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और इतने दिन की बहस के बाद भी इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पाये कि इसका चेयरमेन कौन हो ? इससे लगता है यह सदन इसके बारे में कितना चिन्तित है, कितना गम्भीर और विचारमग्न है। इसका चेयरमैन कौन हो, आज तक इसका निर्णय नहीं हो पाया। इसमें सदन जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता क्योंकि सदन जानता है कि यह कोई मामूली सा बोर्ड नहीं है, म्युनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पंचायत जैसा नहीं है। यह वह बोर्ड है जिसके हाथ में सारी माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपने जा रहे हैं, जिसके कन्धों पर प्रान्त की भावी होनहार पीढ़ी को समुन्नत बनाने का भार सौंपने जा रहे हैं, हमारे होनहार बच्चों के भविष्य को हम जिनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिनके कन्धों पर रखने जा रहे हैं, उन पर इस क्लॉज द्वारा अगर विश्वास नहीं कर सकते तो क्या असर पड़ेगा ? जो उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उस उद्देश की पूर्ति में ऐसा प्रोवीजन रखने का क्या नतीजा होगा ? बोर्ड के सम्माननीय सदस्यों के मन में भी यह भय बना रहेगा और जैसा मैंने निवेदन किया सेक्रटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के अपोइन्टमेन्ट के वक्त सत्ता अपने हाथ में रखकर केवल आपने उस बिल में दो सुराख बनाये हैं, अपनी इर्रेगुलेरिटी को यहां भी घुसेड़ने के लिये और आज सुपर सेशन का जो प्रोवीजन रक्खा है उससे यह अन्दाज लगता है कि आपने उन २५ सदस्यों की कमर ही ढीली कर दी है, उनके मनों में तहलका मचा दिया है बिल, बिल की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कमजोरी आ गई है। उनको सदा भय बना रहेगा कि किस वक्त सरकार इसे भंग कर दे। आप उनको सुनवाई का मौका भी देना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मालूम पड़ता है मेरे आरग्युमेन्ट्स से वे सहमत हैं।

(माननीय उपमन्त्री महोदय को एक सदस्य से बात करते देखकर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान बंटता है उधर बात करते हैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : वे एप्रीसियेशन में बोल गये हैं कुछ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जारी) तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्लॉज का सम्बन्ध है यह एक सब से भयंकर क्लॉज इस कानून में बनाया है और जिस भावना के साथ यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हुआ है और जो भावना इसके सम्बन्ध में यहां पर पिछले तीन दिनों से सुनता आ रहा हूं और जो भावना माननीय मन्त्री महोदय ने हमारे सामने व्यक्त की है, उन सब भावनाओं के यह विपरीत होगा। जो तस्वीर इस बिल के द्वारा आप बनाना चाहते है वह बहुत अच्छी तस्वीर है, इसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। उपमन्त्री महोदय ने यह भी फरमाया कि इस तरह का बिल पहले पहल हम ही यहां लाये हैं, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शिक्षा की जो बहतरीन तस्वीर हम राजस्थान में बनाने जा रहे हैं इस तस्वीर की क्लॉज़ २४ से २७ को देखते हुए हम खुश थे, बीच में छोटी मोटी गलतियां हमने देखीं तो हमने कहा कि ये छोटी मोटी गलतियां हैं, इन्हें ठीक कर लीजिये। सेक्रेटरी का अपोइन्टमेन्ट और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का अपोइन्टमेन्ट आपको नहीं करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये छोटी मोटी गलतियां कहीं तस्वीर बनाने में आ गई हैं,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहीं तस्वीर में बाल ज्यादा आ गये है, कहीं आंख की लम्बाई ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, ठोड़ी पतली हो गई है, उसके सम्बन्ध में हमने सुझाव दिये थे लेकिन उन्होंने उनको नहीं माना। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप २७ वें क्लॉज की ओर गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वे जो तस्वीर बनाने चले थे वह इससे दूसरी ही बन गई। उप मन्त्री महोदय, जैसा कि मैंने एक दफा निवेदन किया था कि उन्होंने तस्वीर गणेशजी की बनाने को सोची थी लेकिन जब सूंड लगाने का सवाल हुआ तो सूंड सामने लगाने के बजाय पीछे लगा दी। वह गणेशजी की तो तस्वीर बनी नहीं, लेकिन वह तो बन्दर बन गया। इसलिये इस बिल में जो यह क्लॉज़ २७ जोड़ा है यह उसी हालत में है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो तस्वीर वे बनाने जा रहे हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उनके साथ हमारा सहयोग है, छोटी मोटी गलतियों के लिये जो हमने सुझाव रखे थे वे इसीलिये रखे थे कि यह जो तस्वीर बनाई जा रही है वह अच्छी बने, क्योंकि यह आपका और हमारा है और जब यह आपका और हमारा है तो उस हालत में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि माध्यमिक शिक्षा कानून है वह पूनमचन्द जी की देन है, लेकिन लोग कहेंगे कि यह राजस्थान विधान सभा की देन है, this is enacted by the Rajasthan Legislative Assembly in the year 1957. इसलिये इस सारे बिल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, इस विधान सभा के ऊपर है। आप एक ऐसी तस्वीर बनायें जो हिन्दुस्तान में एक अजीब नमूने की हो, एक ऐसी तस्वीर बनायें जो हिन्दुस्तान में और कोई दूसरी तस्वीरें उसकी सानी न रखें, ऐसी तस्वीर बनायें जिससे दूसरे प्रान्तों के व्यक्ति भी देख कर अनुकरण करें, यह कहें कि क्या कानून राजस्थान की विधान सभा ने पास किया है, कितना बोर्ड के प्रति विश्वास रखा है, कैसा बोर्ड का सम्पादन किया है, कितना उत्तरदायित्व व भार इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर डाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय उप मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस तस्वीर के बारे में फिर से विचार करें। २७ वां क्लॉज़ एक प्रतिगामी क्लॉज है, इस सारी तस्वीर को बिगाड़ने वाला क्लॉज़ है, बोर्ड का अंग भंग करने वाला क्लॉज़ है, इसको देखकर लोग हंसेंगे और जो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। बोर्ड पर एक अंकुश लग जायगा, बोर्ड की हड्डी पर चोट लग जायगी, प्रहार हो जायगा। बोर्ड को भंग करने का अधिकार आप अपने हाथ में रख रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो कि इस बोर्ड के द्वारा राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा का भार जो उसको देने जा रहे हैं उसमें शायद मौत का परवाना लगा दिया हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे संशोधन पर गंभीरता से विचार करें, ठंडे दिल से विचार करें और इस पर फिर से निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Nagar.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : श्री उपाध्यक्ष महोदय, २७ वीं क्लाज़ को लेकर जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं और उनके समर्थन में जो मेरे मित्रों ने अपने संभाषण दिये हैं, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि जनतन्त्र में कभी आश्चर्यजनक

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्यार है और ऐसा अंधे आदर हैं जिसकी मैं ताईद करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र के प्रति आदर होना और प्रेम होना बहुत अच्छी बात है। सही बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, भारत की आज़ादी के बाद जैसी जनतन्त्रीय प्रणाली और समाज व्यवस्था का वृहत्तर समारम्भ किया है उसके साथ साथ जनतन्त्र के प्रति आदर्शमयी प्रेम भावना मानने लगे हैं। जनतन्त्र के प्रति उत्तरदायी भारत के निवासियों में यदि प्रेम नहीं है और आदर नहीं है तो कहना चाहूँगा कि जनतन्त्रीय व्यवस्था में कोई संगठन हो, कोई भी सभा हो, कोई भी जनतन्त्रीय प्रणाली ठीक तरह से विकसित नहीं हो सकती है। लेकिन जनतन्त्र के प्रति एक प्रेममयी भाव ही भाव हो और उच्च आदर ही आदर हो तो, मैं समझता हूँ, जनतन्त्र की प्रणाली की स्थापना के पश्चात् भी उसका सम्यक् पोषण करते हुए भी समाज की व्यवस्था, उसकी प्रगति को बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा। किसी से प्रेम करते रहो, किसी के प्रति आदर ही आदर हो, लेकिन उसके साथ साथ दृढ़ता के साथ जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करें और जो व्यवस्था सम्भव हो सकती है उसको रखने का प्रयत्न न करें, तो मैं समझता हूं कि जनतन्त्र के प्रति इतने आदर हैं, उच्च आदर हैं, आदर्श हैं लेकिन अन्त में उनके माने कोई नहीं रह जावेंगे।

यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जनतन्त्र के प्रति जहां अधिकारों की भावना बहुत बढ़ गई है वहां यह भी उतना ही सही है कि जनतन्त्र के प्रति दृढ़ता के साथ कर्तव्य करने की जिम्मेदारी उससे ज्यादा बढ़ गई है। जो क्लॉज़ इस विधि में रखा गया है उसको लेकर जनतन्त्र की समूची व्यवस्था के प्रति बड़ी भयभीत आशंकायें मेरे मित्र ने व्यक्त की हैं। एक आशंका यह व्यक्त की गई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार को वह अत्यधिक अधिकृति देना जिससे जब चाहे राज्य सरकार बोर्ड को खत्म कर दे। दूसरी आशंका है, वह यह है कि यह क्लॉज़ एक ऐसा क्लॉज़ है जिसके द्वारा राज्य सरकार को बोर्ड में दखल देने का अधिकार मिलता है। तीसरी आशंका है वह यह है कि एक हाथ से देकर राज्य सरकार द्वारा दूसरे हाथ से लेने की बात है। इस प्रकार की आशंकायें देश में, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे म्युनिसिपलिटी हो, चाहे पंचायत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे कोई हो, जन संगठनों के निर्माण के बारे में उत्तरदायी हैं, जो विधान सभाओं में और इस विधान सभा में विचार करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जनतन्त्रीय चेतना और विचारों का प्रारम्भ शंकाओं से आरम्भ हुआ है और इसका कारण है उपाध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि भारतीय गुलामी और गबन की एक कहानी है और जो आज गत दस वर्षों से एक अतीत की कहानी मात्र रह गई है। मैं कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज हम बीती हुई आशंकाओं के अन्दर पड़ कर जहां एक अच्छी जनतन्त्रीय व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और इसका उत्तरदायित्व हम पर है, उन शंकाओं के जरीये विचार करने लगेंगे तो मुझे भय है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आज हमारा आवश्यक और अनिवार्य कर्तव्य है उसको ऐसी जनतन्त्र विधि के द्वारा पूरा नहीं कर पायेंगे। इसलिए यह २७ वां क्लाज़ नितान्त आवश्यक मालूम होता है। जनतन्त्रीय प्रणाली के पोषण का यह क्लॉज़ है। इस क्लॉज़ का यह मकसद नहीं है कि राज्य

Page No.61

(श्री जनार्दनराय नागर)

सरकार के पास ऐसे अधिकार हों कि चाहे जब बोर्ड को अपने हाथ में ले ले या बोर्ड को समाप्त कर दे। स्वयं यह बात यह क्लॉज़ नहीं कहता है। यदि शान्ति से विश्लेषण करें तो उसका अर्थ है, वह यह है कि राज्य सरकार कब कैसे इस बोर्ड को अपने हाथ में लेगी? जब राज्य सरकार को यह निरंतर अनुभव हो, बोर्ड निरन्तर विधिवत् कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा हो और लगातार उसके प्रदत्त कर्तव्यों को करने में, उसकी निष्ठा में, उसकी योग्यता में तथा उसके संकल्पों में निरन्तर राज्य सरकार को कमी तथा अव्यवस्था महसूस होती हो। दूसरी बात यह है कि जब राज्य सरकार को यह लगे कि बोर्ड के कामकाज में भ्रष्टाचार आ गया है या और कोई ऐसी बात हो गई है कि जिससे सम्यक् और उचित तरीके से बोर्ड को जो निर्णय लेने चाहिए वह नहीं ले पा रहे हैं, और कुल मिलाकर बोर्ड की ऐसी व्यवस्था हो गई है, उसके विचारों में इतना परिवर्तन हो गया है, और ऐसी दूसरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जिनको लेकर बोर्ड अपने व्यवहार में ठीक तरह से कामकाज कर नहीं सकते, ऐसी अवस्था में राज्य सरकार बोर्ड को अपने हाथ में लेने का फैसला करेगा। वह बोर्ड के लिए हमेशा के लिए हाथ में लेने का फैसला करे, ऐसा प्रावधान इस क्लॉज़ में नहीं है। इस बारे में एक व्यवस्था यह रखी गई है कि केवल एक वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार उस बोर्ड के कामकाज को अपने हाथ में ले सकगी। एक वर्ष के बाद में राज्य सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है इस विधि के अनुकूल जो कि आगे जाकर कानून का रूप लेगा, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार और अनुरूप उसके अन्तर्गत उस बोर्ड का पुनर्निर्वाचन राज्य सरकार करवाये। राज्य सरकार की यह इच्छा नहीं मानी गई है कि वह चाहे तो बोर्ड का चुनाव एक वर्ष के बाद २, ३, ४, या ५ वर्ष तक नहीं करवाये और बोर्ड को अपने हाथ में एक अनिश्चित् अवधि के लिए रखे। यह आशंका अवश्य थी इस प्रकार का अधिकार देने से। लेकिन राज्य सरकार के लिए यह भी आवश्यक है कि यदि बोर्ड अपने कर्तव्यों को न करे तो इस क्लॉज़ के अन्दर यह दे दिया है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों में निश्चित रूप से राज्य सरकार उस बोर्ड के कामकाज को अपने हाथ में लेगी, लेकिन केवल एक वर्ष के लिए राज्य सरकार बोर्ड को अपने हाथ में ले सकती है। एक वर्ष के लिए ही वह चीज नहीं है, लेकिन एक वर्ष का समय अधिक से अधिक समय रखा गया है, जिस अवधि के अन्त तक राज्य सरकार सीधे रूप से उसका संचालन करेगी। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का आधारभूत अधिकार राज्य सरकार को देना किस अर्थ में, किस दृष्टि से, किस प्रकार से इस अर्थ में माना जा सकता है कि यह जो राज्य सरकार को ऐसा अधिकार दिया गया है जिससे कि सारा बोर्ड उसके हाथ में आ जायगा। और फिर इरादे का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ का अर्थ यह नहीं होता है कि राज्य सरकार ने निश्चित रूप से ऐसा बोर्ड बनाया है जो बोर्ड केवल उसके एक हुक्म से बना है, उसके आदेशों से बना है, उसको अपने हाथ में ले। मैं समझता हूं कि उसका इरादा यह नहीं है कि अधिक से अधिक राज्य सरकार द्वारा एक प्रकार से उसके जनतन्त्रीय स्वरूप को निर्धारित करके अपने आदेशों से बने हुए बोर्ड को अपने हाथ में लेने की प्रकारान्तर विधि इसके अन्दर दी हो। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि राज्य सरकार के हुक्म से बोर्ड नहीं बन रहा है, बल्कि इस

Page No.62

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रतिष्ठित राजस्थान के सर्वोच्च सदन की स्वीकृति और सहमति से बनाये जाने वाला यह बोर्ड है। यदि राज्य सरकार चाहे तो भी, मैं यह मानता हूं इस प्रकार की कोई अधिकृति अपने हाथ में नहीं ले सकती है। यही वजह है कि इस प्रकार की अधिकृति का एक प्रकार से सीमाकरण कर दिया गया है, उसको बांध दिया गया है।

२.१३ म० प०

अब एक सिद्धान्त का सवाल यहां पर आता है कि क्या जनतन्त्रीय संस्थाएं नितान्त रूप से जो कि राज्य और समाज की सर्वोच्च अधिकृति बनाई जाती हैं, उन जनतन्त्रीय संस्थाओं को जो राज्य या इस प्रकार से सर्वोच्च सदनों द्वारा बनाया गया है, उसको हम क्या समझते हैं। सही बात तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि विधान सभाओं और जनतन्त्रीय सर्वोच्च संस्थाओं द्वारा बनाये गये इस प्रकार के जनतन्त्रीय संगठन राजतन्त्र की प्रतिष्ठित सत्ता है उसको क्या समझते हैं ? यह प्रश्न हमारे सामने है। यह मैं समझता हूं कि तभी स्पष्ट हो सकता है जब कि हम एक और मानें कि जो सत्ता राजस्थान में है वह सत्ता भी इस सदन द्वारा बनाई गई है और वह सत्ता सर्वोच्च रूप से राजस्थान के उत्तरदायी प्रजातन्त्रीय मत से पुष्ट और पारित है। लेकिन यह अनुभूति क्या है, इसमें कोई शंका है, इसमें हमारी पसन्दगी और नापसंदगी क्या है, यह चीज है तो मैं कहूंगा कि राज्य सरकार और इस प्रकार की बनी हुई जनतन्त्रीय संस्थाओं के संबंध में हमारे मन में ऊहापोह बना रहेगा। मैं मेरे मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे कोई भी मत हो, कोई भी हमारा दृष्टिकोण हो, हम जनतन्त्रीय जीवन के किसी भी प्रवाह में बहकर जन प्रतिनिधि बन कर आये हैं, लेकिन राज्य सत्ता और इस प्रकार की जनतन्त्रीय संस्थाओं के बीच में रिश्तेदारी और संबंध को हमें निष्पक्षता और आधार भूत सिद्धान्तों के बिना विचार करना पड़ेगा।

मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि माध्यमिक शिक्षण बोर्ड और राज्य सरकार का आत्यन्ति आधार भूत संबंध है, उस संबंध से बोर्ड को अलग नहीं किया जा सकता है। तो क्या हम यह चाहते हैं कि यह सदन अपनी विधि के द्वारा इस बोर्ड को बनाकर यह बात कह दे कि राज्य सरकार का कोई आत्यन्तिक कन्ट्रोल, आत्यन्तिक संबंध इस बोर्ड से नहीं रहेगा, तो आप सोचिए कि उसका क्या परिणाम होगा ? हमें सत्य को मान लेना चाहिए। वह कटु सत्य है। हमने जब संपूर्ण रूप से जनतन्त्रीय परम्पराओं और चेतनाओं को विकसित नहीं किया है, क्या हम यह मानकर चलें कि कभी ऐसा समय नहीं आयेगा जब कि हमारे द्वारा बनाई हुई जनतन्त्रीय संस्थाओं के द्वारा गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसी असाधारण विषम परिस्थितियां नहीं होंगी, जिनकी वजह से जिस लक्ष्य से यह संस्था हम बना रहे हैं वह काम करती रहेगी। मैं मानता हूं कि जनतन्त्र के कर्तव्यों के प्रति आधारभूत जो चेतना है, उत्तरदायित्व की जो भावना है उसके अन्दर हम किस प्रकार से ना समझी को व्यक्त करेंगे। मैं यह मानता हूं कि यदि हम इस प्रकार के अधिकार इस विधि में नहीं रखते हैं तो राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व को महसूस नहीं कर रही है, और सही बात तो यह है कि उत्तरदायित्व तो पहले सदन का है, क्योंकि सदन बोर्ड बनाकर राज्य सरकार को दे रहा है और समाज को दे रहा है। यह तो सदन का पहले उत्तरदायि-

Page No.63

(श्री जनार्दनराय नागर)

त्व है सर्वोच्च सत्ता के नाते कि वह इस बिल के अन्दर इस बात को व्यक्त करे। यदि यह बोर्ड ठीक काम नहीं करे, कामकाज के प्रति उसकी निष्ठा में, उसकी क्षमता में कमी होती जा रही हो, प्रदत्त कर्तव्यों की पूर्ति, उसके व्यवहार में कई दूसरे कारणों से ह्रास होता जा रहा हो, तो मैं समझता हूं कि यह सदन की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार आत्यन्तिक सत्ता राज्य सरकार को दे और वही बात हम कर रहे हैं। राज्य सरकार को इस क्लॉज़ के द्वारा जो अधिकार दे रहे हैं वह इतना ही है कि इस विधि के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को बोर्ड अपने लक्ष्य में, ध्यान में रखे। यदि बोर्ड नहीं कर पाता है और बहुत सी कतिपय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनसे कि बोर्ड का कामकाज ठीक तरह से नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में तो राज्य सरकार बोर्ड को अधिक से अधिक एक साल के लिए अपने हाथ में लेगा और कामकाज चलायेगा, और एक साल के बाद में राज्य सरकार अनिवार्य रूप से इस बोर्ड का पुनर्निर्माण करेगा इस विधि के द्वारा।

अब सवाल यह है कि यह ठीक है कि जनतन्त्र के प्रति क्या आदर रहता है, उसके विकास के प्रति उत्तरदायित्व और परम्पराओं की अभिव्यक्ति और तरह से नहीं होती है। यह दूसरी बात है कि हम राज्य सरकार को नहीं मानते हैं, और यह समझें कि राज्य सरकार कुछ नहीं है, यह मेरे मन की मान्यता है। यह दूसरी बात है कि राज्य सरकार को उसकी सत्ता और स्थिति के संपूर्ण रूप में नहीं देखे, लेकिन यह सत्य है कि राज्य सरकार है, और राज्य सरकार को उसके अधिकारों, कर्तव्यों और उसकी जिम्मेवारियों की दृष्टि से मानकर हमें चलना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकार राजस्थान में इस प्रकार से विकसित किये जाते सभी प्रकार के जनतन्त्रीय संस्थाओं के प्रति एक आधारभूत उत्तरदायित्व रखती है। इस उत्तरदायित्व से राज्य सरकार को अलग नहीं कर सकते हैं और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए एक विधि इस क्लॉज़ के द्वारा यहां पर दी जा रही है; तो इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। भयभीत होना मैं समझता हूं कि हमारी उदात्त जनतन्त्रीय भावनाओं के प्रति, हमारे जनतन्त्रीय प्रयोगों के प्रति, जनतन्त्रीय चेतनाओं को दबाने के लिए प्रयत्न अतीत में उन लोगों के द्वारा किये गये जो कि हमारे देश के वासी नहीं थे, जो कि निरन्त दमन, अविकसित और अन्धकारमय स्थिति को बनाये रखना चाहते थे। उनके प्रति शंका हो, उनके प्रति रोष हो तो वह उचित था। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सत्य, एक तथ्य हमारे सामने वह हमारे उज्ज्वल इतिहास का तथ्य है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में राजस्थान के उत्तरदायित्व पूर्ण जनमत ने हमारे और उनके प्रतिनिधियों ने अपने सिद्धान्तों और व्यवस्था के अनुकूल राज्य सरकार की स्थापना की है, तो उस सरकार पर इस बारे में आधारभूत शंका न रखें, उसके प्रति अधिकृति की दृष्टि से मन में ऊहापोह नहीं रहना चाहिए, और निरन्तर ऐसी दृष्टि से विचार रखें कि यह सत्ता जो हमारे जरिये कायम की गई है, हम में से उत्पन्न हुई है; हमारे विवेक और निर्णय, हमारे संकल्प और हमारे प्रस्ताव के द्वारा जो सरकार चल रही है, वह सरकार ऐसी होगी जो कि इस विधान सभा के द्वारा जो यह विधि बनाई जायगी, उस विधि की तरफ ईमानदारी से काम नहीं करेगी, तो मैं मानता हूं कि वह स्वयं में, अपने में अविश्वास प्रकट

(श्री जनार्दनराय नागर)

करने जैसी बात हुई। इसलिए अपने स्वयं के प्रति किये जा रहे परोक्ष अविश्वास से हमको बचना चाहिए। और इस बात से हमें विश्वस्त होना चाहिये कि राज्य सरकार को हम जो अधिकार दे रहे हैं वे इस बोर्ड के हित के लिये दे रहे हैं, इसके कल्याण के लिये दे रहे हैं और इस लिये दे रहे हैं कि राज्य सरकार निश्चित तौर से आधारभूत कर्तव्य बोर्ड के प्रति कर सके। एक संस्था जिसको सदन बना देता है और इतना बड़ा उत्तरदायित्व और शक्ति उसको देता है जिसके हाथ में राजस्थान के नव जीवन और शिक्षण दीक्षण का सवाल है यदि उससे यह काम नहीं हो सकता तो कौन सी वह सत्ता है, कौनसा व्यक्ति है, कौनसा अंकुश है जो इस स्थिति को दूर करने के लिये आयेगा ? कोई जरिया हमें ऐसी स्थिति के लिये पैदा करना होगा। आपकी दलील है कि हमने जो बोर्ड बनाया उसमें अच्छे अच्छे व्यक्ति रखे जांय जो ठीक तरह से काम करेंगे। हमने इस तरह से प्रारम्भ कर दिया, मध्य तक पहुंच गये लेकिन अंतिम परिणाम तक हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिये यह आवश्यक है कि हम एक ऐसी बात रखें जिसके अंतर्गत असाधारण परिस्थितियां पैदा हों जिनको संभाला जा सके। काम-काज यदि विधि के अनुसार नहीं होता है तो एक शक्ति हमें विधि के अन्दर देनी होगी, एक व्यक्ति ऐसा देना होगा जो निर्णय करे कि अमुक विषय में इस तरह से काम होगा और इस काम के लिये राज्य सरकार ही ऐसी बोडी हो सकती है जो अंकुश रख सकती है और निर्णय दे सकती है। राज्य सरकार का अंकुश अप्रजातांत्रिक होगा। यदि ऐसी बात कही जाती है तो मैं मानता हूं कि जनतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं समझना है। जनतंत्र किसी भी देश में है उस पर अंकुश बराबर दिया है। आप इंग्लैंड को देखिये, रूस को देखिये, इस प्रकार का अंकुश विधि के अन्दर कायम नहीं किया है तो यह बात ठीक नहीं है।

आज हमारे भारत के पवित्र संविधान में भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च अधिकार दिये हैं। जब विषम स्थिति में पड़ जाय, ऐसी संभावना उत्पन्न हो जाय कि जीवन—मरण का प्रश्न हो तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि समस्त लोक सभा को स्थगित करके सारी शक्ति को अपने हाथ में ले सकते हैं। जनतंत्रात्मक पद्धति में जीवन यापन के लिए अधिक अधिकार देने चाहिये। यही बात हम कर रहे हैं। इसका इतना दूसरा अर्थ निकालना, इस प्रणाली के प्रति हमारा प्रति दिन विकसित चेतना में चिन्तित होना मानसिक स्थिति को व्यक्त करना है। आप यह नहीं समझें कि इस क्लॉज के जरिये हम राज्य सरकार को तानाशाही अधिकार दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तब तक बोर्ड चलेगा। राज्य सरकार की मधुर स्वेच्छा पर, उसके विवेक और मन पसंद तरंगों पर हमने इस बोर्ड को नहीं रखा। केवल यह मानकर राज्य सरकार को दिया है कि मधुरतम मधुर स्वेच्छा के आधार पर काम नहीं किया जायगा। जो क्लॉजेज हमने बनाये हैं, उनमें सुधार किया है उनके बारे में हम क्या कहना चाहते हैं यह क्लॉज अकेला सर्वोच्च क्लॉज नहीं है। इसके जरिये अन्य क्लॉजेज़ खत्म नहीं कर दिये गए हैं। यह क्लॉज़ एक क्लॉज़ है, जहां तक परंपरा का सवाल है, हर तरह के विधान में यह क्लॉज रखा जाता है। आप किसी भी विधान को ले लें, निश्चित रूप में आप इस प्रकार का क्लॉज़ उसमें पायेंगे। हमें रात दिन

(श्री जनार्दनराय नागर)

का संस्थाओं का अनुभव है । इस प्रकार का क्लॉज़ वहां भी रखा जाता है । असाधारण अवस्था में निश्चित रूप से इसका प्रयोग होना चाहिये ।

यह ठीक है कि राज्य के काम में ऊंचा-नीचा, १६-२० होता है । साधारण अवस्था में राज्य सरकार इसे काम में नहीं लावेगी । लेकिन असाधारण अवस्था में राज्य सरकार को यह अधिकार देना चाहिये ताकि इस प्रकार बनाये हुए बोर्ड के प्रति वह अपने कर्तव्य को अदा कर सके । वह कर्तव्य किसलिये कर रही है ? वह कर्तव्य इस विधान सभा के वास्ते राज्य सरकार अदा करेगी । हमने बोर्ड कायम किया है उसको मार्ग दर्शन देना व्यापक नियंत्रण रखने का अधिकार देना चाहते हैं, वह विधान सभा के लिये देना चाहते हैं । हम नहीं चाहते हैं कि हम जो विधि बनावें, जनतांत्रिक संस्थाएं कायम करें उनके सचालन में कोई गड़बड़ी होती है या वे ठीक काम नहीं करती हैं तो हम नहीं चाहते कि समाज में उनके कारण निराशा हो । इन खराबियों को दूर करने के लिये हमने यह अधिकार दिया है । हमारी जो केन्द्रीय एजेन्सी है वह अच्छी तरह से काम कर सके ।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतांत्रिक ढंग से शिक्षा में चेतना लाने का सवाल है वहां तक इस क्लॉज़ से परेशानी नहीं लाई जावे । जहां तक जनतंत्र में चेतना लाने और शिक्षा देने का सवाल है आजकल सर्व व्यापक उद्देश्य यह रह गया है कि जनता में चेतना का विकास करें । अभी हमने आरम्भ किया है और आरम्भ अंत से मुश्किल होता है । आरम्भ में जो कठिनाइयां है वे अंत में नहीं हैं । ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं हैं जिनके बारे में हम जानते न हों । मुझे क्षमा किया जाय २००० वर्ष से हम सीमित चेतना और सीमित शृंखला में हम निरंतर जकड़े रहे हैं । आज हमने भारत में जो आजादी हासिल की है वह निरंतर परिश्रम के बाद मिली है । हमने जिस नये युग में पदार्पण किया है वह नया युग, मैं समझता हूं, निरंतर विकसित होता जा रहा है । चेतना का तकाजा है, नये युग की मांग है कि हम अधिक से अधिक विकसित हो सकें । जब हम जनतांत्रिक एजेन्सीज़ को काम में लाना चाहते हैं तो निस्संदेह जनतंत्र के प्रति निष्ठा और कर्तव्य की भावना जाग्रत करनी पड़ेगी । कभी यह देख कर दुःख होता है कि निष्ठावान लोग भी जनतंत्र के प्रति पूरा न्याय नहीं करते । वे अधिकार तो लेना चाहते हैं लेकिन जो कर्तव्य हैं उनका समुचित नियंत्रण नहीं करना चाहते । मैं समझता हूं कर्तव्य भी आधारभूत प्रश्न है जो किसी न किसी रूप में सामने आता है । हमारा जो कर्तव्य जनतांत्रिक सरकार के प्रति है उसको पूरा करना पड़ेगा यदि हम समाज का विकास करना चाहते हैं; चाहे शिक्षा का प्रसार जनतांत्रिक संस्थाओं के जरिये करें चाहे राज्य के जरिये करें हमें एक बात माननी पड़ेगी कि हमने निरंतर विकसित होने के लिये मंगलाचरण किया है । उसको आगे बढ़ाने के लिए निष्पक्षभाव से शांति के साथ कर्तव्य करने के लिये थोड़ी बहुत शक्ति देनी पड़ेगी और उन संस्थाओं को देनी पडेगी जिन के कंधों पर हमने उत्तरदायित्व रखा है । इसलिये मैं समझता हूं यह हमारा एक प्रकार से राज्य सरकार के प्रति और राज्य सरकार के जरिये माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के प्रति और उसके जरिये शिक्षण व्यवस्था के प्रति और वहां जो बालक आते हैं उनके प्रति और उनके माता

Page No.66

(श्री जनार्दनराय नागर)

पिता के प्रति और कुल मिलाकर व्यापक राजस्थान के नागरिकों के प्रति एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। यदि बोर्ड में गड़बड़ियें हैं और असाधारण अवस्था में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाय कि काम काज चलें नहीं तो मैं समझता हूं राज्य सरकार को सत्ता देकर स्थिति को संभालना आवश्यक है। आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार मौजूद है जो आपके प्रति उत्तरदायी है और इस प्रकार की स्थिति पैदा होने पर बोर्ड को अपने हाथ में ले सकती है। और एक वर्ष के लिए कहां जनतंत्र को अपदस्थ किया जा रहा है, ऐसा अंदेशा उत्पन्न क्यों होता है कि सरकार इस बोर्ड को इस हाथ से लेकर उस हाथ में लेना चाहती है ? मैं समझता हूं कि मान लीजिये इस क्लॉज़ को ले लिया जाता है, तो फिर क्या स्थिति होती है। इसकी कल्पना कीजिए कि बोर्ड बन जायेगा, बोर्ड काम करना शुरू कर देगा, क्या आप ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि बोर्ड में आपसी गुट नहीं होंगे, ऐसी कोई परिस्थिति, असाधारण परिस्थिति, स्थिति उत्पन्न हो जाय, जिसकी चिन्ता से काम न हो। हमने विश्वविद्यालय बनाया, विश्व विद्यालय का संविधान इस सदन के द्वारा बनाया, मैं समझता हूं कि उसमें भी यह अधिकार रखा गया है कि अगर विश्व विद्यालय में काम काज ठीक तरह से न चले, कोई ऐसी परिस्थिति, संस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि ऐसी दशा में राज्य सरकार विश्व विद्यालय का मार्गदर्शन करा सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि बोर्ड की कर्तव्य-परायणता का तकाजा है, इसलिए हम इस प्रकार की विधि इसमें प्राविधित करें। इसमें भय जैसी बात नहीं है। मुझे खुशी हुई, हमारे सहयोगी सदस्यों में जनतंत्र के प्रति भावना उत्पन्न हुई है और मैं अंग्रेजी शब्द का उपयोग करूं तो जनतंत्र के प्रति रोमान्टिक प्रेम भावना सदस्यों में काम करती है। सही बात यह है कि जनतंत्र के प्रति रोमान्टिक, प्रेम भाव ही है। रोमान्स की जीवन में कमी नहीं होती, रोमान्स जवानी के प्रारम्भ के लिए अच्छा है, यह जवानी का प्रारम्भ है, लेकिन रोमान्स से गृहस्थी नहीं चलती ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Are you discussing 'romance' here ?

श्री उपाध्यक्ष : It is sometimes relaxing to discuss it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : This is not the stage, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The stage is not passed as yet.

श्री जनार्दनराय नागर : I was simply hitting at a romantic feeling towards democracy which is on its beginning in India. I was not referring to the romance otherwise.

मैं कह रहा था कि जवानी का प्रारम्भ रोमान्स के साथ होता है। उपाध्यक्ष महोदय, परिपक्वता आने पर, गृहस्थी बनाने पर, मेरे मित्र जानते हैं, गृहस्थी के जाल में फंसने पर कर्तव्य पूर्ति में चिन्ता और यातनायें कैसी होती हैं ? मैं समझता हूं इस प्रकार के भाव कर्तव्य निष्ठा देंगे गृहस्थी के प्रति। मैं समझता हूँ कि बोर्ड भी इसी प्रकार की एक

(श्री जनार्दनराय नागर)

शिक्षा के विकास की गृहस्थी है, जिसकी संयोजना हम कर रहे हैं। केवल उसके प्रति रोमान्टिक भाव हों, तो जिस गृहस्थी को ठीक तरह से चलाना है, वह ठीक तरह से नहीं चल पायगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनतंत्र के प्रति आधारभूत आदर व्यक्त करना चाहिए था और इस अवसर पर घूम घुमाव कर विकास करना आवश्यक है। यह बात ठीक है कि हमें जागरुकता के साथ राज्य सरकार को हक देने चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन जागरुकता, जागरुकता तक रहनी चाहिए, यह सीमा में रहनी चाहिए। यह नहीं कि एक लहमे में ऐसी चीज कर जायं, जिसमे जो हम करना चाहते हैं, वह नहीं कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, एक रेल गाड़ी बनती है, उसमें गार्ड न हो, वेक्युम ब्रेक न हो, तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं समझता हूं वेक्युम ब्रेक हों, तो एक्सीडेन्ट के समय, अकस्मात गति विधि के समय काम में आयेगा। मैं इस क्लॉज़ को जनतंत्रीय परम्परा की दृष्टि से, सब जगह स्वीकृति और एक प्रकार की निष्पाप मानता हूं और राज्य सरकार और माध्यमिक बोर्ड की रिश्तेदारी में आधारभूत, योग्य और क्षम्य इस क्लॉज़ को मैं मानता हूं।

(सर्व श्री नरेन्द्रसिंह, मुरलीधर व्यास, पुरुषोत्तमलाल और मुक्तिलाल मोदी के भाषण देने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The House wants to hear Hon'ble Shri Muktilal Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्ष, जो मेरे माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ने अमेंडमेंट क्लॉज़ २७ में रखा है, उस अमेन्डमेंट का समर्थन करते हुए मैं इस हाउस के सामने कुछ अर्ज कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूं, उसके ऊपर मिनिस्टर साहब ध्यान देंगे। क्लॉज़ २७ में यह लिखा है कि जो बोर्ड बनाया जाय, उस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय, जब सरकार चाहे। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो हम भी जानते हैं कि हमारे दादा, परदादा सब लोग गुलाम बनते जा रहे हैं और आज इस बोर्ड के द्वारा हमको भी गुलाम बनाया जा रहा है। इस एक्ट को इस विधान सभा में बनाने की आवश्यकता नहीं होती....

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से यह बिल है, एक्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिल, एक्ट खामखाह बना रहे हैं, फिर यह प्रश्न क्यों उठता है।

(हंसी)

आप प्रारम्भ रखिये, माननीय मुक्तिलालजी मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस बिल के क्लॉज़ २७ में, जो पुराने रिवाज थे, उन रिवाजों को आज रखना चाहते हैं। इसलिए आज न इस धारा सभा की आवश्यकता थी और न पार्लियामेंट की, जिसका उदाहरण दिया, आवश्यकता थी और न कौंसिल ऑफ स्टेट की आवश्यकता थी। यह उदाहरण दिया गया कि प्रेसीडेन्ट साहब को अधिकार है और वे पार्लियामेंट और कौंसिल ऑफ स्टेट्स को हटा सकते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, सारी बातों का तात्पर्य यह है कि आज जनता चाहती है कि ज्यादा अधिकार सरकार के हाथ

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

में न रहें और ज्यादा से ज्यादा अधिकार जनता को दिये जायं। तो ये दो चीजें साथ साथ हमारी सरकार कहती हैं, एक तरफ तो सरकार कहती है कि ज्यादा अधिकार जनता को देने चाहिए और दूसरी तरफ सारे अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। हम नहीं चाहते कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर इस तरह के इतने सारे खर्चे हों, दुनिया भर की असेम्बली, पार्लियामेंट, रखी जाय, कोई जरूरत नहीं इतना खर्च करने की। हमें जो २०० रुपया माहवार और साढ़े बारह रु० रोज भत्ता मिलता है, इसका भार जनता पर पड़ता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहिले की भांति एडमिनिस्ट्रेशन चले और जैसे पहले दुनियां में शासन चलता रहा, वैसा ही चलता रहेगा, जो सरकार हुकम देगी उसका हम पालन करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय जी, जब सरकार चाहती है कि कोई चीज असेम्बली के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास हो और जनता द्वारा बहस मुबाहिसा होकर, सारी चीजों को देखते हुए फिर वह चीज जनता के ऊपर लागू की जाय, तो फिर सारी चीजें राजस्थान सरकार को अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये और जो अमेंडमेंट हैं, उसको मानना चाहिये। अगर मेरे मित्र के अमेंडमेन्ट को नहीं मानें तो आपके दूसरे साथी ने उसी तरह का अमेंडमेंट रखा है, उसको मान लिया जाय। उसको भी नहीं मानें तो अलग बैठ कर और कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि इस क्लॉज को डिलीट करके सरकार के पास ये सारे अधिकार पूरी तरह से न हों, रुपये में २-३ आने अधिकार रह जांय और १३ आने अधिकार जनता को दे दें। तो कोई बात नहीं है। ऐसी चीज माननीय उपाध्यक्ष जी, करें तो ठीक है परन्तु सरकार अपने हाथ में चीजें रखेगी, तो माननीय उपाध्यक्षजी, जब अरबन इम्प्रूवमेंट बिल आया था, और उस वक्त जो बात कही थी कि सरकार अपने हाथ में....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे एक्ट को क्यों खींचते हैं; इस एक्ट, इस बिल के बारे में कहें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) महाराज ध्यान नहीं रहता है। उसी तरह युनिवर्सिटी के बारे में हिन्दुस्तान का एक बच्चा भी यह नहीं कह सकता कि हिन्दुस्तान में जितनी युनिवर्सिटियें बनी हैं, उनके अन्दर किसी तरह का करप्शन है या होता होगा। परन्तु आज राजस्थान सरकार यह बिल पास करा रही है हाउस के अन्दर, राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड का, उसके लिये सरकार अपने हाथ में सब अधिकार रखेगी, तो राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर के प्रान्त वाले यह कहेंगे कि राजस्थान सरकार या जो बोर्ड बना है, उसमें क्या मालूम, कितनी गड़बड़ियां पैदा होती होंगी क्योंकि सरकार ने अपने हाथ में यह चीज रख ली है इसलिये जो दूसरे प्रान्तों के रहने वाले हैं वे कहेंगे और राजस्थान में जो लोग रहते हैं वे कहेंगे, तो राजस्थान की बदनामी नहीं हुई तो क्या शाबाशी तो नहीं हुई, कोई इनाम तो नहीं मिला राजस्थान को। ऐसी बात राजस्थान में सरकार करती है तो राजस्थान में तो अपन सब रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो बार बार निवेदन करता हूं कि कोई एक्ट धारा सभा में लाइये व कोई चीज धारा सभा में पास कराइये, पर ऐसी चीज हम लोगों से पास कराइये, क्योंकि आप और हम लोग अलग चीज नहीं हैं। कोई भी बिल पास हो धारा सभा में, उसमें कोई क्लॉज़ हो, पर दूसरे प्रान्तों में जाकर राजस्थान

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

की इज्जत बढ़े ऐसी चीज हम इस धारा सभा में चाहते हैं। अगर इस क्लॉज़ को माननीय उपमंत्रीजी सोचें कि इस क्लॉज़ से दूसरे प्रान्तों में क्या असर पड़ेगा और अगर युनिवर्सिटी की तरह से इसके जो रूल्स हों, उन रूल्स के अन्दर कोई एतराज, हिन्दुस्तान में एक बच्चा भी एतराज नहीं कर सकता, इसी तरह से यह जो बिल राजस्थान की धारा सभा में सेकन्डरी एज्युकेशन के लिये आया है, इसके लिये कोई एतराज नहीं कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : रूस का भी बताते कि रूस की युनिवर्सिटीज़ के रूल्स में भी एतराज नहीं होता।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) हां महाराज, अभी बताता हूँ। रूस में युनिवर्सिटियें जरूर हैं, बोर्ड नहीं हैं। वहां की युनिवर्सिटियों के अन्दर वाइस चान्सलर और दूसरे लोग हैं, उनको पूरे अधिकार दिये हैं और उनके डिपार्टमेंट, हिन्दुस्तान में, बंगाल में मैंने जरूर देखा राजस्थान के एक मामले में गया था, बम्बई में भी और जगह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट होते हैं पर रूस में जो होता है वो फिर उसी डिपार्टमेंट का क्वालिफाइड आदमी होता है, पर हिन्दुस्तान में ऐसी चीज नहीं है! अगर आज सेकण्डरी एज्युकेशन बोर्ड बनाया जा रहा है और यहां दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं, अगर इस डिपार्टमेंट का ही क्वालिफाइड आदमी डाइरेक्टर बनाया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे रूस के बारे में भाषण के लिये नहीं, सरसरी तौर पर अर्ज करने के लिये कहा था।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, तो आयेगा ही महाराज, अब तो पूरी बात बताऊंगा, आधी नहीं रख सकता।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : जारी रखियेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा कि वाइस चान्सलर और चान्सलर की नियुक्ति रूस में कौन करता है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अच्छी सूचना होगी।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : वाइस चान्सलर और चान्सलर की नियुक्ति के बारे में पूछते हैं ! जैसे हिन्दुस्तान में सीनेट बनी हुई है, वह सीनेट करती है....

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दुस्तान की सीनेट करती है ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां रूस में जो सीनेट बनी रहती है वो... युनिवर्सिटी....मैं ज्यादा नहीं जानता हूं।

(अट्टहास, अनवरत हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप जारी रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं इतना विद्वान् नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह विद्वता का सवाल नहीं, अनुभव का सवाल है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे माननीय मित्र चाहें तो उनके साथ दुबारा रूस चल सकता हूं।

(हंसी)

तो मेरा इस हाउस के उधर के और इधर के साथियों से, दोनों से मेरा ऐसा कहना है कि इस क्लॉज़ २७ को पूरी तरह से देखें और इसे जल्दबाजी से पास नहीं करना चाहिये। मैंने पहले भी कहा और कल भी निवेदन किया था माननीय उपमंत्रीजी से, कल तो इसलिये फेवर में बोला था कि सही था....

श्री उपाध्यक्ष : "बीती ताहि बिसारिये", आज की कहिये।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा महाराज आज की। तो माननीय उपाध्यक्ष, यह अमेंडमेंट जो मेरे दोस्त ने रखा है, उसका इसलिये समर्थन करता हूं कि सरकार के जिम्मे काम नहीं रहेगा तो हमारे जैसे एम. एल. ए. वोट के लिये दबाव डालते हैं, नहीं डालेंगे। मैंने सुना था प्रिविलेज मोशन के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये, सुनी हुई बात है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छी बात है महाराज, वह भी नहीं।

(हंसी)

क्लॉज़ २७ को जो हाथ में रखा है, उसे माननीय उप मन्त्रीजी मानेंगे तो अभी इसे स्थगित कर दें और इस पर सोच-विचार करें क्योंकि सरकार वैसे इस बोर्ड के अन्दर जितने भी मेम्बर रखे हैं वे ज्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं, और वे सरकारी मुलाजिम सरकार के निमन्त्रण में रहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : 'निमन्त्रण में?'

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : नियन्त्रण जी।

श्री उपाध्यक्ष : आस-पास रहते हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सरकार के अन्दर में रहते हैं।

(सराहना सूचक हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्ष, फिर बाद में जो यह चीज ली जाती है कि इस बिल की इस धारा को दूर हटा दिया जाय, यह चीज इसलिये हमारी समझ में नहीं आती है कि सरकार के ऊपर कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि सरकार पर दबाव पड़ने से या दबाव भी नहीं पड़े तो सरकार के दिमाग में यह चीज पैदा हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जा सकता है कि इस एजुकेशन को न रखिये, फिलहाल मत चलाइये। इसलिये डाउट होता है। माननीय उपाध्यक्ष, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है, वह राजस्थान सरकार को मानना पड़ता है। इस तरह यह बिल जैसे इस हाउस में हमारे सामने आया है उसी तरह इसमें यहां पर यह आता कि यदि सरकार इस बोर्ड को हटाना चाहेगी तो हाउस में दुबारा बिल लाकर ही इस बोर्ड को हटा सकेगी। तो हम यह मान सकते थे और इनके अमेंडमेंट का विरोध कर सकते थे पर इस अमेंडमेंट का सपोर्ट करना इसलिये जरूरी हो गया है कि

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

सरकार ने पूरे अधिकार अपने हाथ में रख लिये हैं। इसलिये मैं माननीय उपमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खण्ड २७, २८ व ३२ तक है....

श्री उपाध्यक्ष : ३३ क्यों छोड़ते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ३३ भी, इन खण्डों को डिलीट कर दें, डेफर कर दें और इसके बारे में सोचें-विचारें और इसके बाद इस क्लॉज को पास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरूषोत्तमलाल।

श्री पुरूषोत्तमलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २७ वां क्लॉज है उसको ओमिट करने का प्रस्ताव आया है, उसके मैं खिलाफ हूं। हमारे सामने जो यह बताया गया है कि सरकार को अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिये कि वे बोर्ड को बन्द कर दें। मैं बताता हूँ कि हमारे यहां कोई भी कानून बनते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक एग्जिक्युटिव और दूसरा जुडिशियल। ये दो प्रकार के कानून बनते हैं; एग्जिक्युटिव वर्क को चलाने के लिये और एक जुडिशियल वर्क को चलाने के लिये। यह बिल एग्जिक्युटिव साइड का काम चलाने का है कि माध्यमिक शिक्षा के कार्य को किस तरह से चलाया जावे और उसके बारे में यह बोर्ड बनाने जा रहे हैं। इसमें यह देखना है कि यह बोर्ड जिसको हम इस बिल के द्वारा बनाने जा रहे हैं यदि वह उन धाराओं के अधिकार से बाहर काम करने लग जाए तो क्या वह बोर्ड कायम रहे और अगर कायम न रहे तो उसको हटाने वाला कौन रहे ? आज हम गवर्नमेंट का नाम आते ही इस प्रकार से विचलित हो जाते हैं जैसे पुराने जमाने में गवर्नमेंट का नाम सुन कर विचलित होते थे और यह समझते हैं कि पुराने जमाने की सी ही अभी गवर्नमेंट है। मगर आज हम सब लोग प्रजातन्त्र के तरीकों से चुन कर आये हैं और हमारी सरकार है वह भी चुने हुए व्यक्तियों की ही सरकार है। हो सकता है, आज किसी दल की सरकार है तो कल किसी दूसरे दल की सरकार हो सकती है, जो आज आलोचना करते हैं उनकी भी सरकार हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : हो नहीं सकती है।

श्री पुरूषोत्तमलाल : होगी तब मैं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : असंभविक है।

श्री पुरूषोत्तमलाल : इसलिये ऐसी हालत में जब कानून बनाने के लिये जो बिल पास करने जा रहे हैं उस वक्त यह विचारधारा नहीं रखनी चाहिये कि आज गवर्नमेंट किस दल की है और क्या होने वाला है ? एक बात आपने यह बताई कि गवर्नमेंट इस बोर्ड को, यदि उसने गवर्नमेंट की नीति के अनुसार काम नहीं किया तो भंग कर देगी। मैं कहूंगा कि अवश्य उस बोर्ड को गवर्नमेंट को भंग कर देना चाहिये क्योंकि आज गवर्नमेंट की जो नीति है वह धारा सभा की नीति है, क्योंकि धारा सभा ने बहु मत से इसको पास किया है। गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ कोई कमेटी या कोई बोर्ड काम करता है तो उसे अवश्य भंग करने का गवर्नमेंट को अधिकार होना चाहिये। ऐसी स्थिति में जो बिल पास करते हैं और अगर बोर्ड वाले

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

उसका पूरा प्रयोग कानूनों का नहीं करते या इस बिल में लिये गये अधिकारों से बाहर काम करते हैं तो गवर्नमेंट को अधिकार होना चाहिये कि उस बोर्ड को तुरन्त भंग कर दे। मेरे माननीय मित्र ने यह बताया कि पहले जिस प्रकार की बातें गवर्नमेंट में चलती थीं उसी प्रकार की बातें आज गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती। मैं कहूंगा कि मेरे लायक संशोधन प्रस्तुत कर्त्ता ने खुद ने मंजूर किया है कि इस क्लॉज़ में यह नहीं बताया गया है कि बोर्ड को नोटिस देने का नहीं लिखा और अगर नोटिस देने का नहीं लिखा और अगर नोटिस देने का लिखा होता तो कुछ समझ में आता। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ बोर्ड के लिये है न कि व्यक्ति विशेष यानी कोई चेअरमेन या वाइस चेअरमेन के लिये। जहां तक बोर्ड को भंग करने का अधिकार है, बोर्ड यदि कोई अनुचित काम करता है या काम करने के लायक नहीं रहता तो ऐसे बोर्ड को नोटिस देते रहें, यह बिल्कुल गलत बात हो जाएगी और न इस प्रकार का उनका कोई हमारे सामने एमेन्डमेन्ट है। हमारे सामने संशोधन आया है कि इस क्लाज़ को हटा दिया जावे। यदि कोई संशोधन लाते तो उस पर विचार करते मगर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहूंगा कि उनके जो विचार हैं वे बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम गणेशजी की तस्वीर बनाने जा रहे थे मगर गणेशजी की तस्वीर के बदले में बना गये बन्दर की तस्वीर। मैं यह कहूँगा कि जो तस्वीर हम बनाने जा रहे है वही तस्वीर बनती जा रही है। यह तो देखने वालों के दृष्टिकोण पर निर्भर है। जो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते है, एक गणेशजी होने की दृष्टि से देखता है और दूसरा बन्दर होना ही देखता है। यह बिल में जो क्लॉज़ रखा गया है बिल के अनुरूप ही रखा है और जहां जहां पर, जिस जिस प्रदेश से इस प्रकार के बोर्ड बने हैं, वहां इस प्रकार का क्लॉज़ रखा हैं; इसलिये ऐसी स्थिति में यह कहना कि इस धारा को यहां रखना उपयुक्त नहीं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं।

अगर हम इस क्लॉज़ को यहां से बिल्कुल हटा देते हैं तो हमारे सामने ऐसी स्थिति उपस्थित हो सकती है कि कोई भी बोर्ड जिसका हम आज निर्माण करने जा रहे हैं, यदि वह बोर्ड इस बिल में दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करता है या उपयोग नहीं करता और अधिकारों से बाहर काम करता है तो क्या उसके काम को सुचारू रूप से चलाया जाए या नहीं और उसको हटाने वाला कोई नहीं रहेगा और वह मन-माने ढंग से काम करता रहेगा, इसलिये यह तो होना ही चाहिये। गवर्नमेंट पर शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने का भार निर्भर है। शिक्षा के संबन्ध में गवर्नमेंट ही नीति निर्धारित करती है; अगर नहीं करती है तो फिर एजुकेशन बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। लोग अपना अपना बोर्ड बनाते और शिक्षा को चलाते। मगर गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि अपने देश की प्रणाली के अनुसार प्रदेश की शिक्षा को चलाए। इसलिये हमारे देश में जो शिक्षा की प्रणाली चालू की जा रही है वह धारा सभा की नीति के अनुसार है और यह बिल जो धारा सभा के द्वारा पास किया हुआ बिल है, अगर इसके अनुसार कोई कमेटी या बोर्ड काम नहीं करती है तो हमें उसको फौरन भंग कर देना चाहिये। धारा सभा बार बार नहीं बैठती है और धारा सभा का प्रतिनिधित्व सरकार करती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह संशोधन पास होने के काबिल नहीं है।

Page No.73

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, आज मौजूदा और इस खास वातावरण में यह प्रस्ताव आगे बढ़ रहा है, मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि शिक्षा मंत्री महोदय थोड़ा विचार के साथ और शांति के साथ इस पर सोचें और इस चीज पर विचार करें। आप श्रीमानों को मालूम है कि जैसा कि इस तरफ से यह प्रश्न आया था कि सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री चुने हुए हों, मैंने उसका विरोध किया था। मैंने उसका प्रतिपादन किया कि जहां तक हो सके प्रधान का सवाल है वह जरूर बाहर से लाया जावे और उच्च कोटि का विद्वान् हो उसको लाया जावे। उस समय यही कहा था और अब भी मेरी भावना है कि इसमें जितने भी कार्यकर्त्ता हों वे ज्यादातर एक्स ओफिशियो राज की तनख्वाह पानेवाले ही नहीं रखे जावेंगे और जिनको चुन कर बाहर से भी लिया जा सकता है। मैं भी समझता हूं कि भारत के ऊंचे दर्जे के अनुभवी विद्वान होंगे जिनको इस काम के लिये लिया जावेगा। मेरा अभी भी यह मत है कि जहां तक हो ऐसी चीजों के लिये ऐसे अंकुश लगाना निहायत अनुपयुक्त समझता है, अगर कोई भी समय ऐसा आ जावे कि बोर्ड की गलती रह जावे कि जो काम में नहीं ला सकने की बात हो तो गवर्नमेंट को सीधा अख्तयार है कि उस चीज को सही तरीके से जिस तरह से माने मनाए और जो नहीं मानें तो उसके लिये दूसरी बात होनी चाहिये। लेकिन मैं यह समझता हूं कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट का आदमी होगा यदि उस पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जावेगा तो कभी भी बोर्ड में काम करने के लिये अपनी अनुमति नहीं देगा। आप लोगों को विश्वास रखना चाहिये कि जहां आदमियों को चुन कर लाते हैं आप उन पर विश्वास रखें। हम लोगों की तो यही राय है, इसलिये आपको भी इस पर विचार करना होगा कि हम भी कुछ सोच समझ कर यह आपको कहते हैं। यह नहीं है कि हम लोग जैसे

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

ओपोजिशन पार्टी के लोग हैं। यह नहीं कि हम कोई बात कहते हैं, सोच समझ कर नहीं कहते। यहां पर कोई अखाड़े बाजी नहीं है, यहां तो सोचने का प्रश्न है कि ऐसे मामले में जो बोर्ड बनेगा इसके लिये अगर इस प्रकार के जगह जगह प्रतिबन्ध रहेंगे तो वह जिस चीज के लिये खड़ा किया जावेगा वह उसमें ठोस कार्य नहीं कर सकेगा। मैं कहना उचित समझता हूं कि इस डिपार्टमेंट को और इस चीज को रन करने का एक मंत्री के तौर पर मेरा बीस वर्ष का अनुभव रहा है और मैंने भी उस समय को आंखों से देखा है और विचार किया है और मैं यह भी जानता हूं कि मैं तीन-तीन संस्थाओं का संचालन कर चुका हूं, मैं भुक्तभोगी हूं जिसने खुद ने दुःख सहे हैं और इन संस्थाओं को चलाया है। इस भवन की भीतों को बोलने का अनुभव हो तो मैं यह कहूँगा कि इस पार्टी को नहीं बल्कि उस पार्टी को भी वह सभी बातें मालूम हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको विचारना चाहिए और जैसा अभी प्रश्न आया है मैं उसका अक्षर अक्षर समर्थन करता हूँ और इसके लिए मैं आपको राय दूंगा, मैं वृद्ध आदमी हूं लेकिन मैंने बाल सफेद संस्थाओं के संचालन करने में किये हैं। तो मेरा खुद का यह निवेदन है कि आप इन सवालों को क्यों रखते हैं ? अगर बोर्ड की राय कोई आपको अनुचित लगे या उसको नहीं करना चाहते हैं तो न की जाय लेकिन उसके ऊपर

Page No.74

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

इस तरह का प्रतिबंध लगाना कि उसको मन चाहे जब भंग कर देंगे तो दूसरी जनता के लोग और दूसरे विचार-धारा के लोग इस चीज के लिए क्या कहेंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। जहां तक राजाओं के राज्य के अन्दर दूसरे कार्यकर्ता थे उनके राज्य के अन्दर भी शिक्षा संचालित होती थी। सद्शिक्षा भी दी जाती थी और उसी शिक्षा की भीतों और नींवों के ऊपर यह महल बना है और जो आज यहां और वहां और सेन्टर में भी जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए कोई बुराई की बात नहीं है कि वह भी राजाओं के ही समय में पढ़े हुए हैं। इसके लिए कोई मजाक उड़ाने को बात ही तथ्य योग्य हो सकती है। मैं कहूंगा कि इस तरह से बोर्ड के पैरों के अन्दर अगर यह सांकलें जकड़ी जायेंगी और उसको आप काम में लायेंगे तो वह पुराने जमाने के राजाओं के या जिनको आप ठीक नहीं समझते हों उस सिद्धान्त के जो विचार होंगे उनसे भी सिवाय यह नादिरशाही हुक्म समझूंगा। बोर्ड के लिए जैसा विचार आप ले रहे हैं कि उसके ऊपर अंकुश रखें। आप थोड़ी शांति रखें। आपसे भी ज्यादा अनुभव, आयु व तनख्वाह पाने वाले लोग वहां हैं, उन लोगों को भी थोड़ी बहुत आजादी देनी चाहिए, थोड़ी बहुत रस्सी देनी चाहिए कि वे थोड़ी सी अपनी राय दे सकें, वह इस तरह से जैसे कि तलवार लटक रही है और उसको देखते हुए, अपनी विचारधाराओं को देते हुए यही मन में सोचेंगे कि वह ऐसा ना करें कि कहीं बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाये। मैं इस चीज को उचित नहीं समझूंगा। आप बड़े विचार के साथ इस सवाल को उठायें। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय उप-मन्त्री, शिक्षा को निवेदन करूंगा कि ऐसा काम करने के लिए सोच समझ कर काम करना चाहिए। आपने यह कैसे सोचा कि बोर्ड की राय ठीक नहीं होगी? आखिर दूसरे पहलुओं को भी कभी कभी ले लिया जाता है। अगर इसके साथ में जैसा कि २७ वां क्लॉज है रखेंगे तो लोग इसको ठीक नहीं समझेंगे। आगे आपकी मर्जी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिल है, उसमें जो क्लॉज २७ में प्रावधान रखा गया है उसकी मंशा क्या है? उसके संबंध में मैं पहले दो शब्द आपके सामने कहना चाहता हूं। यह जो क्लॉज २७ है इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि सरकार किसी भी परिस्थिति के अन्दर, परिस्थिति को हालांकि क्लियर नहीं किया, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाय तो सरकार को यह अधिकार है कि वह बोर्ड को भंग कर दे, यह बात उसमें रखी गई है। अगर इसमें जो 'परिस्थिति' शब्द आया है वह क्लियर हो जाता कि तीन साल के अन्दर चुनाव नहीं करते, कुछ हिसाब में घोटाला हो जाता या और कोई गड़बड़ी हो जाती तो पहले से ही इस परिस्थिति को क्लियर कर दिया जाता, तो इस क्लॉज को हटाने की बात सदन के सामने नहीं आती। परन्तु इसमें परिस्थिति का नाम लेकर कि सरकार इसको भंग कर सकती है, यह जो बात दी गई है इससे स्वाभाविक है कि आज शिक्षण संस्थाओं के लिए जैसा कि हम सोचते हैं कि वह पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए; उन सोचने वाले दिमागों के ऊपर उनकी गरदन पर किसी प्रकार की कोई बन्धन की तलवार नहीं लटकी होनी चाहिए। यह जो तरीका होना चाहिए उसमें यह बाधक पड़ता है। इस बात को कह कर बहुत से

(श्री मुरलीधर व्यास)

सम्माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि जनतंत्र है और जनतंत्र में जनतांत्रिक सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसको भंग कर सके। अब इस अधिकार का जहां तक सवाल आता है, कर्तव्यों का सवाल आता है मैं समझता हूं कि उन्होंने उस दरमियान में यह बात भी कह दी कि एक जनतांत्रिक सरकार के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए कि वह ऐसा नहीं करेंगे। विश्वास भी पैदा किया जाता है। मैं जहां तक समझता हूं सरकार अगर इसको कहे कि यह जनतांत्रिक सरकार है और उसी आधार पर काम करती है तो उसके ऊपर यह रोकटोक क्यों लगाई जाती है ? परन्तु मैं कहना चाहता हूं और खुले कहना चाहता हूं कि सरकार यह सोचती है कि हमारे ऊपर विश्वास है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वास खो चुके हैं। आप मान लीजिए कि सरकार आपकी है, आपका बहुमत है परन्तु सही माने में आज जनता के अन्दर जाकर देखेंगे तो आम लोगों के ऊपर आपके रवैये के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : On a point of order, the Hon'ble Member is going beyond the scope of the amendment.

श्री मुरलीधर व्यास : किसी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जनतंत्र के नाम पर विश्वास रखना चाहिए और सरकार को उसे भंग करने के अधिकार मिलने चाहिये, इस बात को कहा था और मैं समझता हूं कि मुद्दे से बाहर की बात नहीं है और संबंधित बात है। जनतंत्र में आप सचमुच विश्वास खो चुके हैं।

मैं यह कह रहा था कि विश्वास की बात का जहां तक सवाल है उसको बहुत गहराई के साथ देखना चाहिए। अब इस मामले के अन्दर जैसा मैंने कहा कि सरकार की तरफ से इस बात को समर्थन करने के लिए दो-तीन ही बातें हैं ; एक तो यह है कि सरकार जनतांत्रिक है और उसको अधिकार मिलना चाहिए। अगर बोर्ड से किसी प्रकार का कोई बुरा काम हो जाता है तो ऐसी हालत में सरकार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह बोर्ड को भंग कर सकती है। वे अधिकार मांगने के साथ साथ अगर सरकार उसमें यह स्पष्ट रूप से लिख देती कि वहां अगर तीन साल में चुनाव नहीं हुए और जो बिल बना है इस बिल के क्लॉजेज़ के अनुसार काम नहीं होगा तो हम इसी क्लॉज के मातहत उसको भंग कर देंगे। मगर ऐसी कोई क्लॉज़ उसमें नहीं है और भंग करने का सिर्फ एक अधिकार रखा है। मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक बोर्ड का सवाल है बोर्ड में बहुत से शिक्षित लोग हैं, बोर्ड में सरकारी पक्ष का बहुमत है और बोर्ड में दूसरे लोग भी जो आने वाले हैं, शिक्षा शास्त्री आने वाले हैं आखिर वे भी तो किसी नियम का पालन करने वाले हैं, फिर उनके ऊपर इस प्रकार प्रतिबन्ध क्यों ? अगर किसी क्लॉज़ का स्पष्ट नहीं करें, इस बात को लेकर उसके अन्दर बैठने वाले व्यक्ति हमेशा यह महसूस करेंगे कि इस बिल में क्लॉज़ २७ जो है उसके अनुसार मेरी गरदन के ऊपर तलवार है और मैं खुल कर बात कहना चाहता हूँ या करना चाहता हूं. इस पर सरकार रोक लगा सकती है ; उनकी मशा चाहे अच्छी हो लेकिन जो बंधन लगा हुआ है वह बराबर लगा रहेगा, वह आजादी के साथ सोच नहीं सकेंगे और उसके साथ ही साथ किन्हीं परिस्थितियों के

(श्री मुरलीधर व्यास)

अन्दर दलबाजी को लेकर दूसरी परिस्थितिओं में जैसा होता है कि म्युनिसिपैलिटियों को इसी प्रकार से भंग कर दिया जाता है एक दुरुपयोग को लेकर छोटी छोटी पंचायतों को भंग कर दिया जाता है । आज हम देखते हैं कि कई जगह तो चुनी हुई पंचायतों को काम करने तक का मौका नहीं मिलता, साल साल भर बाहर बने रहते हैं । ऐसी हालत के अन्दर इतना बड़ा बोर्ड जिसके अन्दर अच्छे से अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं वहां पर भी सरकार अपने हाथ में इस प्रकार के अधिकार रखना चाहती है कि उसको सुपरसीड कर सके । जहां एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि आप हममें विश्वास कीजिये तो जहां छोटी छोटी पंचायतों को भंग कर दिया जाता है बोर्ड्स को भंग कर दिया जाता है तो वैसी हालत में किस प्रकार विश्वास रख सकते हैं कि इस प्रकार के शिक्षा बोर्ड में वे अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे । इसमें भी अधिकार भंग करने का दिया हुआ है वह भी साफ नहीं अगर किन्हीं बातों को क्लीअर करते हुए ये अधिकार मांगते हैं तो हमें भी समझ में आ सकता है, जब इस प्रकार की बात नहीं तो हर सदस्य के मन में इस प्रकार की शंका हो सकती है और इसी कारण हम इस प्रकार के अधिकार सरकार को देना नहीं चाहते । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जहां तक शिक्षा के मामले का संबन्ध है, जिस शिक्षा के बोर्ड में बड़े बड़े लोगों का समावेश कर रखा है उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लागू नहीं करना चाहिये । पुराने जमाने की भी बातें कही गई और कहा गया कि सामन्ती युग में ऐसी बातें हुआ करती थीं, मैं निवेदन कर दूं जहां तक सामन्ती युग का संबन्ध है उस समय की शिक्षण संस्थाओं का सवाल है वे संस्थायें उस समय भी इस प्रकार के बन्धनों से मुक्त रहा करती थीं । आज आप शान्ति निकेतन को देखिये, और भी हिन्दुस्तान की बड़ी बड़ी संस्थाओं को लीजिये, उन पर सरकार का किसी प्रकार का बन्धन नहीं था, वे संस्थायें काफी फ्लरिश हुई और उनका नाम भी रोशन हुआ । जब इस प्रकार के बन्धन नहीं थे, वे अच्छे तरीके से काम कर सकते थे उन संस्थाओं ने देश के उत्थान के अन्दर बहुत योग दिया था और यह भी कहा गया कि इन्हीं कारणों को लेकर हम प्रतिबन्ध रखना चाहते हैं, उसको सुपरसीड करने का अधिकार रखना चाहते हैं, उसमें भी कोई बुनियादी कारण नहीं बताया गया, कोई इस संबन्ध में बुनियाद की बात नहीं की गई जिसके कारण आप इस प्रकार का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में रखना चाहते हैं ।

दूसरी बात यह भी है कि ऐसे बोर्ड के अन्दर क्या आपका विश्वास नहीं है जो बोर्ड देश के शिक्षा शास्त्रियों से भरा होगा, जिसमें सोचने वाले बाहर के एजुकेशनिस्ट्स होंगे तो ऐसी कौनसी परिस्थिति आ जायगी कि किसके कारण आपको बोर्ड को भंग करना पड़ेगा ? आप ऐसी कौन सी परिस्थिति का अनुमान लगाते हैं जिसके कारण आप यह समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है जिसमें बोर्ड को भंग करना पड़े, वे क्या हो सकती हैं, एक भी उदाहरण आपने नहीं दिया । क्या बोर्ड के अन्दर लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, इससे काम न होगा और काम रुक जायगा, क्या आपको इस प्रकार की आशंका है ? यदि यह बात हो जाती है तो बोर्ड अपने आप में अपंग हो जायगा । ऐसी हालत में सरकार को यह अधिकार है कि वह परीक्षाओं को चलायेगी । आपको कुछ कारण

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो इसमें बताने चाहिये जिनके कारण आप बोर्ड को भंग करने के अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बिना कारण बताये आप यदि इस प्रकार के अधिकार लेते हैं तो यह बुनियादी उसूलों के खिलाफ होगा। आज जनतन्त्र की दुहाई देने वाले जो इस तरह की विचार-धारा रखते हैं और जनतंत्र की आधारभूत बातें करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कहां तक जनतंत्र के उसूलों पर विचार होगा ? काश्मीर में अभी एक कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें हिन्दुस्तान के लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे और उसमें यह बात कही गई थी कि यदि हम जनतन्त्र का सही मायने में विकास चाहते हैं तो हमें पंचायतों के हाथ में इस प्रकार के अधिकार देने चाहिये, बुनियादी सरकारें पंचायतें ही बना सकती हैं। हमारे बड़े बड़े लोगों का मत है कि हमारी बुनियादी सरकार बनाने का काम पंचायतों को ही देना चाहिये।

जिस चीज को केन्द्रीय सरकार ने निर्माण करने के लिये हमे कहा है और उन्हीं के आदेशानुसार हम बोर्ड का गठन कर रहे हैं आप इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रख कर इस बोर्ड के कार्य में बाधा पहुँचाना चाहते हैं। मेरा तो यह विश्वास है कि जो बोर्ड बनेगा वह शिक्षा शास्त्रियों का बोर्ड होगा, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। फिर भी अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो उन बातों को आप क्लीअर रख दीजिये किन किन मुद्दों के आधार पर इस प्रकार के पॉवर्स आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जनतन्त्र के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए आपको चाहिए कि इस प्रकार के बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा आजादी दें ! आपको चाहिए कि आजादी के साथ शिक्षा का विकास होने दें, बोर्ड आजादी के साथ सोच सके, बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों का और महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे तक का यह मत है कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आजादी होनी चाहिये, उसमें इस प्रकार के किंचित भी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े लोगों की राय को हमें मस्तिष्क में रखना चाहिए।

इस सम्बन्ध में रशिया की भी बात कही गई, मैं समझता हूं उसका सम्बन्ध यहां नहीं हो सकता। जब हम जनतन्त्र की बातें करते हैं तो और उसके लिये रशिया की बात कह कर समर्थन करते हैं तो यह बात विपरीत पड़ जाती है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जो परम्परा रही है, प्राचीन काल से रही है उसमें शिक्षा का प्रसार जो आजादी से हुआ करता था, जो आज तक शिक्षा का विकास आजादी से हुआ करता था उसी आधार पर हमें ऐसी संस्थाओं को भी पूरी आजादी देनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार से भंग करने का अधिकार लेना एक तरह से उनकी गर्दन पर तलवार लटकाये रखना है। ऐसी संस्थाओं को तो आप इस प्रकार की तलवार से मुक्त रखिये, यदि आप इनको मुक्त रखते हैं तो काम भी अच्छा हो सकता है और इसमें बैठने वाले लोग भी आजादी के साथ अपने अपने विचार रख सकेंगे। अगर इस प्रकार की तलवार लटकी हुई रखी गई तो मेरी समझ कई लोग तो इस बोर्ड में आना भी पसन्द नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इन सारी बातों पर विचार करेंगे और सही निर्णय इस पर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा विधेयक की २७ वीं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

क्लॉज़ पर एक संशोधन लाया गया है और वह संशोधन इस आशय का है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनेगा उसको भंग करने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए।

मैं समझता हूं, इसके साथ साथ ऐसा न करने के लिए जो युक्तियां और दलीलें दी गई लगभग वही हैं जो इस बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव और उप-सचिव की नियुक्ति के संबंध में दी गई थीं। उन सब में केवल मात्र यह आशंका प्रगट की गई है कि इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में रखने से सरकार का अधिकार और सरकार का नियन्त्रण इस बोर्ड पर हो जाता है।

मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में सरकार इस प्रकार का नियंत्रण सचिव और उप सचिव के बारे में रखना चाहती है तो मैं भी इसका विरोध करता। मैं समझता हूँ कि सरकार इस प्रकार के कोई अधिकार अपने हाथ में रखना नहीं चाहती है, इस प्रकार कोई भी नियंत्रण आन्तरिक मामलों में नहीं होता है। मैं यहां यह भी कहना उचित समझता हूं कि सरकार के सम्बन्ध में हमारी एक कल्पना है, हमें इसका संकोच नहीं कि कल्पना इस रूप में है कि गये वक्त में सरकार बहुत कुछ ऐसी होती रही है, लेकिन वह समय और था जिस समय विदेशी हकूमत हमारे देश में थी, वह एक निरंकुश शासन था जिसमें कोई ऐसा विधि-विधान लागू नहीं था जो देश की जनता द्वारा बनाया गया हो। उस समय मेरे जैसे हजारों व्यक्ति भय और इस प्रकार की आशंका प्रगट करते थे कि जो कोई भी काम सरकार के नियंत्रण में होगा उसमें जनता का कोई अधिकार नहीं होगा, इससे जनता के जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होता था। यह परम्परा बहुत दिनों से चली आ रही है कि सरकार की निन्दा करने की, सरकार को अनावश्यक और अत्याचारी बताने की वही परम्परागत कल्पना आज भी हमारे अधिकांश सदस्यों के मस्तिष्क में घूम रही है।

जिन किन्हीं माननीय सदस्यों ने इस क्लॉज़ का विरोध किया उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अधिकार लेकर सरकार शिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण रखना चाहती है।

सरकार इन संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से पनपने देना नहीं चाहती। मैं समझता हूँ कि सब से पहले तो यदि हम इसको विवेक से, बुद्धि से देखें और फिर इस पर अपने विचार प्रकट करें तो सरकार का जो एक भूत हमारे दिमागों में पहले से घर किया हुआ है उसको निकालना होगा। हम जो इस सदन में बैठे हुए हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि जो सरकार चल रही है उसमें हम १७६ सदस्य हैं; इस सदन के इन १७६ सदस्यों का समर्थन और सहयोग उसको है। यदि हम निर्वाचित होकर यहां आकर न बैठें तो राजस्थान में कोई सरकार नहीं हो सकती, जिसे आज हम चला रहे हैं। जिस सरकार का विरोध हम एक समय किया करते थे वह वह सरकार थी जिसको हम किसी विधान से नहीं हटा सकते थे। महात्मा गांधी और बड़े बड़े अन्य नेता उसकी आलोचना करते थे और उनकी सबसे बड़ी आलोचना भी यही थी कि उसका कोई कॉन्स्टीट्यूशन देश की जनता ने नहीं बनाया था जिससे कि सरकार कायम हो। इसलिए उस सरकार को कहने का कोई हक नहीं था।

इस प्रकार की कोई आलोचना ही नहीं, आन्दोलन भी किया गया। आज अगर इस प्रकार का अविश्वास करते हैं कि ये सत्ता का

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दुरुपयोग करेंगी, अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग करेंगी तो मैं समझता हूं यह सरकार पर अविश्वास नहीं है, पर जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है उस जनता पर अविश्वास करना है। स्वर्गीय सरदार पटेल अक्सर कहा करते थे कि सरकार को बदलने के लिये एक समय बुलेट्स की जरूरत पड़ती थी पर आज वोट्स की जरूरत है। हमने जब एक सरकार को पसन्द न करने पर संविधान से हटाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो फिर आप ऐसी आशंका क्यों करते हैं कि सरकार कोई ऐसा काम करेगी ?

मैं तो कहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यदि कोई सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है तो वह सरकार रहने के लायक नहीं है। इस सदन को और इस सदन के रूप में जनता को पूर्ण अधिकार है कि वह उसे बदल दे और मैं तो समझता हूं कि सदन भी अगर अपने अधिकारों का ठीक ठीक उपयोग नहीं करता है तो जनता को अधिकार है कि वह उसे बदल दे। आज नहीं अगले साल, उससे अगले साल एक समय आवेगा जब कि वह जनता सदन के सदस्यों को और इस सरकार को बदल सकती है। आज इसलिये इस बात पर सरकार का नियन्त्रण रहेगा तो मैं कहूँगा इन पांच-सात मन्त्रीगणों का नहीं बल्कि सदन के हम सभी १७६ सदस्यों का रहेगा, इस सदन का रहेगा और इस सदन के रूप में राजस्थान की १ करोड़ ७० लाख जनता का रहेगा।

आशंका को कुछ हद तक समझ सकता था, जहां तक प्रशासनिक कोई मामला हो। इनमें वे दुरुपयोग कर सकते हैं, पर जहां तक शिक्षण संस्थाओं का सम्बन्ध है हमें ऐसी शंकाएं नहीं करनी चाहिये। मेरे एक माननीय पूर्व वक्ता ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सामने बैठे हुए जो लोग हैं और जो सरकार चला रहे हैं उन पर जनता का विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आक्षेप या आरोप माननीय सदस्यों को नहीं लगाना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, प्लीज। मेरे ये लफ्ज़ नहीं थे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अरे, मैं आपका तो कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो कहता हूँ कि आज जनतन्त्र में इस पक्ष की सरकार या उस पक्ष की सरकार कोई होती ही नहीं, यह तो जनता की सरकार है। जनता में से जो लोग, जो जनता का विश्वास सम्पादन करते हैं, जो बहुमत में होते हैं उनकी सरकार बनती है। हो सकता है आज जो सरकार है वह अपने कर्त्तव्य का पालन ठीक तरह से न करे, दूसरे विरोधी दल में बैठने वाले अगर लोकप्रिय हैं तो वे अधिक संख्या में हो सकते हैं और वे अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इस प्रकार की आशंका करना उचित नहीं है। यह विधेयक कोई केवल कांग्रेसी सरकार के लिये हो, ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी पक्ष की सरकार बने सभी के लिये है। इसलिये इस बिना पर इसका विरोध किया जावे चूंकि सरकार का उस पर नियन्त्रण रहेगा, ठीक नहीं है।

और कुछ मेरे मित्रों ने तो यहां तक कहा कि वे यह शंका करते हैं कि बोर्ड को सरकार जब चाहे भंग कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि जब चाहेगी तभी भंग कर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

देगी। इसमें प्रावधान दिया हुआ है, चाहे जब भंग करने का प्रावधान नहीं है। एक सदस्य महोदय ने यह कहा कि किस किस क्लॉज़ का उल्लंघन करने पर भंग किया जावेगा ? मैं समझता हूं कि एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसी क्रमिक दृष्टि से तो इसमें नहीं है। पर स्पष्ट शब्दों में यह दिया हुआ अवश्य है कि इस एक्ट के अन्तर्गत जिस जिस क्लॉज़ के प्रतिकूल काम करेगा, अपने काम में असावधानी बरतेंगे, लगातार किसी भी प्रकार की गलती करेंगे व उपेक्षा बरतेंगे तो केवल उस दशा में उसको भंग किया जावेगा। मैं समझता हूं कि अब दूर से दूर की कल्पना में भी यह चीज नहीं आती जैसा कि बतलाया गया है, तो यह भी दूर की कल्पना है। इस क्लाज के रखने से कोई हर्ज नहीं। आज तो सरकारें भी भंग की जा सकती हैं, इसका उल्लेख संविधान में भी है और मैं समझता हूं कि देश के आज के इतिहास में भी एक दो सरकारों को इसी प्रकार से भंग भी किया गया है। तो इसकी भी कल्पना कोई दूर में भी नहीं कर सकता था, पर हुआ है ऐसा वाकया। तो इसे असाधारण दृष्टि और असाधारण परिस्थिति समझ कर ही रक्खा गया है। कभी साधारण परिस्थिति में इसका उपयोग नहीं होगा। शिक्षा के मामले में जनता की सरकार इतनी अनुदार और संकीर्ण नहीं हो सकती। यह हमको विश्वास करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने शान्ति निकेतन का उदाहरण दिया। ये संस्थाएं स्वतन्त्र रूप से अपना काम करती हैं। मुझे स्मरण नहीं, किसी सरकार ने इसका निर्माण किया हो। ऐसी अन्य कई सामाजिक और राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जिनका निर्माण सरकार के द्वारा नहीं हुआ। सरकार के द्वारा जिसका गठन होगा उस पर ही उसको भंग करने का अधिकार सरकार को होगा। इसलिये इस तरह के उदाहरण यहां उपयुक्त नहीं हैं। जनता द्वारा किसी भी गठित संस्था को अपने नियन्त्रण में लेने का सरकार को अधिकार नहीं है। तो सरकार ही जिस चीज को पैदा कर रही है, यह न्याय का प्रशासन का साधारण सा नियम है कि जो संगठन या सत्ता एक चीज को पैदा करता है, जो एक अधिकारी नियुक्त करता है उस अधिकारी को हटाने का, उस चीज को हटाने का अधिकार उस सत्ता या संगठन को रहता है।

इसलिए जिस संस्था के गठन को यह विधान सभा कर रही है और इसके द्वारा राज्य सरकार को सत्ता दी जा रही है उसको वह भंग भी कर सकती है। एक तरफ सत्ता देकर इसको बनाया जाय और इसका गठन किया जाय और उसके बाद उसको भंग करने के अधिकार से वंचित किया जाय, इससे जो गठन राज्य सरकार कर रही है, वह (बोर्ड) चाहे काम ठीक करे या न करे, उसकी ओर से कोई गड़बड़ी होती हो, चाहे न होती हो लेकिन यह संभावना के क्षेत्र में हो सकता है कि किसी अवस्था में आगे चल कर ऐसा हो जाय, तो उस स्थिति में राज्य सरकार का पूरा कर्तव्य हो जाता है कि उस (बोर्ड) पर पूरा नियंत्रण रखे। इस दृष्टि से यह २७ वीं क्लॉज़ रखा गया है, इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही यह क्लॉज़ यहां रखा गया है। यह कोई असीम और अनादि काल के लिए नहीं है बल्कि यह इस प्रकार से रखी है कि इसकी अधिक तम सीमा एक वर्ष की होगी, एक वर्ष के अन्दर दूसरा गठन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मानना कि इसके द्वारा सरकार

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कोई ऐसा अधिकार या सत्ता ले रही है जिससे उसका दुरुपयोग वह करेगी और जिससे हमारे देश के लाखों होनहार नवयुवकों के जीवन को नियन्त्रित करने के लिए और उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए उन पर अंकुश रख कर उनके विकास को कुंठित करेगी, इस प्रकार की आशंकायें, भय, अविश्वास, अनावश्यक हैं और निर्मूल हैं। इस आशा से, मैं समझता हूं कि केवल न्याय करने की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से कभी भावी संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान रखा गया है उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे और जिनकी ओर से संशोधन आये हैं वे भी उनको वापिस लेकर इस औचित्य को समझेंगे और इसी रूप में इसके पारित होने का आश्वासन देंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय अध्यक्ष····

श्री पूनमचंद (उप शिक्षा मंत्री) : On a point of order. Some of the Hon'ble members who were members of the Select Committee and who had not given a Note of Dissent, they are also speaking. It does not lead to healthy conventions, this is my submission.

श्री अध्यक्ष : I think they are debarred.

श्री पूनमचंद : I just wished to draw the attention of the Hon'ble members.

श्री अध्यक्ष : They were probably not very attentive in the Select Committee and now they have woken up to all these things.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्लॉज २६ में····

श्री अध्यक्ष : But this Board is so full of Government members that it cannot come into conflict with the Government.

श्री पूनमचंद : I am thinking from a different angle and some of the Hon'ble members from another angle. I am thinking of giving this Board full authority as if they were not members of the Government. This provision is to meet any emergency. With this view this clause is framed.

श्री मूलचंद डागा : Clause 26 is there.

श्री पूनमचंद : That is for a different emergency.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्लॉज २७ पर विचार हो रहा है। इससे पूर्व क्लॉज २६ पर विचार हुआ था और उसके अन्तर्गत एक संशोधन आया था लेकिन सदन के द्वारा वह संशोधन मान्य नहीं हुआ और उसके सब-क्लॉजेज (३), (४) व (५) पारित किये गये। इन क्लॉजेज के अन्तर्गत यह जो बोर्ड बनेगा राज्य सरकार के पास ये अधिकार रहेंगे, पॉवर्स रहेंगे, कि अगर बोर्ड किसी प्रकार का रिज़ोल्युशन, प्रस्ताव पास करता है जो इस कानून के अन्तर्गत असंगत है, या राज्य सरकार के द्वारा दिये गये जो सुझाव हैं, उनके विपरीत हैं तो वह उनको खत्म कर सकती है। जो कोई राज्य सरकार द्वारा डाइरेक्टिव्ज़ दिये गये हैं, जो कोई सुझाव

Page No.82

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दिये गये हैं उनको बोर्ड क्रियान्वित करने में विलम्ब करता है तो उस स्थिति में जो आदेश भेज दिये गये हैं उनकी क्रियान्विती के आदेश दे सकती है। इस प्रकार की ये चीजें हैं और इतने अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं फिर खण्ड २७, २८, २६, ३०, ३१, ३२ और ३३ को क्यों रखने की आवश्यकता हो गई? इस बात को लेकर सदन में वाद-विवाद चल रहा है। विवाद के समय यह दुहाई दी जाती है कि विरोधी दल के लोग आज भी इस दृष्टि से सोचते हैं कि आज भी कोई यहां विदेशी सरकार हो। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो कि इस प्रकार की दुहाई देते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इस प्रकार की शंका, आशंकायें करते हैं कि जैसे सरकार अन्यायपूर्ण तरीके पर चल रही है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष, मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज इस बात की क्या आवश्यकता थी जिन माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, दलील दी, वे स्वयं जानते हैं, वे स्वयं उससे परिचित हैं कि उस जमाने में जब कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय भी सब लोगों ने मिल कर देश की उस आजादी की लड़ाई एक होकर लड़ी, विदेशी वस्त्रों का, विदेशी विचारों का परित्याग करने की कोशिश की। लेकिन उन्हीं बातों को आज हम देखते हैं, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो जनता के साथ सम्पर्क रखने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो जनता पर आशंका की जाती है, अविश्वास किया जाता है जैसा कि उस समय में हमारे ऊपर विदेशी शासक करते थे। जो सोचने का तरीका है और जो दलीलें दी हैं वे ही उनके विरुद्ध पड़ती हैं। आज वे कहते हैं कि यह अपनी सरकार है और उसके खिलाफ आवाज न उठायें। आज हमारी सरकार है, बातें करते हैं; लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उसके विरुद्ध जब तक आवाज नहीं उठेगी, तब तक हमारी सरकार मुक्त वातावरण में नीति निर्धारित करते हुए भावी पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकेगी जिससे कि जो अंग्रेजी शासन की दासता की जो पद्धति अपनाई गई थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाय, उसको हटा दे। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान उस भाषण की ओर दिलाना चाहूंगा जो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय ने दक्षिण में दिया था और उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि आज हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है वह क्या है? जब भी कोई कानून बनता है, कानून बनाते हैं, अंग्रेजों के बनाये हुए कानूनों की नकल करते हैं, उनकी कार्बन कॉपी करके हम जी रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि हम स्वतन्त्र होकर जी नहीं रहे हैं। पुराने कानून उठा लेंगे और उनकी नकल कर लेंगे। हम यह नहीं सोचते कि इस आजादी के काल में स्वतन्त्र, मुक्त चित होकर जी रहे हैं, किस प्रकार का कानून बनना चाहिए। वे अंग्रेजों की दुहाई देकर अविश्वास करते हैं, हमारे अधिकारों पर अविश्वास करते हैं, इस प्रकार वे दुहाई देते हैं लेकिन वे स्वयं का मजाक करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का जो सुपर्सेशन का कानून हटाना चाहिए, जनता पर विश्वास करना चाहिए, विरोधी लोगों पर विश्वास करना चाहिए और यदि विश्वास रख कर चलेंगे तो इस प्रकार के अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २६ में सरकार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को पॉवर्स दिये हुए हैं, सरकार के पास ताकत दी हुई है कि यदि कोई रिज़ोल्युशन, प्रस्ताव बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है और अगर वह सरकार के आदेशों के विपरीत है तो सरकार उसको खत्म कर सकती है, इमर्जेन्सी के नाम पर सरकार बोर्ड की बिना सम्मति लिये ही सर्कुलर निकाल सकती है और बोर्ड को गाइड कर सकती है। यह सब ही जानते हैं कि जो बोर्ड बना है वह सरकारी अधिकारियों का बना है, उसमें डाइरेक्टर, कमिश्नर और उच्चाधिकारी रखे गये हैं जो राज्य सरकार के इंगित पर नाचते हैं, जो राज्य सरकार की कठपुतली हैं, जो राज्य सरकार से पैसा लेते हैं, जीवनयापन करते हैं, जिनकी सर्विसेज़ चलती हैं, वे कभी सरकार के आदेशों के खिलाफ चले जावेंगे यह सर्वथा निर्मूल है। कहा यह गया कि जिला बोर्ड के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के अधिकार रखे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जहां जिला बोर्ड का प्रश्न है, म्युनिसिपल बोर्ड का प्रश्न है और जहां शिक्षा का प्रश्न है यह नितान्त भ्रम है कि इन दोनों का एक ही रास्ता है। इन दोनों के दो रास्ते हैं और इनको एक डंडे से हांकना ठीक नहीं है।

शान्ति निकेतन के सम्बन्ध में बात कही गई, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि वह सुविख्यात संस्था है। जो कुछ उस विषय में कहा गया है उसके लिए कहूंगा कि यह सुपरिचित और राज्य सत्ता की दासता का भाव है, इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकता। शान्तिनिकेतन द्वारा विकास हुआ है। एक उन्मुक्त वातावरण में विकास हुआ है और आज उसका परिणाम है।

इस पर राज्य सरकार का नियन्त्रण होगा। राज्य सरकार के द्वारा यह बनाया गया है इसलिए इस प्रकार का कानून रखा जाता है और शान्ति निकेतन जो कि सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए उसमें इस प्रकार का कानून नहीं रखा जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप ठीक ढंग से सोचिये, नये तरीके से इस पर विचार करके जो समुचित बात हो सकती है उस ढंग से आप विचार करेंगे। एक स्वतन्त्र संस्था जिस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, जिस पर सरकार की आर्थिक सत्ता नहीं है, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा बनी हुई संस्था है, वह संस्था विकास कर सकती है, वह शिक्षा की नई पद्धति का निर्माण कर सकती है, पेड़ों के नीचे पढ़ा कर लोगों को योग्य बना सकती है, तो सरकार के द्वारा निर्देशित इस प्रकार की संस्थाओं के लिए इस प्रकार का कानून क्यों रखा जाता है, क्यों जनता पर अविश्वास किया जाता है? मेरी समझ में नहीं आता है कि राज्य सरकार के हाथों में सुपरसेशन की पॉवर्स क्यों रखे जाते हैं? मावली से आने वाले एक माननीय सदस्य ने इस विधेयक पर वाद-विवाद करते हुए जोर दिया था कि इस बोर्ड का अध्यक्ष कोई शिक्षा शास्त्री होना चाहिए, मैं नहीं समझ पाता कि वे सुपरसेशन की पॉवर रखने के बारे में दलील देते हैं और कहते हैं कि सुपरसेशन की पॉवर यहां पर होनी चाहिए वे यहां बरदाश्त कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार का नियन्त्रण उसके ऊपर हो। एक ओर तो वे स्वतन्त्र विचार से सोचते है और चाहते हैं कि शिक्षा शास्त्री अध्यक्ष होना चाहिए और दूसरी ओर कहते है कि बोर्ड के सुपरसेशन के पॉवर होने चाहिए। उसके लिए आग्रह करते हैं, ताकि उस पौधे को वहीं दबा देंगे, उसके नीचे से जमीन हटा देंगे, उसको खड़ा नहीं होने देंगे। हमारी विद्वता के पैरों के नीचे से जमीन हटा दी जायगी। यदि उनके हाथ से अलग

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो गया तो उसको गिरा देंगे, उस जमीन को नीचे से हटा देंगे। इस प्रकार से बनी हुई संस्थाओं को लेकर कहते हैं कि स्वतन्त्र व्यक्ति को वहां रखना चाहिए। उसका जोरदार समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे सुपरसेशन के पॉवर्स रखे जाने का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से दो विरोधी बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। जो इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं वे बेबुनियादी हैं। उन दलीलों में कोई भावना नहीं है, कोई जोर नहीं है।

मैं यहां यह भी बता दूं कि इस क्लॉज २७ के अन्तर्गत जो पॉवर्स हैं उनमें किसी तरह भी इस प्रकार के बोर्ड को अवकाश नहीं दिया गया है कि वह अपना एक्स्प्लेनेशन दे सके, कोई गलती हो चुकी है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर सके, उसको दुरुस्त करने के लिए अवकाश मांग सके। सीधे सुपर्सेशन का अधिकार रखा है, इन्क्वायरी करने या नोटिस देने का कोई प्रावधान इसके अन्तर्गत नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और जो बेबुनियादी दलीलें दी गई हैं उनका घोर विरोध करता हूं।

श्री **किशनसिंह** (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २७ के ऊपर जो बहस चल रही है, उसके बारे में मैंने बातें सुनीं। एक तरफ से इतनी तेजी के साथ कहा जा रहा है कि इस साइड वाले बड़े कमजोर हैं और जो कि गवर्नमेंट की गुलामी की तरफ हैं। मैं कहता हूं कि सब इस तरह के नहीं हैं, लोगों की भावना इस तरह की है कि वे उधर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि गवर्नमेंट के गुलाम हैं, गवर्नमेंट के दबैल हैं, ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं ? गवर्नमेंट को हम पॉवर दें या न दें, यह बात अलग है। हम यह सोच रहे हैं कि पावर देना चाहिए अथवा नहीं। हम किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो उस काम के लिए साधन कि जरूरत होती है और साधन के बिना कार्य हो नहीं सकता है। तो हम जो यह गवर्नमेंट को पॉवर्स देते हैं, तो वह जो हाउस देता है वह हाउस ले भी सकता है। लेकिन ऐसी शिकायत क्या है, इसमें उलझन क्या है, भय क्या है, डर क्या है कि ऐसे पॉवर्स देदें तो पता नहीं क्या कबाड़ा हो जायगा और क्या कुछ नहीं कर सकेंगे, उसको बदल नहीं सकेंगे ? उसके सिलसिले में बोलते हुए कई माननीय सदस्यों ने और नये सदस्यों ने नाना प्रकार की दलीलें दीं और पुरानी बातें कही गई। शिक्षा के २० वर्षों का अनुभव कहा गया है, कि शिक्षण संस्थाएं हमेशा ही रही हैं। २० वर्षों का अनुभव है यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज से २० वर्ष पहले शिक्षा शहरों तक सीमित थी, और शहरों के बाहर शिक्षा का नामोनिशान नहीं था। कहीं शिक्षा थी तो शहरों के अलावा कहीं नहीं थी। पढ़ाई होती थी तो शहरों के अलावा कौन थे पढ़ाई करने वाले ? वे एक सारे ढंग से करते थे। उस वक्त की बात कही जाय तो मैं बताऊं कि सीकर ठिकाने के १३८ गांवों में एक भी स्कूल नहीं था, सन् २२ में एक स्कूल एक गांव में खोला गया। गांव वालों ने खोला था, वहां पर एक स्वामीजी थे श्री जयरामदासजी, उन्होंने कुछ ग्रान्ट दी थी, उस ग्रान्ट से स्कूल चलाया गया तो सीकर ठिकाने के अधिकारी जो कि गवर्नमेंट के गुलाम थे उन्होंने जाकर कह दिया

(श्री किशनसिंह)

कि स्कूल को बन्द कर दो। मास्टर ने कहा कि क्यों ? उन्होंने कहा कि हमारे किसान तो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं, वे खेती करना जानते हैं और हम नहीं चाहते कि यहां पर शिक्षा फैले, हम गांव को पढ़ा कर भावना नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, वह स्कूल सन् ३४ में खोला गया था तो आज २० वर्ष का अनुभव हमारे सामने है। तो उस जमाने की बात बताई और यह कह दूं कि वह आदमी आज हमारी सरकार की तरफ देखते हैं, हमारे सदस्यों की तरफ इशारा करके कहते हैं ; ये वे आदमी हैं जिनकी गवर्नमेंट थी और जिनके पास बड़े बड़े साधन थे, जो हमें जेल भेजते थे और जेल से निकलते तो हमारे पीछे पुलिस और सी० आई० डी० होती थी और वे देखते थे कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं और फिर कुछ बात होती तो बुलाकर जेलों में बन्द कर देते थे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह विषयान्तर नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : वे विषय पर आ रहे हैं।

श्री किशनसिंह : मैं विषय पर आ रहा हूंगा, क्योंकि आप तारीफ करते थे इस लिए कहा। मेरा विषय कोई लम्बा नहीं है; वह ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में कोई दलील दी जाय।

तो हमारी गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट को हमने बनाया है ; प्रजा ने बनाया है, उसको पॉवर्स देना चाहते हैं और अगर पॉवर्स देते हैं तो इसमें कोई डर नहीं है। हम अपने आदमियों को घर के किसी काम के लिए भेजते हैं तो उसको हथियार देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हथियार का वह गलत प्रयोग करेगा तो हम वापिस ले लेंगे। ऐसी क्या बात है ? वह गवर्नमेंट हमारे लिए कानून बनाये तो उसमें जो क्लॉज २७ है उसको पारित किया जाय और जिन माननीय सदस्यों ने खिलाफ प्रस्ताव रखा है वह वापिस लेलें। इस सिलसिले में मार्ग न दिया जाय तो मैं समझता हूं कि फायदा नहीं होगा। ज्यादा बातों से नतीजा निकलने वाला नहीं है। है। वैसे तो घंटों बातें कर सकते हैं। पुराने इतिहास को लिया जाय तो आप बात कर सकते हैं। वह मौका आयेगा तो आगे आपके सामने बातें होंगी। मैं इतना ही बोल कर कहना चाहता हूं कि क्लॉज २७ को पास किया जाय और गवर्नमेंट को जो अधिकार सदन देना चाहे वह दे। इसमें तमाम दल वालों की परीक्षा का सवाल नहीं है। उधर ज्यादा हो जायेंगे तो कोई बात नहीं है। वह देख लिया जायगा, लेकिन यह पास किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्व पूर्ण बात है और मैं समझता हूं कि अगर खण्ड २६ और २७ को पढ़ लिया जाय तो माननीय उपमंत्री महोदय यह समझ जायेंगे कि २७ वीं जो क्लॉज है वह इस बिल के अन्तर्गत उपयुक्त नहीं है। इस बिल को बनाने वाले जो हम लोग हैं मेरे ख्याल से यदि हम इसको पढ़ेंगे और सारे अर्थ को समझेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि इसे बनाने वालों ने अपनी सूझ का परिचय देते हुए भी उन्होंने इस बात को गहरे रूप में नहीं सोचा कि भंग किसको कर दिया जायगा। आपने इस बोर्ड में अपने आदमी मुकर्रर किये हैं, डाइरेक्टर शिक्षा

(श्री मूलचन्द डागा)

विभाग को मुकर्रर किया, और लोगों को मुकर्रर किया। शायद आपने यह भी सोचा होगा कि इस बोर्ड में कौन लोग हैं ? आपने हमारे शिक्षा शास्त्रियों की तुलना पंचायतों के सदस्यों और म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों से की। मुझे दुःख है इस बात का कि इस बोर्ड की तुलना इनसे की जाती है। इस बोर्ड की तुलना न तो म्युनिसिपल बोर्ड से की जा सकती है और न पंचायतों से की जा सकती है। यह तुलना करने का विषय नहीं था। यह तुलना हो नहीं सकती। म्युनिसिपैलिटीज में सदस्य किस प्रकार से आते हैं और पचायतें में किस प्रकार से आते हैं और दोनों के विधान में कितना फर्क है; दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप बोर्ड को भंग कर सकते हैं, लेकिन किस बोर्ड भंग कर सकते हैं ? जिसके सदस्य आपके द्वारा मनोनीत किये गये हैं उस बोर्ड को आप भंग करना चाहते हैं ? क्या करना चाहते हैं आप ? आपने वैधानिक बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन की हिमायत आप करते हैं। प्रसिडेन्ट को दफा ३५२ के अंतर्गत पॉवर्स हैं, वे कब हैं। किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि विधान में राष्ट्रपति को अधिकार है कि सारे अधिकार वे अपने हाथ में ले लें। लेकिन राष्ट्रपति सारे अधिकार अपने हाथ में कब लेते हैं ? असाधारण स्थिति पैदा होने पर वे इन पॉवर्स को अपने हाथ में लेते हैं ? असाधारण स्थिति न होने पर भी आप इसको लागू करना चाहते हैं। भारतीय संविधान की धारा ३५२ इसके अंदर लागू नहीं की जा सकती। इसमें यहां तक कर दिया है "If at any time in the opinion of the State Government" 'एट एनि टाइम' शब्द लेजरली लिखा है। कोई सवाल नहीं, किस समय ? "If at any time, in the opinion of the State Government, the Board is not competent to perform or persistenly make default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, or otherwise by law, or exceeds or abuses its powers......"

आपका तो यह मतलब हुआ कि आपने जो क्लॉज़ २६ रखा है और क्लॉज़ २६ के अन्दर आपने दूसरा सब-क्लॉज़ रखा है :

"The Board shall report to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the communication received under sub-section (1)."

And sub-clause (3) is :

"(3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government with reference to the matter on which a communication has been received under sub-section (1) the State Government may, after consicering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit and the Board shall comply with such directions."

आपने यह भी क्लॉज़ रखा है और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता, आज्ञा नहीं मानता है उस हालत में आप चेतावनी दे सकते हैं, आप लिख-पढ़ी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपने चौथे सब-क्लाज़ में लिखा है :

(श्री मूलचन्द डागा)

"In any emergency which, in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken the State Government, may take such action consistent with this Act as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board thereof. "

तो आपने यहां तक कहा "without previous consultation with the Board". जो आपने क्लॉज़ २६ में (१४) सब-क्लॉज़ रखे हैं उनमें साफ लिखा है कि आप इस बोर्ड को बिना पूछे ही यदि उसने किसी क्लॉज़ के प्रति अनादर किया है या उसकी उपेक्षा की है या विरोध में कोई बात की है, आज्ञा नहीं मानी है या बिल के खिलाफ कोई बात है उस हालत में भी आपने यह बात लिख दी है तो उस हालत में २७ दफा रख कर इसमें जो लोक राज्य के सिद्धान्त हैं, जनतंत्र के सिद्धान्त हैं वह सिद्धान्त नहीं हैं। सवाल है बिल बनाने का। उसमें आप अधिकार देते हैं, क्लॉज़ ३६ में कंट्रोल का पूरा अधिकार होते हुए भी पूरे अधिकार हाथ में ले लिये हैं। रिज़ोल्युशन को एग्ज़ीक्युट कराने का अधिकार है। आपको वे अधिकार हैं, जिनके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्लॉज़ २७ को रखने का सवाल है और कौन सा प्रश्न रह जाता है जिसके कारण आप इस क्लॉज़ को रखना उचित समझते हैं ? आगे जो ३४ वीं क्लॉज़ है उसमें सब के लिये रेगुलेशन्स बनाये हैं, रूल्स होंगे लेकिन इसके लिये कोई रूल्स नहीं हैं whether the Board will be served with any notice. Nothing.

जहां ३४ वां क्लॉज़ है बिल का उसके अन्तर्गत सब नियम-उपनियम बनाने का प्रोविज़न रखा है, लेकिन इसके लिये उपनियम का कोई प्रोविज़न नहीं रखा है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आप यदि बोर्ड को भंग करना चाहते हैं तो क्या न्याय की दृष्टि से यह उचित नहीं है कि आप पहले उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करें, उन पर नोटिस सर्व करें। बिना नोटिस सर्व किये आप उसे कैसे भंग करना चाहते हैं ? और ऐसे बोर्ड को जिसके मेम्बर अधिकांश सरकारी व्यक्ति हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, उन लोगों को बिना नोटिस दिये भंग कर देते हैं तो मेरी समझ में इस बिल का क्लॉज़ २७ है वह आपको किसी भी रूप में वैधानिक दृष्टि से ठीक मालूम नहीं होता और जब आप क्लॉज २६ रख लेते हैं और उसमें सारी तकलीफें और मुसीबतें हैं वे दूर हो जाती हैं और जहां तक सरकार द्वारा प्रस्ताव पास कराने और बातें बनाने का सवाल है वे सारी बातें उसमें आ जाती हैं, तब फिर क्लॉज़ २७ रखने का सवाल नहीं है। उसमें ऐसी बात नहीं लिखी हैं कि आप एमर्जेन्सी के समय उसे भंग करेंगे लेकिन उसमें सिर्फ लिखा है : "in the opinion of the State Government" और वह ओपिनियन क्या ? किस हालत में जो ड्यूटीज़ इम्पोज़ की गई हैं उनको कार्य-रूप में परिणत नहीं कर सकते, उसको आपने क्लॉज २६ में लिखा है तो फिर इस क्लॉज़ की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय उप मंत्रीजी इस पर और विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : What is the State Government going to do if their

(श्री अध्यक्ष)

instructions under clause 26are not obeyed ? It is true that the Government can issue instructions under clause 26, but what, if they are not obeyed ?

श्री मूलचन्द डागा : सस्पेन्शन का प्रोविजन है । "suspend the execution of any regulation or order of the Board...."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : What about positive directions ? Suppose they are not executing it. A positive direction is given by the State Government and the Board does not fulfil that or execute that and wilfully neglects that, then ?

श्री मूलचन्द डागा : Then, Sir, the State Government may by order in writing the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board and prohibit the doing of an Act ordered to be..."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Mr. Speaker, Sir, there is a saying that we can leave the horse to water but cannot make it drink. It is of course in the hands of the Board to do it. Suppose it does not do it and wilfully neglects it; in that case ?

श्री मूलचन्द डागा : आप पांचवा सब-क्लॉज पढ़िये :

"The State Government may by order in writing specifying the reasons thereof, suspend the execution of any resolution or order of the Board, and prohibit the doing of an act ordered to be or purported to be ordered to be done by the Board, if the State Government is of the opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers conferred by or under this Act upon the Board."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : As I posed the question earlier, what about the circumstance where we give a direction that you shall do this and they do not do it ?

श्री मूलचन्द डागा : That is provided in clause 5.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : If they do not do ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरी समझ में नहीं आता कि जो आज्ञा सरकार बोर्ड को देगी, बोर्ड उसके खिलाफ नहीं हो सकता । बोर्ड ऐसा काम नहीं कर सकता जो इस बिल के खिलाफ हो । सरकार जो आज्ञा देगी वह इस एक्ट के मुताबिक देगी....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आज्ञा सरकार देगी और उसका पालन बोर्ड करता नहीं है तो, then what to do ? The Board will sit idle. Suppose they do not take any action, they sit idle, take tea and not do the work. What to do in the circumstances ? If you can convince me I shall at once withdraw it.

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न जो उठाया है, उस पर सोच कर बताऊंगा ।

(श्री श्रीमानसिंह व श्री टीकाराम पालीवाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Paliwal.

श्री टीकाराम पालीवाल (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बहस हो गई, इस एक संशोधन के बारे में, इस क्लॉज़ २७ के बारे में। मैंने अभी अभी देखा, दो-तीन क्लॉज़ेज़ को, मैं इस बात की क्षमा मांग लेता हूं, कि मैंने पूरे बिल को स्टडी नहीं किया था। अभी बहस के दौरान में देखने को जी चाहा। क्लॉज़ेज़ २६, २७ और कम्पोजीशन ऑफ बोर्ड को देखा। मैं स्वयं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, जिस प्रकार बोर्ड का कम्पोज़ीशन हो, उसको देखते हुए और क्लॉज़ २६ के होते हुए फिर २७ वें क्लॉज़ की क्यों जरूरत पड़ती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं कहता अगर क्लॉज़ २७ को इनेक्ट कर दिया जायगा तो कोई आफत आ जायगी, या आकाश फट जायगा, कोई हानि नहीं होगी अगर क्लॉज़ २७ को इनेक्ट कर दें। मैं यह मानता हूँ कि विधान सभा जो कानून बनाती है, उसको प्रिसाइज़ होना चाहिये और जितने शब्द आवश्यक हों, वे हम कानून में पास करें। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न करें, जितने शब्दों की आवश्यकता हो, उतने शब्दों का प्रयोग करने से बाज न आवें। मैं समझता हूँ इसको, जब कानून पास करते हैं तब ध्यान में रखना चाहिये। आज ऐसे बोर्ड का कम्पोज़ीशन करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार की पॉवर्स गवर्नमेंट का अपने पास रखना नितान्त आवश्यक मालूम पड़ता है। अभी माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि अगर डाइरेक्शन सरकार दे और बोर्ड पालन नहीं करे, तब क्या रास्ता होगा ? मैं मानता हूँ कि बोर्ड का कम्पोज़ीशन ऐसा है कि उसमें यह आशा नहीं की जा सकती कि उसे वाजिब डाइरेक्शन गवर्नमेंट से मिलेगा, वह उसका पालन नहीं करेगा। मैं समझता हूं, इस प्रकार के डाइरेक्शन गवर्नमेंट द्वारा बोर्ड को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गवर्नमेंट बोर्ड को कोई खास डाइरेक्शन दे और मेरा ख्याल है जब इस प्रकार के ओटोनोमस बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं तब यह सोच कर चलते हैं कि वह जिम्मेदार संस्था होगी और जिम्मेदार संस्था अब कोई निर्णय करेगी, तो हमें उसके डे टू डे वर्किंग में दस्तन्दाजी करने का मौका नहीं होगा। जैसा, अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं यह पोइन्ट आउट किया था कि बोर्ड का कम्पोज़ीशन है, वह ऐसा है, कि वह ऑब्स्टीनेट एटीट्यूड का हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके कम्पोज़ीशन में आपके डाइरेक्टर होंगे, डिप्टी-डाइरेक्टर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, युनिवर्सिटी के सिनेट के रिप्रेज़ेंटेटिव होंगे, इस हाउस के रिप्रेज़ेन्टेटिव होंगे, co-opted डिस्टिंग्विश्ड् एजुकेशनिस्ट होंगे, यह सारा कम्पोजीशन बोर्ड का है। मैं मानता हूं यह सम्भव हो सकता है कि जनतंत्र के आधार पर चुने हुए इस House में ऐसे केलीबर के लोग सारे के सारे न आयें, जिस केलीबर के लोग इस बोर्ड में बैठेंगे, इस बोर्ड को कॉंस्टीट्यूट करने में, सभी लोग, मैं समझता हूं अच्छे अच्छे केलीबर के आयेंगे और वे लोग अपनी जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। उसमें क्लॉज़ २६ के अन्तर्गत यदि कहीं किसी समय कोई कमी रहती है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से डाइरेक्शन दिये जायं और फिर वे वाजिब डाइरेक्शन को भी बिलकुल्ली निगलेक्ट करें, डिसओबे करें, तो दो ही बातें हो सकती हैं, अध्यक्ष महोदय; या तो जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार लोगों द्वारा कम्पोज़ किया हुआ

(श्री टीकाराम पालीवाल)

that Board must obe ff its heads, सारे के सारे or a majority of it at least, उनको गवर्नमेंट जो डाइरेक्शन देगी, उसमें ऐसी बात नहीं आनी चाहिये, मोस्ट रीज़नेबल डाइरेक्शन पालन करने के लिये गवर्नमेंट देती है। इन दोनों के अलावा तीसरा आल्टरनेटिव मेरी समझ में नहीं आता। मैं मानता हूं, ऐसे डाइरेक्शन गवर्नमेंट नहीं देगी जो ऑन दी फेस ऑफ इट अनरीज़नेबल या एब्सर्ड हों। अगर रीज़नेबल सुझाव देती है, डाइरेक्शन देती है, तो इस प्रकार का बोर्ड बनाया हुआ, रेस्पोन्सिबल आदमियों का, ऊंचे केलीबर के लोगों का बनाया हुआ बोर्ड होगा, वह जिम्मेदारी के साथ उनका पालन करेगा और कोई बात बोर्ड को नहीं सूझी हो, वह गवर्नमेंट सुझाती है जो कि बोर्ड के सामने आने से रह जाती है। मान लीजिये कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय कि गवर्नमेंट अच्छी नीयत के साथ, बुद्धिमानी के साथ डाइरेक्शन दे और उनका पालन बोर्ड न करे, जो कि समझदार और ऊंचे केलीबर के लोगों का बोर्ड था उसके दिमाग में फितूर हो जाता है, और सही चीज को, नितान्त आवश्यक चीज को मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे ? Then, Sir, it is entirely in the hands of the Government to change the complexion of the Board.

तो बोर्ड के मेम्बर जो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, वे गवर्नमेंट की मोस्ट रीज़नेबल चीज़ को नहीं मानते हैं, बोर्ड में बैठ कर और ऑब्स्टीनेट एटीट्यूट को लेते हैं, you will find that some of them has gone off his head and he does not deserve to be the principal of that institution. तो उनका ट्रान्सफर कर दिया जाय, दूसरों को रखा जाय, दूसरों को नोमीनेट कर दिया जाय, दो चार बोर्ड के मेम्बर ऑब्स्टीनेट एटीट्यूट ले लेते हैं, जो कि अनरीज़नेबल है, तो उनकी जगह दूसरे आदमियों को भेजा जा सकता है। जो बोर्ड कम्पोज़ कर रहे हैं, उस पर यह बन्दिश लगा रहे हैं, तो जरूर यह चीज उनके दिमाग में आ सकती है कि जो अनरीज़नेबल चोज होगी, अनथिंकेबल होगी, वह उनके हाथ में नहीं होगी, इसलिए यह प्रोवीजन रखा जाय, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर यह प्रोवीज़न रख भी लें तो शायद इसका कोई यूज़ होने की जरूरत नहीं होगी, यह एक रिपगनेन्ट चीज होगी। यह गवर्नमेंट के टेस्ट का एग्ज़ामिनेशन है, इसलिए इस प्रोवीज़न को ड्रोप कर दें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे लिए बहुत कम आर्गुमेंट्स रह गये हैं इस क्लॉज़ के अगेन्स्ट कहने में और फिर अभी इस क्लॉज़ के अगेन्स्ट माननीय श्री पालीवाल ने वेट दिया, उसमें तो इस क्लॉज़ को इस बिल के अन्दर रखना ठीक नहीं दीखता। सबसे पहले हमको इस बिल को हर एक तरफ से देखना पड़ेगा जैसा अभी बताया, उसके कम्पोज़ीशन के दृष्टिकोण से, उसके फंक्शन, उसकी पॉवर्स के दृष्टिकोण से, उसमे ऑफिसियल, चेअरमेन, वाइस चेअरमेन और सेक्रेटरी के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या फिर हम इस नतीजे पर आते हैं कि इस क्लॉज़ २७ के अन्दर सस्पेन्शन की पावर्स रहनी चाहिए ? जब कम्पोज़ीशन को देखते हैं तो २५ मेम्बर्स में से मोर देन

(श्री भीमानसिंह)

मेजोरिटी, गवर्नमेंट मेजोरिटी है और जब उनको गवर्नमेंट डाइरेक्शन देती है और फिर क्लॉज़ २६ में जितने भी सब क्लॉज़ेज़ हैं, उनमें एक्सेस पॉवर्स हैं, सब क्लॉज़ (५) इन्क्लूडेड हैं. इन सबके होते हुए गवर्नमेंट डाइरेक्शन देती है, उनको बोर्ड नहीं मानता है, तो जैसा माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि गवर्नमेंट के पास क्या चारा है ? मैं निवेदन करूँ कि जितने आपके एक्स ओफिशियो मेम्बर्स हैं वे नामजद नहीं, that Mr. so and so as Head of the Department will be a Member of the Board. सिर्फ एक जनरल टर्म यूज़ की गई है और जब आपके पास ट्रान्सफर की पॉवर्स हैं, और जब आपके ओफिसर इन कन्ट्राबेन्शन आपकी पोलिसी से जाते हैं; किसी स्फियर के अन्दर, इन्डस्ट्री के अन्दर जो एक्स-ओफिशियो रिप्रेजेन्टेटिव हैं, इन सब स्फियर्स के अन्दर अगर हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट आपकी रखी पॉलिसी को पूरा नहीं करते हैं तो फिर उसके नीचे के ओफिशियल कब मानने वाले हैं । अगर कम्पोज़ीशन ऑफ बोर्ड है, उसमें देखें तो जो एक्स-ओफिशियो मेम्बर्स हैं उनमें से डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डाइरेक्टर ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन, हैड ऑफ दी कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, सर्कल कमान्डर नेशनल केडेट कोर्प्स राजस्थान बटालियन; यह तो एक्स ओफिशियो हैं फिर आपके नोमिनेटेड हैं, इलेक्टेड होते तो यह रख सकते थे, पर ये तो एक्स ओफिशियो है और आपके नोमिनेट किये हुए हैं, ये रिवोल्ट कर नहीं सकते और अगर रिवोल्ट करें भी तो इनकी वोइस का वेटेज कितना है, यह देखना है । जब मेजोरिटी गवर्नमेंट की है तो शायद ऐसी इमरजेंसी, ऐसी सिच्युएशन आने की ही नहीं कि गवर्नमेंट को सुपरसेशन करना पड़े । तो बोर्ड के कम्पोज़िशन की जो क्लॉज़ है रिडेन्डेन्ट बनती है । पर जैसा कि मैंने कहा ओफीसर्स को सोचना होगा कि चेयरमेन कौन रहता है ? जो डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को चेअरमेन बनाते हैं तो सुपरसेशन की जरूरत नहीं, डिप्टी चेयरमेन, सेक्रेटरी आपके गवर्नमेंट सर्वेन्ट आइ० ए० एस० के रहते हुए सुपरसेशन की जरूरत नहीं आती । पर इसमें इलेक्टेड एलीमेंट्स को चेअरमेन, वाइस चेयरमेन, सेक्रेटरी बनाते हैं तो यह सिच्युएशन हो सकती है कि जो आउटसाइड रहेंगे वे आपके डायरेक्टिव्ज़ को नहीं मानेंगे, उस सूरत में क्लॉज़ २७ रखना होगा तो पहले क्लॉज़ ४ को डिसाइड करना पड़ेगा इलेक्टेड चेयरमैन चाहते हैं आउट साइडर को तो क्लॉज़ २७ रखना पड़ेगा और जो गैर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के फेवर में डिसाइड करते हैं तो क्लॉज़ २७ को हटाना पड़ेगा, जो सेक्रेटरी आइ० ए० एस० को रखते हैं तो क्लॉज़ २७ को हटाना पड़ेगा । आप किसी इलेक्टेड एलीमेन्ट से यह एक्सपेक्ट करेंगे कि वह आपके कैसे भी डाइरेक्टिव्ज को केरी आउट करेगा तो यह नहीं व जो इलेक्टेड एलीमेंट हैं वह आपके आर्डर्स को केरी आउट नहीं करेगा वह आपके डाइरेक्टिव्ज़ को केरी आउट नहीं करेगा । पर क्लॉज़ २६ को देखते हुए जिसमें जितने पॉवर आप ले सकते थे ले लिये हैं । क्लॉज़ सेकिन्ड, थर्ड, फोर्थ को देखिये, इसमें कोई चीज बाकी नहीं रहती । इसमें जो रीज़न्स दिये हैं वे यह दिये हैं :

"The Board is not competent to perform or persistently make

Page No.92

(श्री श्रीमानसिंह)

default in the performance of the duties imposed on it by or under this act or otherwise by law, or exceeds or abuses its powers..."

तो यह "एक्सीड" वर्ड सब-क्लॉज़ (५) ऑफ क्लॉज २६ में इन्क्लूड कर लिया और यहां तक है, not competent to perform.

जो अफसर यहां इन्कोम्पीटेन्ट हैं तो सबसे पहले इसका साइन है कि जो गवर्नमेंट ड्यूटी उसको एन्ट्रस्ट करते हैं उसमें भी वह इन्कोम्पीटेन्ट है तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि वह अपनी कोम्पीटेन्सी बताये। इन्कॉम्पिटेन्ट को हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट बना देंगे तो गवर्नमेंट को पहले से ही सील कर रहे हैं कि इन्कॉम्पीटेन्सी बताये। तो ऐसी हालत में जो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, इन सब चीजों को देख कर ऑल राउन्ड देख कर बाद में २७ को डिसाइड करें। १५ ८ में क्या डिसाइड करते हैं, पहले डिसाइड करिये, इलेक्टेड चेअरमैन रहेगा तो यह रहे, अगर मोर देन मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे तो इसको हाइपोथेटिकल रखें कि suppose the Board does not carry out your orders who will help ?

Suppose heaven falls who will catch the swallows ? Answer it ? We are not doing on suppositions. How will this condition ever arise when the Board will carry out the orders ?

जब आपके पास पॉवर ऑफ ट्रान्स्फर्ड है, जो इसमें यह होता है, एक व्यक्ति ३ साल परमानेन्ट रहेगा, उसको गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर सकती। डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन आप किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी को आप इसमें मनोनीत कर सकते हैं अगर वह आपके ऑर्डर्स को नहीं माने तो, इसलिये यह कांट्राडिक्टरी क्लॉज़ है, इस आर्ग्युमेंट में वेट नहीं है। जब ऑटोनोमस बोर्ड रख रहे हैं, गवर्नमेंट बोर्ड रख रहे हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि इस तरह की तलवार लटकाने से क्या फायदा, सुपरसेशन का पॉवर ही पहले बताता है कि ऑटोनोमस बोर्ड बनाते हैं उसमें हम सस्पेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट जो रिज़ोल्युशन्स भेजेगी, सजेशन्स भेजेगी उनको वह केरी आउट नहीं करेगी, तो पहले ही इस क्लॉज़ के जरिये सस्पीशियन रख देना, यह बोर्ड की ऑटोनोमी के प्रति अविश्वास है, कोम्पीटेन्सी, इन्टेलिजेंस को डाउट करना है।

हमें विश्वास करना चाहिये कि ऐसी सिच्युएशन नहीं आयेगी जब सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड के फंक्शन्स ले डाउन किये हैं तो हमें अविश्वास नहीं करना चाहिये कि वह उन्हें केरी आउट नहीं करेगा। लॉ को बिलकुल प्रेसाइज़ रखिये, जिस परर्पज़ को फुलफिल करना चाहते हैं उसको रखिये, जो क्लॉज़ेज़ रिडन्डेन्ट हैं, जो पहले से ही नोन्कोन्फीडेन्स और बिट्रे और सस्पेक्ट करती हैं, उन क्लॉज़ेज़ को डिलीट किया जाया।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल के क्लॉज़ २७ पर बहुत समय से विचार हो रहा है और इस सुपरसेशन को हटाने के लिये काफी दलीलें पेश की गई हैं कि सुपरसेशन को हटाया जाय, क्योंकि बोर्ड के जो

(श्री रामचन्द्र)

मेम्बर्स होंगे वे ही गवर्नमेंट के मेम्बर्स भी होंगे और वे गवर्नमेंट की कठपुतली होंगे, इसलिये गवर्नमेंट जैसा करना चाहेगी वह उनसे करा लेगी। ऐसी दलीलें देने वालों को जरा इस बात का विचार करना चाहिये कि एक डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज जब एक्स ऑफिशिओ मेंबर के रूप में बोर्ड की मीटिंग में बैठेगा तो उसको यह ध्यान अवश्य रहेगी कि मैं इस समय डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज नहीं बल्कि इस वक्त बोर्ड का एक एक्सऑफिशियो मेम्बर हूं। इसलिये जिन मेम्बर्स के लिये यह कहा जाय कि ये लोग तो गवर्नमेंट के मेम्बर हैं, उसके तो यह अर्थ हैं कि गवर्नमेंट में हमारा विश्वास नहीं, गवर्नमेंट हमारा अनहित करना चाहती है, यह उनका सोचना भी वाजिब सा नजर आता है, उनका खयाल है कि १० वर्ष पहले जो गवर्नमेंट थी वह अब भी है जो हमको धोखा देकर जैसा चाहती थी वैसा करा लेती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों को यह बताना उचित समझता हूँ कि यह गवर्नमेंट आपकी है, आप गवर्नमेंट के हैं, इसलिये हमारी गवर्नमेंट में हम ही अविश्वास मानने लगें, तो यह गवर्नमेंट चलेगी ही कैसे ?

दूसरी बात यह है कि आप यह समझते हैं कि बोर्ड के आदमी गवर्नमेंट के होंगे, बहुत अच्छे होंगे, इसलिये हमको नहीं डरना चाहिये और अच्छी तरह काम करेंगे। जब आपका यह विश्वास है कि हमारे काम में बाधा नहीं डालेंगे तो इस सुपरसेशन के लगाने से क्यों डरते हैं ?

मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं जिस समय जोन्स स्टीफेन्सन ने स्टीम इन्जिन बनाया था उस समय उसने यह नहीं सोचा था कि कभी जरूरत से ज्यादा स्टीम तैयार हो गई तो बोइलर को बर्स्ट कर देगी। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे मौके आये कि इंजिन में जरूरत से ज्यादा स्टीम तैयार हो गई और उसकी वजह से बोइलर फट गया। तब उसके ख्याल में आया कि इत्तफाक से कभी जरूरत से ज्यादा स्टीम हो जाए तो इसके लिये प्रोविजन रहना चाहिये और उसने उसके लिये गवर्नर लगाया जिसका नाम है वैस्ट गर्वनर ताकि उसके जरिये से जो ज्यादा स्टीम हो जाए तो बाहर निकाल दी जावे और इंजन बराबर चलता रहे। अध्यक्ष महोदय, यही हालत आज है। आज जनतन्त्र का जमाना है, कोई पार्टी अपने-अपने विचार रखती है और कई पार्टियें मिल कर अपने विचार रखती हैं मगर जब विचारों में परिवर्तन होना होता है तो उसमें कोई देर नहीं लगती। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी विचार का व्यक्ति हो और समय पड़ने पर अपना संतुलन खो बैठता है और विचारों में परिवर्तन आ जाता है। इसलिये अभी से प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, या यों कहिये कि सरकार ने इस बिल को सुचारु रूप से चलाने के लिये यह सुपरसेशन का क्लॉज रखा है, मेरे खयाल से असंगत नहीं है।

दूसरी बात इस २७ वे क्लॉज में जो शब्द हैं उनको देखने से मालूम होता है कि इस विधेयक का निर्माण करते समय सोशियल साइकोलोजी का पूरा ध्यान रखा गया है। पहले तो बताया है कि 'इफ दी बोर्ड इज नोट कम्पीटेन्ट टु परफोर्म' और अगर कम्पीटेन्ट है और परसिस्टेन्टली मेक्स डिफॉल्ट तो उसका सुपरसेशन किया है। कभी कभी ऐसा होता

Page No.94

(श्री रामचन्द्र)

है कि पार्टी बाजी के चक्कर में आकर कहीं ऐसे आदमी आ जावें कि हमारा काम अच्छी तरह से नहीं चल सके और वे लोग यह मान कर चलें कि आदमी कम्पीटेन्ट हो मगर फिर भी समय के चक्कर में आकर जान बूझ कर बराबर गल्तियें करता रहे तो फिर ऐसी हालत में गवर्नमेंट क्या करे ? यदि कोई व्यक्ति सत्याग्रह करके बैठ जावे कि वह तो ऐसा ही करेगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी ? यदि सरकार के पास कोई पॉवर्स नहीं होंगे तो सरकार बैठी बैठी मुंह देखा करेगी "persistently make default in the performance of the duties"

और फिर कहा है 'exceeds' (exceeding the power) abusing the power—

यदि अपनी जितनी शक्ति है उससे ज्यादा काम कर बैठें और यह देखें कि अभी तो सारा काम रुक जाएगा, फिर बाद की बाद में देखी जावेगी। वह अपनी जितनी शक्ति है उसको मिसयूज़ करें, यह इस जमाने में भी हो सकती है, यह कोई नई बात नहीं कि इस समय न हो सके, इसलिये इसमें जो सुपरसेशन का क्लॉज़ रखा है, यह बिल्कुल उचित है।

इसके अलावा यह भी सोचना चाहिये कि इस विधेयक से सरकार की यह मंशा नहीं है कि बोर्ड को खत्म किया जाए बल्कि सरकार ने इसमें यह बताया है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इसको भंग करके अपना एडमिनिस्ट्रेटर कायम करके इसका कार्य उसके द्वारा चला सकती है और एक साल के बाद उसे नया बोर्ड का निर्माण करना होगा। गवर्नमेंट एक बोर्ड के बजाय दूसरा बोर्ड रखने के लिये तैयार है तो हमें इसमें डरने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इसलिये जो सुपरसेशन का क्लॉज़ सरकार ने मशीनरी की रक्षा के लिये रखा है बिल्कुल ठीक है और यह मेरी प्रार्थना है कि यह रहना चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं इस बोर्ड के अधिकार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। आज स्वतन्त्रता के जमाने में हमारे यहां शिक्षा का स्वतन्त्र रूप से विकास होना चाहिये और हमें स्वतन्त्र रूप से विकास करना चाहिये। मगर एक तरफ तो हमारी यह भावना है कि स्वतन्त्रता के युग में शिक्षा का विकास हो और हम शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये बोर्ड बना रहे हैं और इस पर आज बहस हो रही है कि बोर्ड किस प्रकार का बनाया जाए, और ऐसा बनना चाहिये, इस बोर्ड के अधिकार हैं वे सारे के सारे सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है और यह चाहती है कि यह बोर्ड देश में शिक्षा का फैलाव करेगा। सरकार यह चाहती है कि सारा पॉवर उनके हाथ में रहे। इसी कारण से तो सरकार ने रखा है कि हम जिस व्यक्ति को चाहें उसको हम मेम्बर या सदस्य बोर्ड बनावें और उसी मुताबिक प्रिसिडेन्ट बना रहे और शिक्षा का फैलाव कर रहे हैं, मगर हम उसके हाथ-पांव बांध कर उसको रखना चाहते हैं। उसको बांध कर रखने का क्या कारण है ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार उसको बांधा हुआ रखने से पब्लिक के साथ कभी न कभी धोखा होगा और कैसे होगा, यह मैं बताना चाहता हूं। यदि शिक्षा का

Page No.95

(श्री हीराभाई)

फैलाव होगा और उस समय सरकार का विचार हो जायगा कि इसमें ज्यादा खर्च होता है या उसमें सरकार का हाथ नहीं होगा उस वक्त सरकार बोर्ड को खत्म करने का विचार करेगी । जब सरकार इस बोर्ड को समाप्त कर देगी तो इसमें नुकसान किसका होगा ? आखिर नुकसान तो पब्लिक का ही होगा और किसी का नहीं होगा । सरकारी मिनिस्टरों का रिश्तेदार होगा उस जगह शिक्षा का प्रबन्ध कर देगा । इस तरह से हमारे देश में एक तमाशा जैसा विधेयक पास किया जा रहा है । इसका संशोधन करके पास करें ।

मैं यह कहूँगा कि या तो हम इस प्रकार का बोर्ड न बनाएं, अगर सेकन्डरी बोर्ड बनाना अनिवार्य है तो बोर्ड को बंधन में नहीं रखना चाहिये । अगर बोर्ड को बांध कर रखते हैं तो वह अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है । हम जानते हैं कि हमेशा शिक्षा विभाग के अन्दर जितने काम होते हैं हर काम में कठिनाई होती है इसलिये हम यहां पर शिक्षा के विषय में बोर्ड बना रहे हैं । बोर्ड बन जाने के बाद शिक्षा का विकास होना चाहिये । आपने बोर्ड को सरकार की मर्जी पर भंग करने का कहा है और बोर्ड को बांध दिया है । अगर बोर्ड पब्लिक के हित में कुछ काम करना चाहे अथवा यह कहे कि यहां शिक्षा का अभाव है इसलिये यहां पाठशालाएं होनी चाहिये और सरकार उसको न चाहे तो बोर्ड नहीं कर सकेगा । यदि बोर्ड अपना काम नहीं करता हो और पब्लिक की आवाज हो कि बोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं करता है, इसको खत्म करना चाहिये तो उसकी आवाज पर तो बोर्ड को आप खत्म कर सकते हैं मगर आपने ऐसी बात नहीं बताई । आप यह चाहते हैं कि इस बोर्ड पर सरकार का अधिकार रहेगा और सरकार जब चाहे इस बोर्ड को खत्म कर सकती है, इसका क्या कारण है यह मालूम नहीं होता । सरकार की मर्जी तो कल ही हो जाए कि इस बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए सरकार की मर्जी में कभी भी यह बात आ जाए कि बजट में घाटा है तो इसको खत्म कर दिया जावे । सरकार की मर्जी में यह आ जावे कि जो खर्चा हो रहा है वह ज्यादा है और बोर्ड ज्यादा खर्च कर रहा है । वह हमसे पूरा नहीं पड़ता है इसलिये बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिये और बोर्ड को समाप्त कर देती है । सरकार यह चाहती है कि जितने दिन चलाना चाहे चलाए और रास्ते में जब चाहे इसको वापिस समेट ले । आपने चाहे जहां जिस व्यक्ति को इन्सपेक्टर बना दिया और जिसे चाहा निकाल दिया, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । हमें एक स्वतन्त्र बोर्ड बनाना चाहिये ।

हमें पहले भी जैसे भी कर्मचारी हैं उन पर हमको भरोसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी पहले जैसे हैं और भरोसे-बन्द काम नहीं करेंगे, कैसे कयास हो सकता है और अगर आपको उन पर भरोसा नहीं था, आपको चाहिये था कि सोच विचार कर बिल तैयार करते और उसमें भरोसे वाले व्यक्तियों को ही रखते । जब हमने बिल तैयार कर दिया और उसमें यह रख दिया कि इस प्रकार के अधिकारी रहेंगे फिर यह क्यों रखा जा रहा है कि जब चाहें जब आप उस बोर्ड को समाप्त कर दें । जिस समय आप चाहें कि यह बोर्ड पब्लिक को लाभ नहीं दे रहा है, उस समय भी तमाम अपने ही आदमी होंगे, काम करने

(श्री हीराभाई)

वाले, उस समय वे लोग हमारे कहने पर अपने आप वहां से उठकर चले जावेंगे और उसके लिये कोई मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अगर वे पब्लिक के लिये अच्छा काम कर रहे हैं और स्वतन्त्र रूप से काम कर रहे हैं तब तो वे सरकार के सामने लड़ सकते हैं कि हम स्वतन्त्रता से काम कर रहे हैं और आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हमें किस आधार पर खत्म कर रहे हैं ? उस तरह से यह भी तो आवश्यकता थी। इसलिए हमने पहले तो उसी व्यक्ति को रख दिया और फिर उसी को रखकर उस पर कन्ट्रोल रखना चाहते हैं। हम बोर्ड को खत्म कर देंगे तो खैर वह खत्म हो तो जायगा, पर यह तो वही बात हो गई कि एक बार तो मेहमान को भेजा और दूसरे दिन बुला लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी जनता का नुकसान होगा, हमारे देश की धनराशि खत्म होगी और उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर सके तो यह नुकसान नहीं है तो क्या है ? आज बिल बनाने वाली गवर्नमेंट घाटा पूरा करेगी और घाटा पूरा करेगी तो यह क्या तमाशा है कि एक बार तो बोर्ड को बनाया जाता है और दूसरी बार खत्म किया जाता है। इसलिए मेरे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बोर्ड को खत्म करने का अधिकार हमारी सरकार को नहीं रहना चाहिए और बोर्ड को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और बोर्ड कुछ गुनाह करेगा तो हजारों आदमी मिलकर तो गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह तो एक आदमी ही करेगा और उसको सारी जनता के देखभाल करेंगे। बोर्ड को खत्म करने का अधिकार देना बेवाजिब है। इसलिए मेरा इतना ही कहना था कि बोर्ड के ऊपर कन्ट्रोल रखना बंद करें और ठीक तरह से और सुचारू रूप से कानून बनायें ताकि हम ठीक से चलें। क्लॉज़ २७ में जो कानून रखा है वह उड़ा देना चाहिए और हम सोच-समझ कर कानून बनायें ताकि हम अपने देश को आगे ले जायें।

श्री अध्यक्ष : और तो कोई माननीय सदस्य नहीं बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : बोलना है।

कुछ माननीय सदस्य : अब तो कल पर रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : आज बहस खत्म हो जाती तो अच्छा रहता।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This clause may be deferred.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : If you can accept them we can well cut the discussion.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It may be deferred. Tomorrow I may give the reply.

श्री अध्यक्ष : We now adjourn today to meet at 11 A. M. tomorrow.

(सदन की कार्यवाही म० प० ४. २२ पर दिनांक १५ नवम्बर, १९५७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, १४ नवम्बर, १६५७)

स्कम्भ

श्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति सम्बन्धी वाद-विवाद १५२६

श्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति में श्री उपाध्यक्ष के अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर सदन में वाद-विवाद हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर १५२७

गत दो वर्षों में जिला गंगानगर में हुये अपराध।

सांचोर-रानीवाड़ा के बीच की सड़क की मरम्मत पर गत दो वर्षों में व्यय।

पहरा देने वाले पुलिस व जेल के सिपाहियों को वेतन व भत्ता।

पदमपुरा में होस्पिटल में मरीजों के लिए बेड्स का प्रबन्ध।

भ्रष्टाचार-निरोधक अभियान के अन्तर्गत नियुक्त विशेष आई. जी. पी. के पास दर्ज हुए मामले।

ट्रैक्टरों के फिटनैस आदि के प्रमाण-पत्र प्राप्तकरने के नियमों में संशोधन।

तहसील सांचोर, जिला जालौर के कुछ पंचों व सरपंचों का चुनाव।

भाखरा-नांगल से राजस्थान के बिजली की उपलब्धि में विलम्ब।

सरदारपुरा, जोधपुर में मकान व उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल।

स्कम्भ

जवाई नदी पर शिवगंज और सुमेरपुर के मध्य रास्ता बनाने की योजना।

गंगानगर जिले के सीमावर्ती पाकिस्तान की सीमा पर तस्कर व्यापार की घटनाएं।

सरकारी विभाग के दो सहकारी संस्था निरीक्षकों की नियुक्ति पर जन-सेवा आयोग की स्वीकृति।

दौसा लालसोट होती हुई गंगापुर तक की बिजली की ट्रान्समिशन लाइन के लिए इस वर्ष व्यय की गई धन-राशि।

सरूपगंज, जिला सिरोही में एड-पोस्ट डिस्पेन्सरी खोलने की योजना।

जुलाई - अगस्त, ५७ के विद्यार्थी आन्दोलन में जयपुर नगर के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की योजना।

पंजाब व राजस्थान सरकार में जलंधर-अम्बाला एवं जोधपुर रीजन में पब्लिक कैरियर चलाने के लिए समझौता।

इन्डस्ट्रीज़ के लिये बिजली की दर।

Page No.98

स्कम्भ

सन् १९५०-५१ से अब तक सरकार के सम्मुख प्रस्तुत औद्योगिक विवाद।

रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी, बीकानेर द्वारा बस नम्बर आर. जे. एल. ६५५ की सीटों में कमी।

बिजली विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन स्तर।

हनुमानगढ़ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड द्वारा खर्च की गई धन-राशि।

चाकसू से लालसोट तक की सड़क का ठेका।

सरकार द्वारा बयाना टाउन में बिजलीघर चालू करने की योजना।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, नोखा में आज तक खर्च की गई धन-राशि।

धार्मिक प्रथा वर्षोत्सर्ग के नाम पर बेकार बछड़ों, सांडों को छोड़ने पर रोक थाम।

किशनगढ़ नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर के विरुद्ध शिकायतें।

बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में सन् १९५७-५८ में सड़क बनाने का सरकारी प्रोविजन।

भीम के एक वकील के मुन्शी श्री शान्तिप्रकाश त्रिपाठी की अथून ग्राम में अकस्मात् मृत्यु की जांच।

स्कम्भ

राज्य सरकार द्वारा भूत-पूर्व नरेशों को दिये गये जंगल।

रूपवास तहसील में नमक बेचने का ठेका।

मदनगंज से किशनगढ़ एवं गणेशचौक से सरवाड़ी तक की सड़क की दुरावस्था।

पुलिस व जेल के सिपाहियों को पहरा देने का समय तथा उनका वेतन।

अतारांकित प्रश्नोत्तर १५८०

राजस्थान में सन् १९४० से अब तक बांध सम्बन्धी योजना।

राजस्थान सरकार द्वारा चलित बिजली घर।

राजस्थान में व्यापारिक आधार पर चलने वाले वाटर-वर्क्स।

बाड़मेर स्थित जल-बोर्ड द्वारा प्रदत्त धन-राशि।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति १५८३

श्री रामेश्वरदयाल, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक १४ नवम्बर से २२ नवम्बर, १९५७ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर का सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव १५८३

(१) श्री जगदीशप्रसाद माथुर द्वारा दिये गये निम्नांकित प्रश्न को

स्कम्भ

विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया:—

"सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रदर्शनी में "हमारा राजस्थान" नामक स्टाल पर राज्य विधान सभा के सदस्यों के चित्र पट पर "चोर मण्डली" शीर्षक देकर सदन की मान-हानि की है। सार्वजनिक सम्पर्क अधिकारी का यह कार्य Breach of privilege की गणना में आता है।"

श्री के. के. सेन के अनधिकृत रूप से सदन में प्रवेश करने सम्बन्धी निर्णय १५६५

दिनांक १२ नवम्बर, १६५७ को सदन के प्रांगण में एक राजकीय अधिकारी के प्रवेश के सम्बन्ध में श्री श्रीमानसिंह द्वारा दिये गये विशेषाधिकार प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान नहीं की गई। इस पर श्री श्रीमानसिंह एवं जनसंघ और राम राज्य परिषद के सदस्यों ने सदन के प्रांगण से बहिर्गमन (Walk-out) किया।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धि पर श्री लच्छूराम का स्थगन प्रस्ताव १६०२

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लच्छूराम द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान नहीं की गई। इस पर श्री लच्छूराम एवं श्री मोहरसिंह ने सदन के प्रांगण से बहिर्गमन किया।

स्कम्भ

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ १६०६

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा:—

खण्ड २६:—इस पर श्री श्रीमानसिंह एवं श्री जगदीशप्रसाद द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् श्री श्रीमानसिंह का संशोधन स्वीकार हुआ तथा श्री जगदीशप्रसाद का संशोधन गिर गया। तत्पश्चात् खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

खण्ड २७ से ३३:—श्री नारायणसिंह (मसूदा) ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इन खण्डों को विलोपित किया जाय। इस पर १५ अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये।

शुक्रवार, १५ नवम्बर, १६५७ की कार्य-सूची

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १६५७ (अग्रेतर खंडशः वाद-विवाद)

१७२८

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २२४ का उत्तर देखिये)

Copy of abstract of the statement showing the details of Tenaments constructed for displaced person.

S. R. No.	Colony	Category of tena-ment.	No. of Qrt.	Area per Tenament. Total area in S Q. Yds.	Built up area for each Qrt. in Sq. Ft.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Masuria refugee colony.	One Room tenament.	1 & 2	150.33	Room 345. 28Sq. Common area. for latrine & bath room 37 Sq. ft.
			3	156.66	
			4	166.67	
			5	176.66	
			6	186.66	
			7	206.66	
			8	432.00	
			9 to 11	133.33	
			12	145.00	
			13 to 15	183.33	

परिशिष्ट २

(अ)

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३४ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में सन् १९५०-५१ से अब तक औद्योगिक विवाद जो सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुए उनका विवरण

१९५१—५२	१०
१९५२—५३	१३
१९५३—५४	१३
१९५४—५५	१५
१९५५—५६	४७

(ब)

The number of industrial disputes referred by the Government of Rajasthan to the Industrial Tribunal of the State and their disposal yearwise is given below :--

Year	No. of industrial disputes referred.	NATURE OF ADJUDICATION. No dispute awards.	Awards based on Private Settlement	Awards in favour of workmen	Awards partially in favour of workmen	Awards againat workmen	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1953	15	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
1954	13	4	2	NIL	1	NIL	7
1955	15	2	11	5	4	3	25
1956	30	1	5	1	1	NIL	8
1957 till 30-9-1957	25	7	10	3	1	1	22

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २३८ का उत्तर देखिये)

चाकसू से लालसोट की सड़क निर्माण के ठेके निम्न ठेकेदारों को निम्न प्रकार से दिये गये हैं :

मील	ठेकेदार का नाम
क. १ से १३ मील तक	जेठूसिंह हरखनारायण
ख. १४ से १६ ,, ,,	श्री कपूरचंद सिंगल
ग. १७ से २० ,, ,,	श्री शिवदयाल
घ. २१ से २३ ,, ,,	श्री दिनेन्द्रप्रसाद मनमोहनलाल
ङ. २४ से २६ ,, ,,	श्री दिनेन्द्रप्रसाद गर्ग

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २४० का उत्तर देखिये)

THE EXPENDITURE INCURRED DURING 1955-56 To 1957-58 AUGUST OF NOKHA BLOCK ACCORDING TO ALL MINOR HEADS:

Head.	1955-56	1956-57	1957-58 August.	Total.
2 Project Head Quarter.	10,461	18,160	13,992	42,613
3 Agriculture.	1,290	4,691	-	5,981
4 Irrigation	-	-	10,000	10,000
6 Health.	-	49,838	15,338	65,176
7 Education.	-	1,347	1,110	2,457
8 Social Education.	235	12,125	921	13,281
9 Communication.	-	-	-	-
11 Housing.	-	-	-	-
Total,	11,986	86,161	41,361	1,39,508

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४५ का उत्तर देखिये)

List of forest areas recognised as Private Properties of Ex-Rulers.

Dungarpur	(1) Rajdhani forests excluding Ghatkhana (2) Kailash Range. (3) Palisera-from Idar and Mewar border to the boundary of villages God and Jumbude in Gangarpur State.
Jodhpur.	Forest around Sardarsamand state family property of the ruler.
Karauli.	Such area of Badi Ruddh as has been in the Rulers' exclusive possession will be his ancestral property.
Kushalgarh.	Forest area measuring 992.30 acres in Garden Khera village.
Partapgarh.	1000 bighas of forest land.
Udaipur.	Haridasji-ka-mogra.

Statement showing the Forest areas recognised as Private properties of ex-Rulers or over which exclusive shooting rights or rights of extracting firewood, grass etc. or of grazing cattle have been granted to them. (received under G.O. No. F. 3 (4)-POL (c)/57 dated 28.3.52),

Name of State.	Forest recognised as Private Properties of the Ruler or in which certain rights of the Ruler have been recognised.	Shikar preserves in which exclusive Shikar rights of the Rulers have been recognised.
1	2	3
ALWAR	Shugan odi Forests. (a) His Highness will have exclusive shikar rights in a reasonable number of blocks. (b) His Highness will have the right to graze his cattle, to extract firewood and grass from an area to be specified by the Regional Commissioner in consultation with His Highness and the Chief	

1	2	3
	Minister. Third party rights in the area so reserved shall not be extinguished. (c) His Highness will have exclusive fishing rights in the Tank below Jay Samand	
BHARATPUR		Shikargarh to be treated as personal property of the Ruler. Ghana Ferests. Exclusive Shikar rights. The forest should not be denuded of its flora and every effort should be made to ; H. H will be permitted to extract 2400 mds. of firewood per annum free of cost from areas in the former State of Bharatpur to be specified by the Collector Bharatpur from year to year. Added vide (G.O.No.F. 1 (167) For/50 dated 17.4.51).
BUNDI	...	...
JAIPUR		1. Jaipur Range. (a) Catwara. (b) Ramsagur Kukas. 2. Ramgarh Range. (a) From town to Hariban (b) Ada pahar. 3. Sawai Madhopur Range. (a) Jhoomer Baori. (b) Seldhar. (c) Raj Bagh. (d) Patwa Baori.

1	2	3
		(e) Bodhal. (f) Mansarovar Range. 4. Khandar Range. (a) Kachida-Anatpura (b) Narsingdhar 5. Tanks. (a) Hingoonia (b) Mojpura. (c) KiraWal. Ramgarh (c) Mansagar. Notes:— (i) Only the Ruler or any one else with his permission will be free to shoot in the above mentioned preserves. (ii) The Ruler and the Ruling family will also have the right to shoot any where also and on the tanks, bunds and Jheels within the Jaipur State as at present. His Highness or the Ruling family will not be required to take out any shooting license or permit. (iii) In the private properties of His Highness as well as within the shooting preserves exclusively set aside as enumerated above, he and the Ruling Family will have unrestricted shooting rights as at present. The Game laws of the United State will not apply to both categories.

1	2	3
JHALAWAR	...	...
KARAULI	Such area of Badi Rundh as has been in the Ruler's exclusive possession will be his ancestral property. The Ruler enjoys right of extracting firewood and grass and grazing his cattle free of charge in the remaining areas of the Rundh which belongs to State.	
KISHANGARH		His Highness will have exclusive shikar rights in the shikargarh which will be State's property.
KOTA.	...	...
NEEMRANA.	...	...
TONK.		His Highness will have sole right to shikar in shikargarh within the territories of former state of Tonk.
SHAHPURA.		Exculsive rights of Shikar in the following tanks :— Shahpura 1. Piwaria 2. Khirsagar. Rajias Village 3. Rajias Tank. Raghurajpura village. 4. Jodhasagar 5. Chandrasagar 6. Nahar Sagar. Dhikola village 7. Bhimsagar. 8. Pipola. 9. Chhatriwala. 10. Dhakria Tank.

1	2	3
BANSWARA	(1) Sumai Matta besides Mandaria and Mapur. (2) Jambui Forests. The Ruler will have the exclusive rights of shikar but the forests will be state property. The needs of His Highness the Maharawal of Banswara for fuel and fodder may be met free from the forests of Sumai Mata and Jambui subject to the revenue and tenancy laws.	1. Dabri with Tôi Dungri. Bhutkhara. 2. Lahoriya. 3. Pipalkhunt. 4. Delwara. 5. Kariya (Talware) 6. Jagpura. These will be state property but H. H. the Maharawal will have exclusive rights of shikar in them.
DUNGARPUR	1. Rajdhani forest excluding Ghatkhana to be treated as Ruler's private property. 2. Kailash Range to be treated as private property of Ruler. 3. Pali sora from Idar and Mewar border to the boundary of villages Ged and Jambui in Dungarpur State personal property.	His Highness will have exclusive shikra rights is the forests and grass dids including those now held to be state property. This is to include all shikarghs which His Highness have reserved for himself from time to time.
KUSHALGARH	Forest area measuring 992.30 acres in Garden Khora village to be Ruler's property.	......
PARTAPGARH	1000 bighas of forest land to be given to H.H. inconsultation with the Regional Commissicner.	His Highness will have exclusive shikar rights in the following :... 1. Rakhat Hamel 2. „ Jhar 3. „ Quils 4. „ Janagarh 5. „ Ranajhar 6. „ Umerkheri

1	2	3
BIKANER		Plan 1. Portion of the Magra District around His Highness the Maharaja Private Gajnar Estate Area, as shown on the plan. Plan 2. The Forest area around His Highness bunglow at Shardulgarh. Plan 3. The tal Simatgarh measuring 1289 miles (or 12780 Bighas 2 Biswas) Plan 4. The Tal at Dulmahi measuring 609 miles (or 6322 bighas and 18 biswas). Plan 5. The Tal Chhapar Plan 6. The jheel at Talwara. Notes :-1. Only the Ruler or anyone else with his permission will be free to shoot in the above mentioned preserves. 2. The Ruler will also have the right to shoot anywhere else and on the tanks, bunds and jheels within the Bikaner state as at present. His Highness will not be required to take out any shooting license or permit. 3. In the Private properties of His Highness as well as within the shooting preserves exclusively act aside as enumerated above. He will have unrestricted shooting rights as at present.

1	2	3
BIKANER		The game laws of the United state will not apply to both categories. 4. The Ruler may have fairweather roads constructed within these shooting preserves and and in his private properties at his own expense. In the case of shooting preserves this right will be exercised in consultation with the Rajpramukh.
JAISALMFR		
JODHPUR	Forest around Sardarsamand Estate-family property of the Ruler.	1. Jodhpur-An area around the town with radius of seven miles from Sojati Gate. Thi will also include the right for fishing in the lakes, the permit for fishing for others to be issued by his Highness at his discretion. 2. Sardarsamand Tank-An area within a radius of ten miles of the Palace. 3. Kharda Tank-An area with in six miles radius from the Dak Bungalow. 4. Summairsamand Tank-An area of two miles radius round the edge of the tank. 5. Jalore-An area of six miles radius from the Railway Station 6. Jaswantpura-An area of six miles radius from Jaswantpura itself. 7. Siwana-An area of 8 miles radius from Gurgot as Centre.

1	2	3
		8. Kot-An area of five miles radius from the rest house of Kot.
		9. Brinpura. Station area-an area with a radius of 3 miles as shown in the plan.
		10. Sadri area-A strip four miles wide running parallel to the Jodhpur State border starting opposite Lunawa up-to the village Chanorao.
		11. Desuri Area-An area of five miles radius around Narlai as Centre.
		12. Pachalwara-An area of three miles radius as shown in the plan.
		The following tanks where His Highness will have first preference to shoot. His Highness will indicate each year after the rain where and for how long he will keep these tanks reserved for himself. During this period, whatever tanks he will not be reserved after the rains can be thrown open to anybody the State might desire to do so.
		1. Mundwa-Nagaur area-Saven tanks-one mile round each tank
		2. Merta area-Seven tanks-one mile round each tank.
		3. Sheo (tanks at Sheo and Jasa-ka-Gaon) one mile round each tank.

1	2	3
		4. Pokaran area-seven miles radius of Pokaran including the seven tanks. Note :-only the Ruler or any one else with his permission will be free to shoot in the preserves exclusivly reserved for His Highness.
		1. The Ruler will also have the right to shoot any where else and on the tanks. bunds and jheels within the Jodhpur State as at present. His Highness will not be required to take out shooting license or permits.
		2. In the private properties of His Highness as well as within the shooting preserves exclusively set aside as enumerated above, he will have unrestricted shooting rights as at present. The game laws of the United State will not apply to both categories.
UDAIPUR	1. His Highness will have the exclusive right to collect fuel and fodder through his household staff subject to Forest Laws in the following Jungles. 1. Nahar Magra. 2. Ambi-ka-bid 3. Kavda-di-nal. 4. Bahki-ka-Jungle.	His Highness will have exclusive right to shikar in the following forests and hills :- 1. Nahar magra, 2. Rana Kudi (Beed) 3. Kheradi magra. 4. Heengalaiya (Hill) 5. Kamlod. ,, 6. Wagdara ,, 7. Hode ,,

1	2	3
	2. Handasji-ka-Magra with buildings to be Ruler's personal property.	8. Sukhjar. (hill) 9. Amjhar. „ 10. Badi Hathni „ 11. Chhoti Hathni. 12. Avdvanya. 13. Dhadhan. 14. Ninki-ki Paj. 15. Neelya. 16. Vokdya Kalra. 17. (i) All hills on the east of main road from Palodra to Jaisamudra Pal and (2) all hills on the west connected of the road leading from Jaisamudra Pal to Palodra vise Chand Ghati as detailed below:- (s) Lodya. (b) Soormagri. (c) Ker magri (d) Kotwala. (e) Mahawalla. (f) Dhuniewala. (g) Chatpurya. (h) Udaimool. (i) Kanthoda. (j) Pahadi. (k) Pootwas. (l) Rakya. (m) Pilu (n) Gugi. (o) Choda on the west of these hills. (p) Sagdi. (q) Bana. (r) Udpurya. (s) Deengri. N.B. :-His Highness will also have the right to collect dry fuel and grass from the

1	2	3
		Jai Samudra property (d). Exclusive fishing rights in :- 18. Pichola (lake) 19. Fatehasagar lake 20. Udaisagar „ 21. Jaisamudra „ 22. Raj Samudra „ 23. Bari 24. Remli tank „ 25. Bhatewar „ 26. Khedi tank. His Highness will have exclusive right to shikar in the following hills also :- 1. Machla. 2. Teeklya. 3. Shikar Vadi. 4. Dank. 5. Salriya Dhampya. 6. Sajjangarh. 7. Talavali-ki-Vats, and 8. Kaler.

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

Statement showing loans sanctioned to the Government Power Houses in Rajasthan from 1-4-52-, to 31-3-56

Name of Power Houses.	1952-53 Loss	1953-54 Loss	1954-55 Loss	1955-56 Loss
1. Alwar	33,502	78,686	1,19,804	1,11,036
2. Bharatpur	81,070	77,226	75,827	47,840
3. Bhilwara.	20,477	31,624	44,241	34,771
4. Bikaner.	3,61,027	7,51,485	5,42,957	4,50,306
5. Deeg.	14,952	30,515	26,872	32,994
6. Dholpur.	27,255	21,360	25,841	29,882
7. Dungarpur	7,528	15,580	14,278	8,310
8. Jaipur.	4,20,878	8,37,916	4,12,578	3,02,895
9. Jaisalmer.	45,292	60,002	56,087	43,857
10. Jhalawar.	51,671	57,045	57,655	67,430
11. Jodhpur.	5,59,158	4,84,607	6,19,145	6,03,458
12. Karauli.	28,592	25,585	27,965	27,245
13. Kishangarh.	41,772	31,404	41,543	50,402
14. Kotah.	-	-	-	2,745
15. Newai.	60,042	43,927	34,472	43,114
16. Sagwara.	9,204	20,534	21,576	18,877
17. Sikar.	Nil	Nil	Nil	43,242
18. Ganganagar.	1,27,811	2,88,596	2,22,269	2,32,665
19. Tonk.	87,977	1,18,471	89,354	69,897
20. Shahpura.	24,869	5,873	32,711	26,483
21. Hindaun.			21,587	30,508
Total :-	20,03,077	29,80,241	24,87,762	22,77,957
Jaipur Work shop		1,46,688	1,92,081	1,72,564
G. Total :-	20,03,077	31,26,929	26,79,843	24,50,521

Note :-Figures for the year 1956-57 can be made available after the accounts are inspected by the Accountant General.

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

(अ)

तहसील बाड़मेर की रकम वितरण का ब्यौरा

क्रम सं० योजना	कूआ	कोठा	नाडी	टांका	रकम
१. ग्राम जल योजना १६५५-५६	८०	४६	०	७	१,६४,०६३-१-६
२. नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम १६५५-५६	४०	२१	०	२	४६,४४४-८-०
३. नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम १६५६-५७	११	१०	०	१	२३,१६१-४-०
कुल योग—	१३१	७७	०	१०	२,३६,६६८-१३-६

(ब)

तहसील शिव का रकम वितरण का ब्यौरा

क्रम संख्या योजना	कूआ	कोठा	नाडी	टांका	रकम
१. ग्राम जल योजना १६५५-५६	२५	३	०	५	४४,१४१-०-०
२. नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम १६५५-५६	५	१	०	०	४,०४७-०-०
३. नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम १६५६-५७	८	१	०	०	६,७५०-०-०
कुल योग—	३८	५	०	५	५७,६३८-०-०

(स)

जिला बाड़मेर तहसील बाड़मेर में सम्पादित करवाये गये कामों का विवरण (१६५५-५६ ग्राम जल योजना)

क्र. सं.	गांव का नाम	रकम प्राप्तकर्ता का नाम	कुआ	कोठा	नाडी	टांका	दी गई रकम	रकम देने की तारीख
१	२	३	४	५	६	७	८	६
१	हीरा की ढांणी	भगवानदास घमण्डीराम	०				७६८-१०-६	५-५-५५
२	गिडा	ऊदाराम रूपाराम गिड़ा	०				१०००-०-०	,,
३	चाडी	ताराचन्द तगामल	०				१३२२-०-०	,,
४	हसडा	सुगालाल लाला	०				८६०-०-०	,,
५	सडेचा	चाना उतमा	०				१२२-४-०	,,
६	छोटू	आईदान शिवजी	०				३६७-०-०	६-५-५५
७	सावलोर	उतमा कुशला	०				१३५०-०-०	५-५-५५
८	लूणू	सदीक दीनमोहम्मद लूणू	०				४००-०-०	६-५-५५
६	लूणू	हिन्दाल बगसा	०				६२६-०-०	,,
१०	पराड़िया	सदीक आवार	०				१७५०-०-०	,,
११	गेहूँ	मुकना सामा					८००-०-०	५-५-५५
१२	चादरेस	लाधूदान भोमदान	०				२४५६-०-०	६-५-५५
१३	बलाऊ	किरपाराम रूघाराम					१८५७-०-०	,,
१४	राणीगांव	सुजानसिंह मोहब्बतसिंह					१०००-०-०	,,
१५	गागरिया	घरमा मेहरा भील	०				३००-०-०	,,
१६	बलाऊ	आरब अली	०				१३४६-५-०	१०-५-५५
१७	बायतू	गिरधारी सोभा	०				६००-०-०	११-५-५५
								१०-५-५५

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१८	चाडी	जेताराम हिम्मतराम	०				७००-०-०	११-५-५५
१६	छोटू	घमडाराम ऊदाराम	०				१४६१-८-०	१२-५-५५
२०	लगेरा	गुलाबा कोजूराम	०				८८४-०-०	,,
२१	बायतू	शिवजी लिछमण		०			१२००-०-०	१३-५-५५
२२	लाखेटाली	मुबारक अहमद	०				२४००-०-०	१३-५-५५
२३	सबाऊ बड़ी	गणेशमल मानमल	०				१५००-०-०	१४-५-५५
२४	,,	मंगलाराम मासींगाराम		०			१०००-०-०	१५-५-५५
२५	आटी	भूरसिंह मंगलसिंह		०			१६००-०-०	,,
२६	कुपलिया	भूराराम हरचन्दराम	०	०			४३७५-०-०	,,
२७	पनाऊड़ा	जेठाराम चुतराराम		०			२५५६-८-०	१६-५-५५
२८	अरब की गफन	जानू सत्तर	०				८१४-०-०	१७-५-५५
२६	सादूल की गफन	अलदाद नसीर	०				१४००-०-०	,,
३०	चिड़िया	रायमल मेराराम	०				६५०-०-०	१४-६-५५
३१	रडवां	सेवाराम कुन्दमल	०				१६६०-०-०	१५-६-५५
३२	वेसाला (केरावा)	ताराचन्द तगामल	०				६००-०-०	१८-५-५५
३३	गागाला	रामचन्द जगा	०				२५००-०-०	१-६-५५
३४	मीठडा	मूलाराम ऊवाराम	०	०			८००-०-०	१-६-५५
३५	रतेऊ	रासीगाराम राजूराम	०				१०००-०-०	३१-३-५५
३६	बायतू	नहराराम भोयाराम		०			१६३०-०-०	२६-६-५५
३७	गोल	गोविन्दराम लिछमणजी				०	१०००-०-०	,,
३८	सेतराऊ	चन्दनसिंह नाथूसिंह	०				१७५०-०-०	१-६-५५

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३९	हुड्डू	ऊदाराम चागाराम	०				१०००–०–०	२५–६–५५
४०	,,	सिरेमल रामलाल		०			३६००–०–०	२–६–५५
४१	बायतू	भेराराम आदाराम	०				४००–०–०	३–६–५५
४२	ऊडखा	कालूगर लालगर	०				१४१६–०–०	,,
४३	सवाडा	दादू आरब	०				१६००–०–०	,,
४४	ऊडखा	सुरेता परमा		०			४१६–०–०	,,
४५	मारूडी	चन्दनसिंह मोकमसिंह		०			१३१२–८–०	,,
४६	खारां	रूघसिंह जवारसिंह	०				५००–०–०	४–६–५५
४७	सरणू	खीयाराम जेतराम				०	३०००–०–०	,,
४८	माडपुरा	मंगलाराम रामाराम	०				८५०–०–०	,,
४९	खड़ीन	कलाराम किसनाराम	०				५००–०–०	,,
५०	सरली	ऊदाराम नाराणाराम		०			२०००–०–०	५–६–५५
५१	सांजूटा	सालूराम कचराराम	०				११४०–८–०	,,
५२	घनोड़ा	सवाडा मांजी	०				८७५–०–०	६–५–५५
५३	शिवकर	लिछां हरजी	०				१०००–०–०	,,
५४	राणीगांव (दाणी)	सुजानसिंह मोहब्बतसिंह		०			११८८–८–८	७–६–५५
५५	जसाई	पाताराम अजीतराम	०				३५०–०–०	,,
५६	माहबार	मेहराज वीरमाराम	०				१३६४–१२–०	९–६–५५
५७	देरासर	बनाराम प्रह्लादराम	०				९२४–०–०	१४–६–५५
५८	मैहलू	मल्लाराम पोकराराम	०	०			२७६४–९–०	,,
५९	शहर	खेताराम चेलाराम	०				७१०–१–०	२२–६–५५

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६०	जाजवा	परतापसिंह रावतसिंह	०				११२५-०-०	,,
६१	बटाडू	खींयाराम मग्गाराम	०				८७५-०-०	४-७-५५
६२	बोर्तिया	खुशालजी सोमजी	०				२०००-०-०	,,
६३	रावतसर	परागाराम मेराराम	०				१७२६-८-०	१३-७-५५
६४	गागाला	मोहम्मदअली गफूरखां				०	७५-०-०	,,
६५	ईसरोल	फूसाराम देवाराम	०				१६८७-१०-०	१८-७-५५
६६	गागरिया	मुल्तानमल भानीराम	०				१२१६-०-०	२६-७-५५
६७	भागमरे की बेरी	भागभरा रमजान	०				२२५-०-०	,,
६८	रावतसर	जोधाराम नाथाराम	०				२५१०-०-०	१६-१२-५५
६९	रामसर	कहीम धूड़ा	●				६३४-०-०	२२-११-५५
७०	मंगले की बेरी	तेजाराम नोलाराम	०				१०००-०-०	१२-१२-५५
७१	भाटा	मुकनचन्द भगवानदास		०			३०००-०-०	२६-१२-५५
७२	बान्दरा	मोतीराम गुमनाराम	०				८४०-०-०	२६-१२-५५
७३	घनवा	गणेशजी जयराजजी		०			२०००-०-०	३०-१२-५५
७४	देरासर	इसाक हाज़ी मोयल	●				८७५-०-०	३१-१२-५५
७५	चौखला	भूरराम खींयाराम	०				८३१-७-०	३-१-५६
७६	कुडला	देदाराम मूलाराम		०			२०००-०-०	१०-१-५६
७७	मांचरर	बखतसिंह रणजीतसिंह	०				१६५०-०-०	१५-१-५६
७८	चंवा	हनुमानदास चूनीलाल		०			२०००-०-०	१६-१-५६
७९	सांजटा	सोनाराम गोमाराम		०			३०००-०-०	१७-१-५६
८०	नोखडा	जेठाराम ऊमंराराम		०			२४०५-०-०	१६-१-५६

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८१	नोखड़ा	हरचन्द नगाराम		०			१०००-०-०	१७-१-५६
८२	सवाडा	दादू आरब	०				१०००-०-०	२२-१-५६
८३	खारां	रूघसिंह जवारसिंह	०	०			१२७३-०-०	२-१२-५५
८४	तारातरा	रामाराम सुरताराम	०				१०००-०-०	२५-१-५६
८५	खयाला	अर्जुनसिंह इन्द्रसिंह					१८००-०-०	३१-१-५६
८६	झाब स्वामीजी	पूर्णाराम पुरखाराम	०				४००-०-०	८-२-५६
८७	गिड़ा	ऊदाराम रूपाराम	०				१०००-०-०	१०-२-५६
८८	धोरीमना	चूनीलाल प्रहलाद		०			१४१३-०-०	१६-२-५६
८९	लोहारवा	सेराराम रूपोजी	०				६५०-०-०	१३-२-५५
९०	दूधावेरी	तोलचन्द राणमल	०				५१३-०-०	१८-२-५६
९१	धोरीमना	हरिराम गुलाबचन्द	०				२०००-०-०	१८-२-५६
९२	खड़ीन	सोनाराम पेमाराम					१२२५-०-०	,,
९३	कोलू	भीमाराम भींयाराम	०				५७६-८-०	,,
९४	गोल	गोविन्दराम लिछमण					४००-०-०	२६-२-५६
९५	नोखड़ा	हरचन्द नगाराम		०			१०००-०-०	६-३-५६
९६	धनवां	गणेशजी जैराजजी		०			५००-०-०	२६-३-५६
९७	सरणू	खींयाराम गिरधारीराम					१५६०-०-०	३०-४-५६
९८	मारूड़ी	चन्दनसिंह मोकमसिंह		०			१७७-८-०	१६-४-५६
९९	कुडला	देदाराम मूलाराम		०			४००-०-०	२८-४-५६
१००	हांथमा	पन्नेसिंह रणजीतसिंह	०				३८६-०-०	,,
१०१	सोखरू	मोहम्मद अहमद	०				२७२-८-०	८-५-५६

१००	[illegible]	[illegible]	०				३८६-०-०	"
१०२	[illegible]	पदमाराम प्रेमाराम		०			१३२४-०-०	२-५-५६
१०३	[illegible]	ताजाराम मूलाराम		०			५६५-०-०	१५-५-५६
१०४	[illegible]	मुबारक अहमद	०				३८०-०-०	६-७-५६
१०५	[illegible]	चान्दा अली		०			१२००-०-०	[illegible]
१०६	[illegible]	चुन्ना पुन्ना	०	०			४००-०-०	२४-४-५६
१०७	[illegible]	नरसींगा हेमता	०				४१८-०-०	[illegible]
१०८	[illegible]	लालाराम घूहाराम	०	०			१०६०-०-०	२-५-५६
१०९	[illegible]	रूपसिंह जवाहरसिंह		०			१५००-०-०	२५-५-५६
११०	घोरीमन्ना	हरिराम गुलाबचन्द (नया कूआ)	०	०			३०००-०-०	२२-६-५६
१११	[illegible]	सेवाराम पुरुषोत्तम	०	०			२०००-०-०	[illegible]
११२	घोरीमन्ना	हरिराम गुलाबचन्द	०	०			१०००-०-०	[illegible]
११३	[illegible]	लीलसिंह आसूसिंह	०	०			३०००-०-०	१७-६-५६
११४	[illegible]	मैहराराम धीयाराम	०	०			३६३-०-०	५-६-५७
११५	[illegible]	चिमनाजी गोमाजी	०				८००-०-०	७-५-५६
११६	घोसासा नेड़ी नाडी	हरिराम गुलाबचन्द		०			२०००-०-०	८-११-५६
११७	[illegible]	मूलाराम [illegible]	०				१०००-०-०	२३-११-५६
११८	घोरीमना नेड़ी नाडी	हरिराम गुलाबचन्द	०	०			१०००-०-०	२०-४-५७
११९	[illegible]	किस्तूरी [illegible]	०	०			२०००-०-०	१६-११-५६
१२०	[illegible]	भवरसिंह मोहबतसिंह	०	०			१०००-०-०	२७-१०-५६
१२१	राणासर	भालरा प्रहलाद	०				१०००-०-०	२८-५-५६
१२२	माडवा	भूरा हरचन्द ३	०४	५	६	७	२०००-०-०	६-११-५६

[illegible]	[illegible]	[illegible]	४	५	६	७	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
१२३	घोड़ीमना	[illegible]		०			२००[illegible]	२८[illegible]
१२४	रोहला	[illegible]	०	०			२०[illegible]	[illegible]
१२५	गोलिया	[illegible] चनाराम		०			२[illegible]	२[illegible]
१२६	खारी	तेजाराम [illegible]	०				२०[illegible]	[illegible]
१२७	कोला	सांवला गोकला		०			१[illegible]	२[illegible]

तहसील बाड़मेर नेशनल वाटर सप्लाई स्कीम (१९५५–५६)

[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]00–0–0	[illegible]
[illegible]	चिड़िया	[illegible]	०				५[illegible]	२[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] हकीम	०				१[illegible]	[illegible]
[illegible]	लवुरुका	[illegible]	०	०			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	०				१[illegible]	२[illegible]
[illegible]	बलाऊ	[illegible]	०	०			[illegible]	३[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	०				[illegible]	३[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	०				१[illegible]	२६[illegible]
[illegible]	धोलपुरा	[illegible]	०				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	०				२000–0–0	२६[illegible]
[illegible]	बोलिया	[illegible]	०		०		१[illegible]	२५[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	०		०		२[illegible]	१६[illegible]
[illegible]	घानोड़ा	[illegible]	०				७७–0–0	३–५–५६
[illegible]	महबार	मेहराज वीरमाराम	४	५	६	७	४३0–0–0	१२–६[illegible]
	हाथीतला	लालाराम धुड़ाराम		०			७00–0–0	२८–३–५७

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१५	सत्राऊ बड़ी	अमराराम मीयाराम		०			२००-०-०	२५-४-५६
१६	लूखू	वमनीराम मलाराम		०			१६००-०-०	५-११-५६
१७	पाबू बेरा	चूनीलाल बिजेराज	०				५६६-०-०	६-१-५७
१८	कानोड़ा	अंलाराम मगाराम	०				४४०-०-०	१०-१-५६
१९	अकदड़ा	अचलाराम भोमाराम	०				२५०-०-०	६-१-५७
२०	कूपलिया	तेजाराम किसनाराम	०				१००२-०-०	८-२-५७
२१	लारिया	कचताराम धूड़ाराम	०				११२३-०-०	१६-१०-५६
२२	मलीसर	तेजाराम जसवन्ताराम	०				१६५०-०-०	५-११-५६
२३	मीठड़ा	अमाराम ऊदाराम	०				१०००-०-०	११-१-५७
२४	आड़ेल	देदाराम बिरधाराम	०				१३२०-०-०	१६-१-५७
२५	दरूड़ा	तगसिंह मोटूसिंह	०				२२८-०-०	३१-५-५६
२६	देरासर	धनाराम पेलादराम	०				६००-०-०	१८-२-५७
२७	सरणू	मगाराम धूड़ाराम	०				४२५-०-०	२६-११-५६
२८	नेरों की ढाणी	रूघनाथ भूरा	०				६००-०-०	१४-५-५६
२९	राणेरी	पेमाराम गुमनाराम	०				४४७-८-०	२१-५-५६
३०	सियाई	काथू भूरा	०				१७६८-०-०	२६-११-५६
३१	गिड़ा	दुरगाराम खूमाराम	०				६०३-०-०	२२-१२-५६
३२	छोद्ध	रुघनाथ कस्तूरा	०				७१०-०-०	१६-१-५७
३३	कोजा	बलता ऊगरा	०				१२७५-०-०	१०-१-५७
३४	कागाऊ	मूलाराम दुरगाराम	०				३००८-०-०	६-५-५७
३५	उडसियार	अली वसन्त	०				१७२०-०-०	८-५-५६

१	२	३	४	५	८	९
३६	जालड़ा	राजूराम कनीराम	०		२०००-०-०	२३-१०-५६
३७	सोभाला	दलीचन्द छुतमल	०	०	२०००-०-०	२७-१०-५६
३८	समरखिया	पन्नेसिंह अलसिंह		०	३०००-०-०	१४-१२-५६
३९	ओटा	पदमसिंह जुगलसिंह		०	४००-०-०	४-१-५७
४०	मंगले की बेरी	तेजाराम नवलाराम		०	१०००-०-०	८-११-५६
४१	गागरिया	मुलतानमल भानीराम	०		३००-०-०	३०-६-५६
४२	बाटाडू	नारनाराम मूलाराम	०		२५०-०-०	२२-६-५६
४३	दूधू	सोनाराम भारताराम	०		१५२०-०-०	१३-७-५७
४४	मीठड़ा	मूलाराम ऊदाराम		०	२५-०-०	६-८-५६
४५	बायतू	नवलाराम हेमाराम		०	६५०-०-०	१४-५-५७
४६	रावतसर	जोधाराम नाथाराम	०		२०००-०-०	२१-२-५७
४७	नोखड़ा	हरचन्दराम नगाराम		०	५८०-०-०	१८-६-५६
४८	रावतसर	प्रागाराम भैराराम		०	६५०-०-०	२६-६-५६
४९	रतेऊ	रासींगाराम राजूराम	०		७५०-०-०	१२-१२-६६
५०	जाख	पूर्णाराम पुरखाराम	०		८४०-०-०	२०-१०-५६
५१	भादरेस	जगदान अम्बादान	०		११५-०-०	३-५-५६
५२	सोमाला	धोकलाराम लिछमीनारायण		०	७००-०-०	१-७-५७
५३	मगले की बेरी	तेजाराम नवलाराम		०	५००-०-०	७-८-५७
५४	चवा	मुकनाराम मंगाराम		०	५००-०-०	१०-७-५७
५५	भूठ	भवरसिंह मोव्वतसिंह		०	७३०-०-०	१६-८-५७
५६	गोलिया	कस्तूरा टानाराम		०	४००-०-०	२२-४-५७

नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन स्कीम १९५६-५७

१	भुरटिया	माटूराम लिखमाराम	कुआ	— ०	—	[illegible]	[illegible]
२	उडवा	खमाराम मानाराम	,, ०	,,	—	[illegible]	[illegible]
३	मागुता	मूलाराम खमाराम	,,	,, ०	—	[illegible]	[illegible]
४	बाटाड	नरसिंहाराम हिम्मताराम	,,	,, ०	—	[illegible]	[illegible]
५	रोयेल	भाखरा वल्द हरवा	,, ०	,,	—	[illegible]	[illegible]
६	मीठड़ा	कालूराम तारायाम	,, ०	,,	—	[illegible]	[illegible]
७	भाकुड़ा	पन्नालाल चांकीराम	० कोठा		—	[illegible]	[illegible]
८	भोका	श्रासू वल्द सुजेसा		,, ०	—	[illegible]	[illegible]
९	कोलू	नीमाराम भीखाराम	कुआ	— ०	—	[illegible]	[illegible]
१०	चवा	मुकनाराम मेघाराम	कोठा	०	—	[illegible]	[illegible]
११	खड़ीन	रतनाराम रामाराम	—०	—०	टांका	[illegible]	[illegible]
१२	महलू	सावतमल हस्तीमल	कुआ	,,	—	[illegible]	[illegible]
१३	बूट	भवरसिंह मोहब्बतसिंह	कोठा		—	२०००।०।०	१५। १।५७
१४	खारो	तेजाराम नवलाराम	,,		—	३००।०।०	८। ५।५७
१५	गोतिया	बीरगाराम चवाराम	,,		—	३००।०।०	८। ५।५७

तहसील शिव (जिला बाड़मेर) में कार्यान्वित की गई योजनाओं का विवरण

सूखा जल योजना १९५५-५६

[illegible]	[illegible]	[illegible]	कुआ				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	कुआ	[illegible]			—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]तसिंह	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	कोठा			—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,	,,			—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,	,,			—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,	,,			—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] नाथूसिंह	कुआ				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] जोगराजसिंह	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] सिंह	,,	कोठा			—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] विरमाराम	कुआ				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] जोमजोमल	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] जराजसिंह	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,,				—	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] मचन्द	,,	कोठा			—	[illegible]	[illegible]
६	रेडाणा	आनन्दपुरी मंगलपुरी	कुआ				—	१३००।०।०	३। ६।५५
[illegible]	देताणी	साहब दीनातमाली	,,				—	[illegible]	३। [illegible]

१	२	३		५	६	७	८		९
११	खड़ाल	रानाजी खुशालजी	,,				—	२०००।०।०	१३। ६।५५
१२	खारसी	मानाराम लादूराम	,,				टांका	४५०।०।०	१५। ६।५५
१३	झणकली	हेमदान देवीदान	,,				—	८६०।०।०	२३। ६।५५
१४	फोगेरा	सांवता मूलजी	,,				—	६००।०।०	१३। ६।५५
१५	नागड़दा	सूरता पूंजराज	,,				—	४००।०।०	४। ७।५५
१६	असारी	सावलसिंह गजेसिंह	,,				—	५६८।०।०	५। ७।५५
१७	मोंसेरी	लोगाराम पीरा	,,				—	१०००।०।०	८। ७।५५
१८	नागड़दा	मोहम्मद रायधन					—	७४४।०।०	६। ७।५५
१९	खुड़ाल	रानीदान राजूदान					टांका	४०००।०।०	२५। ७।५५
२०	बासू	अडदा किस्तूरा					टांका	१७५०।०।०	८। ८।५५
२१	झाक	हेजमसिंह रणछोड़सिंह	,,				—	८७०।०।०	१६।११।५५
२२	बेताणी	साहब दीनातमांची	,,				—	७५०।०।०	६। १।५६
२३	खुडाणी	इमाम वल्द गोमा	,,				—	८७५।०।०	२१। १।५६
२४	खुडाल	भीमदान कलदान	,,				—	१५५०।०।०	२८। १।५६
२५	लालमा	लादूराम द्वारकादास	,,				—	१७५०।०।०	११। १।५६
२६	देवका	भीखदान कलदान	,,				—	१५००।०।०	१५। २।५६
२७	गम्ड़ारोड	छूगालाल सोहनजीमल	,,				—	७७६।८।०	२४। ३।५६
२८	बिसू	अर्णदा किस्तूरा					टांका	५७४।०।०	८। ५।५६
२९	बालेबा	चिन्तामणदास पूनमचन्द		कोठा			—	१०८।०।०	६। ८।५६
३०	देदरयार	खगारसिंह अचलसिंह	कुआ				—	६००।०।०	३०। ४।५६
३१	खुड़ाल	रानीदान राजूदान					टांका	१००।०।०	२८। ८।५६

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३२	नामला	मोवता मेहरा	कुआ			—	१००।०।०	२८। ८।५६
३३	हरसानी	भीखचन्द सरपंच	,,			—	३००।०।०	२८।११।५६
	नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन स्कीम, १९५५–५६							
१	झणकली	हेमदान देवीदान	कुआ			—	४००।०।०	२२। ५।५६
२	तामलोर	नवारसिंह कासबसिंह	,,			—	१२८८।८।०	२८। ५।५६
३	नागड़दा	मोहम्मद रायधन	,,			—	२५०।०।०	२१। ८।५६
४	खुड़ाल	रानीदान राजू	,,			—	१७०।०।०	२८। ८।५६
५	बलाई	डूंगरसिंह जोगराजसिंह	,,			—	१००।०।०	२७। ८।५६
६	लीलमा	सतरामदास द्वारकादास	,,			—	१४५०।०।०	३। ७।५६
७	नीमला	मोवता वल्द मेहरा	,,			—	३८८।८।०	८। ९।५७
	नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सेनीटेशन स्कीम, १९५६–५७							
१	मोखाब	भोमा वल्द नवारा	कुआ			—	१०००।०।०	२। १।५७
२	रतरेरी	बालम मनजी	,,			—	३५०।०।०	२२। ५।५६
३	पोसाल	कुशलाराम खिरामाराम		कोठा		—	६५०।०।०	२। १।५७
४	ऊडू	भंवरसिंह डूंगरसिंह	कुआ			—	२१००।०।०	४। १।५७
५	नेतानी	साहबदीना तमाची	,,			—	१००।०।०	९। ३।५६
६	हरसानी	बेगचन्द सरपंच	,,			—	२५००।०।०	६। ५।५७
७	गठढ़ारोड	छोगालाल सोहनजीमल	,,			—	१८००।०।०	३०।१२।५६
८	खुडाणी	इमाम गोमा	,,			—	१०००।०।०	१७। २।५७
९	झाखा	हेमसिंह रणछोड़सिंह	,,			—	२५०।०।०	२८। ९।५६

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, गुरुवार, दिनांक १४ नवम्बर, १६५७)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१५३७	१६	पटल वह चीच है	पटल वह चीज़ है
१५४४	१३	व्यय की धन-राशि	व्यय की गई धन-राशि
१५४६-१५४७	शीर्ष	१५ नवम्बर, १६५७	१४ नवम्बर, १६५७
१५४८	७	Deos the Government	Does the Government
१५४६	१३	श्री जगदीशप्रसाद माथुर	२३० श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१६४२	६	लेकिन उन्होंने उकको	लेकिन उन्होंने उनको
१७०२	४	श्री उपाध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१७०४	३	must obe ff	must be off